लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र / Third Session]

[खंड 9 में अंक 21 से 27 तक हैं / Vol, 9 contains Nos. 21 to 27]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

अंक 24, सोमवार, 19 दिसम्बर, 1977/28 अग्रहायण, 1899 (शक)
No. 24, Monday, December 19, 1977/Agrahayana 28, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 467, 468 और 470 से 473	Starred Questions Nos. 467, 468 and 470 to 473	1—12
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 469 और 474 से 488	Starred Questions Nos. 469 and 474 to 488	12—21
अतारांकित प्रश्न संख्या 4367 से 4479, 4481 से 4484, 4486 से 4513 और 4515 से 4566	Unstarred Questions Nos. 4367 to 4479 4481 to 4484, 4486 to 4513 and 4515 to 4566	21—129
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	Re. Motion for Adjournment . .	129
नेशनल हेरालड के दिल्ली का प्रकाशन बन्द होना	Closure of Publication of National Herald, Delhi	129-130
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . . .	130—133
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	Leave of Absence from sittings of the House	134
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee . .	135
27वाँ, 29वाँ और 45वाँ प्रतिवेदन	Twenty-seventh, Twenty-ninth and Forty-fifth Reports . . .	135
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes . .	135
पाँचवाँ प्रतिवेदन	Fifth Report	135
सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और लवण तथा केन्द्रीय राजस्व बोर्ड (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	Customs, Central Excises and Salt Central Boards of Revenue (Amendment) Bill—Introduced	135—136

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का घोतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

This sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
संविधान (44वाँ संशोधन) विधेयक	Constitution (Forty-Fourth Amendment) Bill	136—156
विचार करने का प्रस्ताव :	Motion to Consider :	136
श्री शाँति भूषण	Shri Shanti Bhushan	136
श्री गौरी शंकर राय	Shri Gauri Shankar Rai	138
डा० वी० ए० सईद मुहम्मद	Dr. V. A. Seyid Muhammad	138
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	139
श्री अरविन्द बाला पजनौर	Shri A. Bala Panjanor	141
श्री विजय कुमार मल्होत्रा	Shri Vijay Kumar Malhotra	142
श्री कंवर लाल गुप्ता	Shri Kanwar Lal Gupta	143
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao	143
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan	144
श्री यशवंत बोरोले	Shri Yashwant Borole	144
श्री नरेन्द्र पी० नथवानी	Shri Narendra P. Nathwani	145
श्री टी० ए० पाई	Shri T. A. Pai	145
श्री बी० सी० काम्बले	Shri B. C. Kambly	145
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh	146
डा० मुरली मनोहर जोशी	Dr. Murli Manohar Joshi	146
श्री कचरुलाल हेमराज जैन	Shri Kacharulal Hemraj Jain	147
श्री जगन्नाथ शर्मा	Shri Jagannath Sharma	147
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	151
श्री एस० एस० दास	Shri S. S. Das	148
खंड 2 से 6, 6क, 7 से 10 और 1	Clause 2 to 6, 6A, 7 to 10 and 1	151—155
संशोधित रूप में पास करने के लिये प्रस्ताव—	Motion to pass as amended	156
श्री शाँति भूषण	Shri Shanti Bhushan	156
चौधरी बलबीर सिंह	Chowdhry Balbir Singh	156
दुर्घटना जाँच समिति के बारे में वक्तव्य	Statement re : Accident Inquiry Committee	140
प्रो० मधु दंडवते	Prof. Madhu Dandavate	140
काम के 10 घंटे और मियाभाई प्राधिकरण के फैसले का कार्यान्वयन के बारे में वक्तव्य	Statement re : 10 hour working duty and Implementation of Miabhoy Tribunal Award	141
प्रो० मधु दंडवते	Prof Madhu Dandawate	141

लोक सभा
LOK SABHA

सोमवार, 19 दिसम्बर, 1977/28 अग्रहायण, 1899 (शक)

Monday, December 19, 1977/Agrahayana 28, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलनों में शामिल होने वाले शिक्षाविद्

*467. **श्री पी० जी० मावलंकर**: क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारत के कुछ विख्यात शिक्षा शास्त्रियों, शिक्षाविदों और प्रोफ़ेसरों को गत तीन वर्षों—1975, 1976 और 1977 में अब तक किसी न किसी देश में हुए अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलनों में उपस्थित होने से रोका है;

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में पूर्ण तथ्य क्या हैं,

(ग) उस सरकारी कार्रवाई के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बारे में व्यक्तियों/संस्थाओं से कोई विरोधपत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार को उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क), (ख) तथा (ग) भारत सरकार द्वारा, 1955 से, समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/संगोष्ठियों आदि में भाग लेने के लिए भारतीय विश्व-विद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के शिक्षकों के अन्य देशों के ऐसे दौरों से संबंधित मामलों में जहां कि निमन्त्रणों में; स्थानीय सत्कार—सहित अथवा इसके बिना अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा की व्यवस्था है—भारत सरकार को पूर्व-स्वीकृति अपेक्षित है। तथापि, ऐसे मामलों में—जहां कि निमन्त्रण, राष्ट्रसंघ तथा इसकी विशिष्ट एजेंसियों द्वारा आयोजित सम्मेलनों अथवा संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए हों—कोई अनुमति लेना आवश्यक नहीं है, वशर्ते कि ऐसे नियन्त्रण भारत सरकार के माध्यम से भेजे जाएं। जहां सम्मेलन/संगोष्ठी में भाग लेने के लिए शिक्षक को निमंत्रण प्राप्त हुआ हो और इसके सम्पूर्ण खर्च को विश्व-विद्यालय/मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था अथवा सरकार अथवा संविधिक प्राधिकरण अथवा स्वयं शिक्षक, द्वारा वहन किया जाना हो, ऐसे

मामले में, कुलपति/अथवा संबंधित संस्था के प्रमुख द्वारा केन्द्रीय सरकार को सूचित करते हुए, अनुमति दी जा सकती है । ये निर्देश निम्नलिखित कारणों से जारी किये गये थे :—

(1) यह सुनिश्चित करने के लिए कि अन्य देशों का दौरा यथार्थ है;

(2) इस देश में शिक्षा के हित में यह आवश्यक है;

(3) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सम्मेलन इस स्तर का है कि इसमें भारतीय शिक्षाविदों द्वारा भाग लेना उचित है तथा इस सम्मेलन के आयोजक विवादास्पद नहीं हैं;

(4) विदेशी मुद्रा सुरक्षित रखने के लिए; और

(5) अन्य देशों से सीधा सम्पर्क कर निमन्त्रण मांगने वाले व्यक्तियों को निरुत्साहित करना, जिसके कारण राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अवांछनीय उलझनें हो सकती है ।

इन कारणों से गत तीन वर्षों के दौरान अन्य देशों में सम्मेलनों आदि में भाग लेने की अनुमति से संबंधित कुछ शिक्षाविदों के प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया गया था । अपेक्षित आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) और (ङ) इस मंत्रालय में तीन शिक्षाविदों द्वारा हस्तांतरित एक खुला पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने भारतीय शिक्षाविदों के अन्य देशों में जाने की अनुमति से संबंधित नीति में परिवर्तन करने का सुझाव दिया है । यह मामला विचाराधीन है ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : पूरी विनम्रता और गम्भीरता से मैं आप का तथा समूचे सदन का ध्यान संसदीय प्रश्नों के पूछने तथा जहां मंत्री उत्तर देने से कतराते हैं की ओर खींचना चाहता हूं । यदि मंत्री उत्तर नहीं देंगे तो हम प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं । मैं उनके वक्तव्य के कुछ अंश पढ़ना चाहता हूं । यह बयान बहुत त्रुटिपूर्ण है । इससे सरकार द्वारा उत्तर न देने की प्रवृति का पता चलता है । यदि तथ्य और आंकड़े नहीं दिये जायेंगे तो हम अनुपूरक प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं ।

विवरण के (क), (ख) तथा (ग) में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा, 1955 से समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/संगोष्ठियों आदि में भाग लेने के लिये भारतीय विश्वविद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के शिक्षकों के अन्य देशों के ऐसे दौरों से संबंधित मामलों में जहां कि निमन्त्रण में, स्थानीय सरकार सहित अथवा इसके बिना अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा की व्यवस्था है—भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित है । तथापि, ऐसे मामलों में—जहां कि निमन्त्रण राष्ट्र संघ तथा इसकी विशिष्ट एजेन्सियों द्वारा आयोजित सम्मेलनों अथवा संगोष्ठियों में भाग लेने के लिये हों—कोई अनुमति लेना आवश्यक नहीं है बशर्ते कि ऐसे निमन्त्रण भारत सरकार के माध्यम से भेजे जायें । जहां सम्मेलनों/संगोष्ठियों में भाग लेने के लिये शिक्षक को निमन्त्रण प्राप्त हुआ हो और इसके सम्पूर्ण खर्च को विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था अथवा सरकार अथवा सांविधिक प्राधिकरण अथवा स्वयं शिक्षक द्वारा वहन किया जाना हो तो ऐसे मामले में कुलपति/अथवा सम्बन्धित संस्था के प्रमुख द्वारा केन्द्रीय सरकार को सूचित करते हुए, अनुमति दी जा सकती है।

आप कृपया बयान पढ़े । यह वास्तव में घिनौना है । क्या कोई ऐसा सम्मेलन होता है जहां विवाद नहीं होता ? शिक्षा का उद्देश्य ही यही है । मैं मानता था कि जनता सरकार ने हमें स्वतन्त्रता प्रदान की है । मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया है कि किन कारणों से शिक्षाविदों को सम्मेलनों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई थी । उन्होंने गत तीन वर्षों में कुछ शिक्षाविदों के प्रस्तावों को अस्वीकार करने के बारे में बताया है । यह भी कहा गया है कि अपेक्षित आंकड़े उपलब्ध नहीं है । यह कैसे हो सकता है । इस प्रकार मैं अपना अनुपूरक प्रश्न कैसे पूछ सकता हूं ? क्या यह आंकड़े समूचे विश्व से एकत्र किये जायेंगे ।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं । प्रश्न काफी व्यापक है । यह नीति 1955 से चली आ रही थी । इस मामले पर विचार किया जा रहा है । नई नीति तैयार की जा रही है । मंत्रालय के अधीन अनेक विभाग जैसे सामाजिक कल्याण, संस्कृति विभाग आदि हैं । अतः आंकड़े एकत्र करना संभव नहीं है । केवल विश्वविद्यालय डिवीजन में ही 1975 में विदेश जाने संबंधी 425 प्रस्ताव थे जिन में से 409 के मामले में स्वीकृति दे दी गई है । 16 स्वीकर नहीं किये गये । वर्ष 1976 में 582 मामलों की अनुमति मांगी गई थी और उनमें से 536 में अनुमति दी गई थी और 46 में ऐसा नहीं किया गया । वर्ष 1977 में अब तक 423 आवेदन प्राप्त हुए हैं । इन में से 376 स्वीकार कर लिये गये हैं । केवल 28 मामलों में स्वीकृति नहीं दी गई और 19 मामलों पर अभी विचार हो रहा है । इस प्रकार आप देखेंगे कि यदि पूरी जानकारी देनी हो तो बहुत कठिन होगा । ऐसा करना संभव नहीं है । वैसे समूचे प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । एक खुले पत्र में तीन शिक्षा-विदों ने एक विशेष शिकायत की है । एक डा० रामचन्द्र गांधी द्वारा है । वह मुझे मिले थे और मैंने उन्हें विदेश मंत्री श्री वाजपेयी से मिलने के लिये कहा था उन्हें स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । उन्हें अनुमति दी गई थी यदि वह जाना चाहें । डा० रामचन्द्र गांधी, गांधी जी के पौत्र का 6 दिसम्बर के 'टाइम्स आफ़ इंडिया' में एक पत्र प्रकाशित हुआ है ।

वैसे अनुमति देने के समूचे प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । हम शैक्षिक स्वतन्त्रता पर रोक नहीं लगाना चाहते परन्तु राष्ट्रीय हितों की रक्षा करनी होगी ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मंत्री महोदय के उत्तर से मेरा समाधान नहीं हुआ है । उन्होंने कहा है कि आंकड़े एकत्र नहीं किये जा सकते । मैं आवेदन देने वालों तथा जिनको मंजूरी दी गई अथवा नहीं दी गई की जानकारी नहीं चाहता । मैं यह जानना चाहता हूं कि गत तीन वर्षों में कितने प्रोफेसरों और शिक्षाविदों को अनुमति नहीं दी गई है । यह जानकारी तो दी जा सकती है । यदि उनके पास इस समय जानकारी नहीं है तो बाद में दे दें ।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : यदि माननीय सदस्य नामों की एक लम्बी सूची चाहते हैं तो मैं वह दे सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया सभा पटल पर रख दें ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : क्या जनता सरकार 1955 से चले आ रहे नियमों में संशोधन करेगी । वे शैक्षिक स्वतन्त्रता पर एक प्रकार का प्रहार हैं । इस संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के विख्यात इतिहास विद्वान् प्रो० शर्मा को एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने से रोका गया था ।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : नीति के बारे में मैंने पहले ही कह दिया है कि नीति पर विचार किया जा रहा है । यह ठीक है कि शैक्षिक स्वतन्त्रता है परन्तु इस पर कुछ तो रोक होनी ही चाहिये । संविधान के अधीन सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों संघों तथा अन्य निकायों में भाग लेने के मामलों से निपटने का अधिकार प्राप्त है । यह संघ सूची की प्रविष्टि 13 के अन्तर्गत आता है ।

अध्यक्ष महोदय : अर्थात् यह विचाराधीन है ।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : जी हां, इस पर विचार किया जा रहा है ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : उत्तर के भाग (घ) और (ङ) में कहा गया है कि तीन शिक्षाविदों ने हस्ताक्षर करके एक खुला पत्र लिखा है जो कि मंत्रालय में प्राप्त हुआ है । वे हैं मिस एन्ड्रे बिटेली,

मृणाल दत्त रे और रजनो कोठारी । मंत्री महोदय ने कहा है कि उनका पत्र विचाराधीन है । पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शिक्षा मंत्रालय ने कुछ वर्षों से अपनी विदेश नीति बना ली है । उसके अनुसार ही मनमाने ढंग से अनुमति दी जाती है । अब नीति के किस पहलू पर विचार किया जा रहा है । जहां तक राष्ट्रीय हितों के संरक्षण का प्रश्न है मैं आप से सहमत हूं । परन्तु जहां तक भाग (ii) और (iii) में दिये गये कारणों का संबंध है यह कौन तय करेगा कि यह शिक्षा के हित में है और कि क्या यह विवादस्पद मामला है अथवा नहीं ।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : प्रश्न के उत्तर में लम्बा समय लगेगा ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें अनेक प्रश्न पूछे गये हैं ।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : राष्ट्र हितों और संस्था के स्वरूप पर ध्यान दिया जाता है । हम विदेशों में अपनी एजेन्सियों से सूचना प्राप्त करते हैं । वे इस सूचना को विदेश मंत्रालय को भेजती हैं । उसके आधार पर हम आगे की कार्यवाही करते हैं । विदेश जाने के लिये यदि कोई पार्टी पूरा व्यय सहन करे तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती । यदि संयुक्त राष्ट्र या ऐसा कोई अन्य अन्तर्राष्ट्रीय निकाय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय निमन्त्रण देते हैं और यह सीधे विश्वविद्यालय में प्राप्त होता है तो संबंधित कुलपति निर्णय करते हैं और अनुमति देते हैं । हमारी अनुमति अपेक्षित नहीं होती। यदि विदेशी एजेन्सियां यात्रा व्यय और स्थानीय सत्कार का व्यय वहन करती है तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या शिक्षाविदों को इसे स्वीकार करना चाहिये । इस संबंध में हम कुछ शर्तें लगाते हैं । माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित पत्र पर हमने विचार किया है । पत्र में दो मामलों का जिक्र है । एक डा० रामचन्द्र गांधी का है । उन्होंने तो स्वयं इस सरकार की नई नीति की प्रशंसा की है । दूसरा मामला अन्य तीन प्रोफेसरों का है । यह एक लम्बा मामला है । इसके लिये विदेश से निमन्त्रण प्राप्त नहीं हुआ था परन्तु इसमें सरकार ने एक प्रतिनिधि मंडल भेजना था । ऐतिहासिक गवेषणा परिषद् की प्रथम सूची में इस प्रोफेसर का नाम नहीं था । दूसरी सूची में उसका नाम था । फिर एक तीसरी सूची थी उसमें उसका नाम नहीं था । चौथी सूची में उसका नाम था, परन्तु कोष्टकों में अर्थात् यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि वह उस स्थान पर किस विषय का कार्य करेंगे । वित्त मंत्रालय ने वित्तीय दृष्टि से 9 सदस्यों के स्थान पर 7 सदस्य भेजने की सलाह दी थी । अतः प्रश्न यह था किन दो नामों को कम किया जाये । प्रो० दांडेकर ने स्वयं ही निजी कारणों से अपना नाम वापिस ले लिया। एक नाम और कम करना था । प्रश्न यह था कि अपने विषय का उल्लेख न करने वाले प्रोफेसर के नाम को हटाया जाये या किसी अन्य का । प्रो० आर० एस० शर्मा, जिन्होंने अपने विषय को नहीं बताया था का नाम हटा दिया गया था। इसमें कोई राजनीति नहीं है।

श्री वयालार रवि : मेरे पास उनके मंत्रालय का एक पत्र है । यह जे० एन० यू० के प्रोफेसर बिपन चन्द्र के बारे में है । यह पत्र उनकी लन्दन की प्रस्तावित यात्रा के बारे में है । यह मेक्सीको से लन्दन जाना चाहते हैं । उन्हें राजनीतिक कारणों से अनुमति नहीं दी गई है । आप कहते हैं कि हमारे यहां लोकतंत्र है । परन्तु इस मामले में राजनीतिक कारणों से रोक लगायी गई है ।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैंने पत्र नहीं देखा है । मैं बिना देखे उत्तर नहीं दे सकता । मैं पत्र देखने के बाद उत्तर दे सकता हूं कि क्यों अनुमति नहीं दी गई ।

श्री वयालर रवि : क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि राजनीतिक आधार पर प्रोफेसरों को विदेश जाने से रोका नहीं जायेगा ।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : आजकल राजनीतिक आधार में सब कुछ आ जाता है । इस संबंध में 'राष्ट्रीय हित' भी 'राजनीतिक आधार' से सम्बद्ध है । प्रो० आर० एस० शर्मा के मामले में राजनीतिक आधार नहीं था।

डा० सुब्राह्मण्यम स्वामी : जैसा कि वक्तव्य में कहा गया है आमंत्रण पत्रों पर 1955 से ही नजर रखने की प्रक्रिया चालू हो गई थी लेकिन सरकार ने 1972 में ही लोगों को बाहर जाने से रोकना प्रभावी ढंग से आरम्भ किया । सबसे पहला मामला मेरा था (व्यवधान) मुझे प्रतिष्ठित हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भाषण देते जाना था । मुझे रोका गया । अतः ये श्री नुरुल हसन से मिले हुए थे और शिक्षाविदों से झूठे पत्र ले लेते थे और जो व्यक्ति सरकार की नीतियों का अनुसरण नहीं करते थे उन्हें बाहर जाने से रोका जाता था (व्यवधान) मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या यह तथ्य है कि आमंत्रण पत्रों को पिछली सरकार रॉ के पास जांच हेतु भेजती थी । रॉ से यह पूछा जाता था कि अमुक व्यक्ति को अनुमति दी जाये या यहीं । 1972 से यह नियम लागू है । क्या उन्हें शिक्षाविदों से इस बारे में कोई विरोधपत्र प्राप्त हुआ है ? तीसरे क्या मंत्री जी यात्रा की स्वतन्त्रता के बारे में जबकि सरकारी खर्चे पर यात्रा न की जा रही हो, मानवीय अधिकार में विश्वास करते हैं ? क्या इस नियम में परिवर्तन पर विचार किया जा रहा है ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : पहले दो प्रश्नों के बारे में मुझे जानकारी नहीं । तीसरे प्रश्न के बारे में बात यह है कि हम समूचे मामले पर विचार कर रहे हैं और विदेशों की यात्रा के बारे में समूची नीति पर विचार किया जायेगा ।

Shri Vijay Kumar Malhotra : During the last 3 to 5 years when Shri Nurul Hasan was the Education Minister, Communist card holders were appointed in the education field and even now they are sent abroad. Our academicians are being purchased.

There are good sportsmen in the country who are not allowed to go abroad due to shortage of foreign exchange. On the other hand thousands of people go out on the pretext of ordinary diseases.

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : यह सब बातें विचाराधीन हैं ।

श्री सी० एन० विश्वनाथन : मंत्री जी ने कहा कि संस्था प्रमुख से आवश्यक अनुमति लकर केन्द्रीय सरकार को सूचना देनी होगी । लेकिन आपात काल की नीति अभी तक लागू क्यों है । आप कब इस पर पुनर्विचार करेंगे । क्या वह उनके बदलने का आश्वासन देंगे ।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : नीति पर पुनर्विचार हो रहा है ।

श्री टी० ए० पाई : यह कहा गया कि कार्डधारियों को पिछली सरकार ने बाहर जाने दिया और अन्यों को रोका गया । आशा है अब यह दृष्टिकोण नहीं रहेगा । लेकिन जब तक किसी दल को राजनीतिक मान्यता प्राप्त है उसका कार्डधारी होना गुनाह नहीं । लेकिन 1977 के आंकड़े देते समय मंत्री जी वही कहानी दोहरा रहे हैं । मैं इस बात से सहमत हूं कि मानवीय अधिकारों के आधार पर इस विषय पर विचार होना चाहिये । सभा को इस बारे में आश्वासन देने के मामले में सभा को कठिनाई नहीं होनी चाहिये ।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : 423 मामलों में से 376 के बारे में अनुमति दे दी गई । 19 पर विचार हो रहा है और 28 मामलों में अनुमति नहीं दी गई । प्रत्येक मामले पर अलग से विचार किया गया है । मानवीय अधिकार सापेक्ष शब्द है और हमारे संविधान में सीमित स्वतन्त्रता की बात कही गई है ।

Chaudhuri Balbir Singh : Whether during emergency only those persons were allowed to go abroad who were known propagandists of Shri Sanjay Gandhi and Smt. Indira Gandhi.

Dr. Pratap Chandra Chunder : I am not aware of it.

Ancient Monasteries in Ladakh

†*468. **Shri Om Prakash Tyagi**: Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that ancient Monasteries in Ladakh area (Kashmir) are maintaining valuable handwritten scriptures ;

(b) if so, whether Government propose to acquire them or get photostat copies thereof ; and

(c) if so, when this work is proposed to be taken up ?

The Minister of Education Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) Yes, Sir. Many of the Monasteries have their own library of manuscripts.

(b) & (c) Government has no proposal to acquire them but steps are being taken through the State Government to register such of the manuscripts as contain illustrations or paintings under Antiquities and Art Treasures Act, 1972 and prepare inventory in respect of other manuscripts.

Shri Om Prakash Tyagi : Sir, the hon. Minister has only partially replied to my question. He has not told whether it is proposed to have photostat copies of manuscripts.

Dr. Pratap Chandra Chunder : First all of them have to be registered. Then we will consider whether there is any necessity for taking potographs or not. So this is being done with the help of the State Government of Jammu and Kashmir.

Shri Om Prakash Tyagi : Sir, with the Government's present policy ; many vaiuable manuscripts have been destroyed and others will also meet the same fate if this policy continues. It is going on for the last 30 years. You are only interested in inventory.

(*Interruption*)

So in view of the above fact that the manuscripts are in decaying whether you have arranged for their photostat copies ?

Dr. Pratap Chandra Chunder : I had talked to Sheikh Abdullah and a Minister in his Cabinet Shri D. D. Thakur had called on me and we want to protect these manuscripts but their ownership rests with the monasteries. So at first we will have to make inventory. The officers of the State Government are holding talks with the officers of the Archaeological survey of India.

Shri Om Prakash Tyagi : Whether he is aware that such valuable manuscripts are there in the monasteries in Arunachal, Sikkim, Buhtan etc. Whether any step has been taken for their photostat copies ?

Dr. Pratap Chandra Chunder : My submission is that this question does not arise of the main question.

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : मंत्री जी ने कहा है कि इन्हें जम्मू और काश्मीर सरकार ने पंजीकृत नहीं किया है । प्रत्येक वर्ष बहुत से यात्री लद्दाख जाते हैं । इन मूल्यवान ग्रंथों और प्राचीन मूर्तियों की तस्करी रोकने के लिए कोई उपाय किये हैं ।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : जम्मू और काश्मीर सरकार के पंजीकरण अधिकारी और वहां के ग्रंथालय, अनुसंधान और संग्रहालय निदेशालय ने पहले ही प्राथमिक सर्वेक्षण पूरा कर लिया है । उनके अनुसार प्राचीन मूर्तियां लगभग 20,000 हैं उनमें से कुछ बाहर जा रही हैं । लेकिन सीमा शुल्क

अधिकारियों और पुरातत्व सर्वेक्षण अधिकारियों द्वारा देश से बाहर जाने वाली बहुत सी मूर्तियों का पता लगाया गया है । हाल ही में मैंने कलकत्ता में ऐसी पकड़ी गयी मूर्तियों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : इन वस्तुओं का पंजीकरण नहीं किया गया । सरकार गैर-पंजीकृत मूर्तियों की तस्करी रोकने के लिए क्या कर रही है ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैंने पहले ही सीमा शुल्क अधिकारियों और सर्वेक्षण अधिकारियों की कार्यवाही का उल्लेख किया है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने गैर-पंजीकृत वस्तुओं को कहा है । ऐसी वस्तुओं का ले जाना अपराध नहीं । आप उस बारे में क्या कर रहे हैं ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : इस सभा द्वारा पारित अधिनियम के अनुसार हम उपाय कर रहे हैं हमारे देश में बहुत मूर्तियां हैं । अतः थोड़े समय में सभी का पंजीकरण सम्भव नहीं।

Shri Hukam Chand Kachwai : Whether the representatives of monasteries and other people have repeatedly represented to the State Government for registration but they are doing it willingly. They are bent upon destroying these manuscripts. Will you give an assurance in the house in this connection ?

Dr. Pratap Chandra Chunder : I have no information in this connection. We are holding talks with the Chief Ministers and Ministers of Finance and Minister of Education of the State Government.

श्री अरविंद बाला पजनौर : न केवल जम्मू और काश्मीर से बल्कि सारे भारत से प्राचीन मूर्तियां और दस्तावेज चोरी हो रहे हैं । क्या सरकार दक्षिण भारत के मन्दिरों से मूर्तियों की तस्करी रोकने के लिए कोई अधिनियम बनायेगी ? क्या इस विषय में कोई विधेयक लाया जायेगा ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : पुरावशेष और कलाकृतियां अधिनियम. 1972 तो पहले से ही है । यदि हम यह देखेंगे कि उसके उपबंध पुरावशेषों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं तो सदस्य महोदय के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

श्री विजय सिंह नाहर : क्या सरकार ने अधिसूचित किया है कि सभी पांडुलिपियों को पंजीकृत किया जाये या केवल चित्रकारी वाले ग्रंथों का ही पंजीकरण किया जायेगा । यदि चित्रों के बगैर ग्रंथों का पंजीकरण नहीं किया जाता तो क्या अब ऐसा किया जायेगा ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैंने पहले ही उत्तर में कहा है कि चित्रों तथा चित्रकारी वाली पांडुलिपियों को ही पंजीकृत किया जायेगा । ऐसी 20,000 पांडुलिपियां हैं । हमें उनके पंजीकरण के बारे में देखना है ।

Forest Rangers Training College at Betul, M.P

***470. Shri Subhash Ahuja** : Will the **Minister of Agricultre and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government have received proposal to open a Forest Rangers' Training College in Betul District in Madhya Pradesh ; and

(b) if so, the time by which the college is likely to be opened ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) :

(a) A proposal to open a Forest Rangers Training College at Betul was received in 1975.

(b) The proposal was not accepted.

Shri Subhash Ahuja : Sir, M. P. is not only famous for its forests but many developments schemes for forests are also in progress there, where lakhs of employees and officers are engaged. It is therefore necessary to establish a forest rangers' Training College there. In this connection the hon. Minister has stated that there was one such proposal for Betul which was not sanctioned. I do not know the reasons therefor.

Whether the hon. Minister will reconsider that proposal and sanction the same ?

Shri Surjit Singh Barnala : After 1975 it was felt that there should be another Forest Rangers' Training College. Different states were consulted and M.P. suggested Balaghat as its venue. This is being considered favourably and it is hoped that one such college will be opened there shortly.

Shri Subhash Ahuja : Sir why Betul should not considered for establishing such college as there is already Forest Guards' Training Centre there and they have to go to Dehradun for further training ?

Shri Surjit Singh Barnala : The previous Government had rejected the case for Betul in 1975. Thereafter, M. P. sent the case of Balaghat when asked and it is being considered favourably as I had stated.

Shri Laxmi Narain Naik : I want to know when this college at Balaghat will start functioning ?

Shri Surjit Singh Barnala : The case is being approved at present. It will then go to the Finance Ministry and Planning Commission. I hope we will be able to open it by next year.

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियरी के रूप में कार्य कर रहे इंजीनियरी स्नातक

*471. **श्री राजकेशर सिंह :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इंजीनियरिंग स्नातकों को जूनियर इंजीनियरों के रूप में उस वेतनमान में नियुक्त किया है जो डिप्लोमाधारियों के लिये हैं; यदि हां, तो क्यों ?

(ख) क्या सरकार ने इंजीनियरी स्नातकों के लिये बने पृथक पदोन्नति क्रम का 1972 से प्रयोग नहीं किया है और न ही इन इंजीनियरी स्नातकों के लिये कोई पृथक संवर्ग बनाया है;

(ग) क्या भारत के उच्चतम न्यायालय ने मैसर्स टी० एम० खोसा तथा अन्य व्यक्ति बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य मुकदमे में स्पष्ट रूप से यह निर्णय दिया था कि एक संवर्ग में पदोन्नति के उद्देश्य से वर्गीकरण शैक्षिक अर्हताओं के आधार पर किया जा सकता है भले ही कार्य का स्वरूप एक ही हो; और

(घ) यदि हां, तो स्नातक जूनियर इंजीनियरों के लिये इस प्रकार का वर्गीकरण करने तथा इन स्नातक जूनियर इंजीनियरों को पदोन्नति के लिये सी० ई० एस० तथा सी० ई० ई० एस० नियम 1954 के नियम 3(ख) के अन्तर्गत कोटा निर्धारित करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा है ।

विवरण

(क) जूनियर इंजीनियर के पद के लिए अर्हता इंजीनियरी में डिप्लोमा या इसके समकक्ष या कोई उच्चतर योग्यता है । यह स्नातकों की नियुक्ति में बाधा नहीं डालती जो आवेदन देते हैं और चुने जाते हैं।

(ख) जी, हां । तथापि, स्नातकों की पदोन्नति के लिए एक कोटे के रूप में पृथक् पदोन्नति क्रम को न्यायालय द्वारा खत्म कर दिया गया था।

(ग) तथा (घ) न्यायालय के सामने यह मसला था कि जब निम्नतर काडर में स्नातक तथा गैर-स्नातक हों तो क्या पदोन्नति स्नातकों तक ही सीमित करने संबंधी नियम से संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा । न्यायालय ने यह फैसला दिया कि यह उल्लंघन नहीं था । तथा यह निर्णय किया कि ऐसा वर्गीकरण शैक्षणिक अर्हताओं के आधार पर किया जा सकता है । इस निर्णय में पदोन्नति के लिए कोई अनिवार्य व्यवस्था निर्धारित नहीं की गई लेकिन केवल इस बात का उल्लेख किया है कि जम्मू व कश्मीर सरकार द्वारा लागू की गई पद्धति असंवैधानिक नहीं थी । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर से सहायक इंजीनियर के पद पर पदोन्नति करने के लिए स्नातकों तथा गैर-स्नातकों के बीच कोई भेद नहीं किया जा रहा है । इस का काडर से समग्र रूप से अवरोध है ।

Shri Rajkeshar Singh : Sir, I want to know why sub-rule 3(6) of Recruitment Rules for Graduate Junior Engineers is not being applied in C.P.W.D., whereas the pay scales of graduate and Diploma engineers in Central Water Commission and Central Elecericity Supply Authority are not only the same but Technical Assistants are also given 67 per cent quota for promotion also ?

Shri Ram Kinkar : Sir, the situation in C.P.W.D. being different, it is not possible to do so due to much stagnation there.

Shri Rajkeshar Singh : Whether the efficiency and quality of the Department can be sacrificed due to the large number of Diploma Engineers ? Whether he can cite cases wherein the percentage of graduate engineers working on the post of Asstt. Engineers is less than 67 ?

Shri Ram Kinkar : Sir, there is no need to cite examples. In view of both the Diploma and graduate engineers filling the same posts, they will have to be treated as par.

श्री जगन्नाथ राव : विवरण के अनुसार डिप्लोमा इंजीनियरों को सहायक अभियंताओं के पद पर पदोन्नति दी जाती है परन्तु अधिशासी अभियंता के पद पर पदोन्नति से वंचित रखा जाता है । न्यायालय के निर्णयानुसार किसी अधिकारी वर्ग को आरक्षण देने की आवश्यकता नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : न्यायालय के अनुसार विभाग को उन्हें पदोन्नति देने या न देने तथा स्नातक अभियंताओं को अधिमान देने या न देने का अधिकार है।

Shri Lalji Bhai : The ratio of promotion to the post of Asstt. Engineer from Graduate and Diploma Junior Engineers till 1972 was 50 : 50. But this was stopped thereafter whereas the quota of promotion for Graduate Junior Engineers in other Departments is 67 per cent. I want to know whether separate percentage will be fixed for promotion for Degree and Diploma Junior Engineers as their capacity and functions are different ? The Government can take such decision as the Supreme Court has laid down that promotion rules can be framed on the basis of qualifications though the duties might be the same. What is his reaction thereto ?

Shri Sikander Bakht : According to recruitment rules of 1972, diploma in Engineering or equivalent thereof or any other higher qualification, Openings for them in recruitment are very few. Therefore, it will do injustice to them if percentage for promotion is lowered.

आन्ध्र प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों को हुई क्षति

*472. **श्री अनन्त दवे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में हाल ही में आये समुद्री तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों को कितनी क्षति पहुंची;

(ख) इस कारण अनाज की कितनी हानि हुई; और

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम का विचार समुद्री तूफान से प्रभावित हो सकने वाले क्षेत्रों से दूर गोदाम बनाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया हैं कि हाल ही में आन्ध्र प्रदेश में आए तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में स्थित कुछेक गोदामों की कुछेक छतों की चादरें उड़ गयी थीं और बिजली की कुछ फिटिंग क्षतिग्रस्त हो गई थी । अनुमान है कि मरम्मत पर 40,000 रु० की लागत आएगी ।

(ख) 35,000 मीटरी टन खाद्यान्न प्रभावित हुए बताए जाते हैं । प्रभावित स्टाक को साफ करने का कार्य प्रगति पर है और प्रभावित स्टाक को साफ करने के बाद ही वास्तव में क्षतिग्रस्त हुई मात्रा का पता चल पाएगा ।

(ग) जी नहीं । खाद्यान्न के भण्डारण गोदामों के स्थानों को चुनने के लिए, वसूली की मात्रा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं, भूमि की उपलब्धता, रेलवे की दृष्टि से उपयुक्तता जैसी कई एक बातों को ध्यान में रखा जाता है ।

Shri Anant Dave : Sir, I want to know the value of foodgrains affected ?

Shri Bhanu Pratap Singh : As I have stated, the salvage work is in progress. Out of 35,000 tonnes, 5,005 tonnes is estimated to have been rendered unsuitable for human consumption. Loss to the tune of 1.25 crores is estimated.

Shri Anant Dave : How the damaged grain would be made use of ?

Shri Bhanu Pratap Singh : First we examine the grain. If it is found unfit for human consumption, it is not released for eating. There are rules in this regard. State Governments are consulted regarding its disposal. It is also ensured that grain not fit for consumption does not reach consumers for eating.

Shri Tej Pratap Singh : Whether grain is not supplied under the rules to people living nearby though it may deteriorate and whether they have purchasing power or not ? Whether this grain will be supplied to cyclone affected people and whether rules will be changed for this purpose ?

Shri Bhanu Pratap Singh : Cyclone-affected people are being given very good quality grain and there is no scarcity for them. We are ensuring that grain not fit for human consumption does not reach the people.

श्री एम० एस० संजीवी राव : आंध्र प्रदेश में तूफान के कारण भारी क्षति, विशेषकर अनेक कारखानों के ध्वस्त हो जाने के कारण बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए क्या मंत्री महोदय गोदाम बनाने पर विचार करेंगे ताकि इस समस्या को कुछ सीमा तक हल किया जा सके ?

श्री भानु प्रताप सिंह : गोदामों का बड़े पैमाने पर निर्माण आरंभ हो चुका है और उस क्षेत्र में भी निःसन्देह उचित अनुपात में गोदाम बनाए जाएंगे ।

Community Tube-Wells for Small and Marginal Farmers

*473. **Shri Rudra Sen Chaudhury** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government have a scheme to instal small community tubewells for the uplift of small and marginal farmers in the backward areas ; and

(b) if so, the details thereof ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ख) जी हां । राज्य योजना संसाधनों तथा संस्थागत निवेश के माध्यम से क्रियान्वित की गई सामान्य लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत जहां कहीं भी संभव है, छोटे सामुदायिक नलकूल लगाए जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त, लघु कृषक विकास एजेंसी, सूखे से प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम, समेकित जन जाति विकास कार्यक्रम, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम आदि जैसे केन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रमों के अन्तर्गत सामुदायिक कूओं के निर्माण पर विशेष जोर दिया जा रहा है । इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत सामुदायिक कूओं के लिये 50 प्रतिशत की विशेष रूप से अधिक राज्य सहायता दी जा रही है ।

Shri Rudra Sen Chaudhury : Sir, the reply of the hon. Minister should have been in Hindi.

Whether any concrete official arrangements have been made for irrigation for small and marginal farmers who have not yet been able to make their own arrangements like community tubewells because there are many such farmers whereas big and medium farmers have already made their own arrangements ?

Shri Surjit Singh : I have already stated that these central projects are for those small farmers who have holdings ranging from one to two hectares and they are given 25 per cent subsidy or assistance thereunder and those having holdings up to one hectare are given 33⅓ per cent subsidy, 50 per cent subsidy is given for community works.

Shri Rudra Sen Chaudhury : I wanted to know whether subsidy is given individually to those who install them own tubewells or whether Government will provide tubewells collectively for those small farmers who cannot make their own arrangements for irrigation ?

Regarding U. P. I want to know whether a survey will be conducted through Small Marginal Farmers Deveopment Agency to assess the requirements of tubewells for small and marginal and whether these tubewells will be provided to them ?

Shri Surjit Singh Barnala : I have already stated that when tubewells are Provided for community works subsidy up to 50 per cent is provided and when they are individually provided the subsidy is less. Regarding U.P., only the State Government can tell what arrangements have been made there. We, on own part, want that such arrangements should be made in most of the States.

Shri Rudra Sen Chaudhury : I had specially asked whether any programme has been made by S. F. D. A. a central agency ?

Shri Surjit Singh Barnala : S. F. D. A. installs tubewells whenrever the conunity desires. Many such tubewells have already been installed.

Shri Ram Kanwar Berwa : I want to know the number of tubwells installed in different states ?

Shri Surjit Singh Barnala : Since this information was not sought originally, I, therefore, cannot give the same.

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : उन्होंने कहा है कि वह उत्तर प्रदेश का दृष्टांत अपनाने जा रहें है। क्या पंजाब और हरियाणा का दृष्टांत भी अन्य राज्यों में अपनाया जाएगा।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : पंजाब और हरियाणा राज्यों के अनेक भागों में सामुदायिक नलकूप नहीं हैं केवल राजकीय नलकूप लगे हुए हैं ।

Shri R. P. Verma : Whether Government are determined to provide irrigation to small and marginal farmers throughout the country in a definite period ?

Shri Surjit Singh Barnala : There is no such scheme to cover all the farmers having holdings upto one acre in a definite period.

श्री एस० नजेश गौड़ा : इस पूरे क्षेत्र में प्रगति संतोषजनक नहीं है जबकि बड़ी बड़ी योजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं । छोटे किसानों के लिए नलकूप लगा कर उनसे पानी का खर्च क्यों नहीं लिया जाता और बड़ी सिंचाई योजनाओं के लिए अंशदान क्यों नहीं लिया जाता । वह इस संबंध में नई नीति क्यों नहीं बनाते ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : प्रत्येक वर्ष 150,000 नलकूप दिए जाते हैं । इस वर्ष भी ऐसा ही होगा । यदि सदस्य महोदय को कोई शिकायत किसी क्षेत्र के बारे में हो तो मैं उस पर ध्यान दूंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

1976-77 में चीनी की उत्पादन लागत से कम औसत की आय (रियलाइजेशन)

*469. **श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी उद्योग को 1976-77 से अब तक के चीनी उत्पादन से हुई अखिल भारतीय औसत आय (रियलाइजेशन) लेवी और लेवी युक्त चीनी दोनों की दृष्टि से अखिल भारतीय औसत उत्पादन लागत की तुलना में काफी कम रही है ;

(ख) यदि हां, तो प्रति क्विंटल चीनी पर अन्तर कितना है तथा 1976-77 में कुल उत्पादन पर चीनी उद्योग को कुल कितनी हानि हुई; और

(ग) सरकार का चीनी उद्योग को उससे होने वाली भारी हानि को किस प्रकार कम करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) अक्टूबर, 1977 तक अखिल भारतीय आधार पर आय में कमी लगभग 8.25 रु० प्रति क्विंटल थी । तथापि, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि 1976-77 के समूचे उत्पादन के लिए उद्योग की वित्तीय स्थिति क्या होगी क्योंकि :

(1) शेष स्टाक से होने वाली आय के भिन्न-भिन्न होने की सम्भावना है, और

(2) लेखा अवधि की समाप्ति के छः महीने के बाद ही वास्तविक वित्तीय परिणाम सामान्यतया उपलब्ध होते हैं।

(ग) चीनी उत्पादकों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने और गन्ना-उत्पादकों तथा चीनी के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने हाल ही में खुली बिक्री की चीनी पर उत्पादन शुल्क में $17\frac{1}{2}$ प्रतिशत कमी कर दी है।

कृषि सहकारी समितियों के कार्य का पुनरीक्षण

*474. **डा० हेनरी आस्टिन :**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **कृषी और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रथम भारतीय कृषि सहकारिता कांग्रेस ने, जिसका नवम्बर, 1977 में त्रिवेन्द्रम में तीन दिवसीय सम्मेलन हुआ था, केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि कृषि सहकारी समितियों के कार्य का पुनरीक्षण करने और इस आन्दोलन में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के उपाय सुझाने के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाये;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की उनके सुझाव पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इसमें अन्य क्या सुझाव दिए गए हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) से (ग) सरकार को नवम्बर, 1977 में त्रिवेन्द्रम में हुई प्रथम भारतीय कृषि सहकारिता कांग्रेस द्वारा की गई सिफारिशों के बारे में कोई सूचना या संकल्प प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, कृषि सहकारी सोसायटियों के कार्यचालन की प्रगति का राज्य सरकारों के अलावा भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवधिक बैठकों तथा चर्चाओं में पुनरीक्षण किया जा रहा है। सहकारी सोसायटियों के पंजीयकों तथा सहकारिता राज्य मंत्रियों के वार्षिक सम्मेलनों में सहकारी सोसायटियों की प्रगति तथा समस्यायों का पुनरीक्षण किया जाता है तथा राज्य सरकारों और सहकारी सोसायटियों द्वारा कार्यान्वियन के लिए उपचारी उपायों की सिफारिशें की जाती है।

अनौपचारिक शिक्षा

*475. **श्री के० राममूर्ति :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों ने अनौपचारिक शिक्षा के लिये जिला स्तर पर योजनाएं तैयार की है तथा उचित कार्यक्रम निर्धारित किये हैं;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार छठी योजना के दौरान अनौपचारिक शिक्षा के विकास के लिये व्यापी आधार पर क्या कार्यवाही कर रही है।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) राज्य योजनाएं अभी तक अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं । कुछ राज्यों ने अपनी योजनाएं तैयार कर ली हैं और सरकार द्वारा वार्षिक योजना 1978-79 के संदर्भ में उन पर विचार-विमर्श किया जा रहा है । इन राज्य योजनाओं में 9-14 आयु-वर्ग के बीच के स्कूल छोड़ने वाले और अन्य निरक्षर/अर्ध साक्षर बच्चों तथा 15-35 आयु-वर्ग के निरक्षर प्रौढ़ों दोनों के लिए अनौपचारिक शिक्षा के ठोस कार्यक्रम शामिल हैं । इन योजनाओं का अन्ततोगत्वा सरकार द्वारा जिला स्तरों पर कार्यान्वित किये जाने वाले उपयुक्त कार्यक्रमों में विभाजित कर दिया जाएगा ।

भारत सरकार ने भावी शैक्षिक योजनाओं में प्रारम्भिक शिक्षा और प्रौढ़-शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने को उच्च प्राथमिकता देने का निर्णय किया है । अगले पांच वर्षों अर्थात् 1978-83 के दौरान, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के अन्तर्गत 9-14 आयु-वर्ग के 160 लाख बच्चों और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के अन्तर्गत 15-35 आयु-वर्ग के 650 लाख निरक्षर प्रौढ़ों को शामिल करने का प्रस्ताव है । ये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम होंगे, जिनमें सभी क्षेत्र और समाज के सभी वर्ग शामिल होंगे ।

हरिजनों तथा आदिवासियों के लिये सरकार द्वारा मकानों का योजनाबद्ध निर्माण

*476. **श्री डी० बी० चन्द्र गौड़ा**: क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिये कोई योजना बनाने का है जिससे कि आदिवासियों तथा हरिजनों के लिये पहले चरण में और इसके बाद पिछड़े वर्गों के लोगों के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों का योजनाबद्ध निर्माण हो सके;

(ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान सरकार अपनी योजनाओं में कहां तक सफल हुई है; और

(ग) उनकी भावी योजना संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) 1. राज्य क्षेत्र में पिछड़े वर्गों के लिए कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए मकानों के निर्माणार्थ सहायता देने की एक योजना है ।

2. भारतीय रिजर्व बैंक ने जून, 1976 में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों को विभिन्न योजनाओं के लिए जिसमें ग्रामीण आवास योजना शामिल है, बैंक ऋण देने के लिए कुछ मार्गदर्शन जारी किए थे इसमें यह व्यवस्था थी कि बैंक ऋण प्रत्येक योजना की लागत के 40 प्र० श० से अधिक बढ़ना नहीं चाहिए और आवास योजनाओं और होस्टलों की योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए, और जो विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए उद्दिष्ट हैं, बैंक ऋण पर ब्याज की अवकल दर योजना के अन्तर्गत अर्थात् 4 प्र०श० की निर्धारित दर से बढ़नी नहीं चाहिए ।

3. निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा बनायी गयी सामाजिक आवास योजनाएं समाज के सभी सदस्यों पर बिना किसी जाति, वर्ग और समुदाय के भेदभाव के लागू होती है । तथापि, आदिवासी, हरिजन और पिछड़े वर्गों के लोग निम्नलिखित आवास योजनाओं से काफी लाभ उठा सकते हैं ।

(i) ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम ।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने की योजना ।

(iii) निम्न आय वर्ग आवास योजना ।

(iv) गन्दी बस्ती उन्मूलन/सुधार योजना; और

(v) बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना ।

पांचवी योजना में कार्यक्रम का मुख्य बल समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की आर्थिक स्थिति को सुधारने की ओर है । आवास के क्षेत्र में प्रस्तावित भावी कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं· --

(i) ऐसे आवासीय कार्यक्रम को अपनाना जिसका उद्देश्य 20 वर्ष की अवधि के अन्तर्गत पिछले वर्षों की आवास की कमी पूरा करना और जनसंख्या की वृद्धि के कारण हुई मकानों की अतिरिक्त मांग पूरा करना तथा बेकार मकानों के स्थान पर नए मकान बनाना है ।

(ii) सरकारी निधियों के प्रयोग को उन परिवारों तक सीमित रखना जिनकी मासिक आय 1000 रुपये से अधिक नही है ताकि इस क्षेत्र को नियतन किए गए साधनों से अधिक से अधिक रिहायशी मकानों का निर्माण किया जा सके ।

(iii) गैर सरकारी क्षेत्र को बड़े पैमानों पर मकानों का निर्माण आरम्भ करने के लिए प्रोहतसाहन देने के लिए व्यवस्था ।

केन्द्रीय मत्स्य निगम

477. **श्री शाम प्रसन्न भट्टाचार्य** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय मत्स्य निगम को 3 सितम्बर को यह निदेश दिया था कि वह मछली की प्राप्ति के लिये कोई नया करार न करे;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय मत्स्य निगम द्वारा मछली उपलब्ध करने का स्रोत समाप्त हो गया है और इससे गैर-सरकारी व्यापारियों को बनावटी कमी पैदा करके पश्चिम बंगाल की जनता का शोषण करने और मछली के लिये बहुत अधिक मूल्य मांगने का अवसर मिल गया है;

(ग) क्या भारत सरकार निगम पर से वह प्रतिबन्ध उठाने के प्रश्न पर विचार कर रही है जिससे निगम जनता के हित में प्रभावी रूप से काम कर सके;

(घ) क्या राजस्थान, मद्रास, पंजाब और हरियाणा जैसी कुछ राज्य सरकारों ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि केन्द्रीय मत्स्य निगम के लिये धनराशि रिलीज की जाये जिससे उन राज्यों में मछली के उत्पादकों को मछली के लिये पर्याप्त उचित मूल्य प्राप्त हो सके; और

(ङ) यदि हां, तो भारत सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठायें हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां ।

(ख) निगम का कार्य प्रमुख रूप से कलकत्ता की मंडी को मछली की सप्लाई करने तक सीमित रखा गया है, न कि पश्चिम बंगाल राज्य को । इसके अतिरिक्त, मंडी की कुल सप्लाई की तुलना में निगम द्वारा कलकत्ता की मंडी को सप्लाई की गई मात्रा इतनी सीमित रही है कि यह मूल्य पर या कलकत्ता के उपभोक्ताओं को उपलब्ध की गई मछलियों की मात्रा पर कभी भी कोई महत्वपूर्ण प्रभाव न डाल सकी । अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) इस समय ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

Godavari Water Dispute

*478. **Shri Sharad Yadav :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) when the Tribunal set up for Godavari Water Dispute will submit its report; and

(b) whether technical approval is being accorded to Godavari basin irrigation schemes of Madhya Pradesh ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) The Godavari Water Disputes Tribunal have indicated that the party—States have been seeking adjournment of the hearing of the Godavari case from time to time on the ground that they are mutually negotiating a settlement of the Godavari dispute. The Tribunal expects to submit its report by May, 1978 if some mutual settlement is reached amongst the States and is filed before the Tribunal at its next sitting fixed for 2nd January, 1978.

(b) Major and medium irrigation projects of Madhya Pradesh in Godavari Basin are being cleared in accordance with the agreement reached amongst the concerned States in December, 1975.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन

*479. **श्री अण्णासाहिब गोटखिडे :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ब्याज की दर में कमी करने, पुनर्भुगतान की अवधि बढ़ाने, शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिए योजनाओं आदि के बारे में महाराष्ट्र राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, बम्बई के अध्यक्ष द्वारा 28 सितम्बर, 1977 को नई दिल्ली में प्रधान मंत्री को प्रस्तुत ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें उठाई गई अलग-अलग बातों पर, सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) उसमें उठाई गई बातों की जांच की जा रही है ।

भारत में रह रहे बांगला देश तथा पाकिस्तान के शरणार्थियों पर खर्च

*480. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में रह रहे बांगला देश तथा पाकिस्तान के विस्थापितों की 30 अक्टूबर, 1977 तक कितनी संख्या थी;

(ख) उनके पुनर्वास पर भारत द्वारा कितनी राशि खर्च की गई; और

(ग) क्या उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान से आए सभी विस्थापित व्यक्ति, जिनकी संख्या लगभग 47.40 लाख है, बहुत पहले ही बसा दिए गए हैं। भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए कुल 52.31 लाख व्यक्तियों में से लगभग 10,000 परिवार शेष रह गए हैं जिनके पुनर्वास के बन्ध में कार्रवाई की जा रही है।

(ख) 31-10-77 तक इन विस्थापित व्यक्तियों की राहत और पुर्नवास पर किया गया व्यय निम्न है :—

(i) वे जो भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान से आए	210.50 करोड़ रुपए
(ii) वे जो भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए	488.20 करोड़ रुपए

(ग) संविधान के अनुच्छेद 6 के अन्तर्गत आने वाले "विस्थापित व्यक्ति" स्वतः ही भारतीय नागरिक बन गए थे। अन्य पात्र व्यक्ति जो नागरिक अधिकार चाहते हैं उनके सम्बन्ध में इस विषय से सम्बन्धित लागू हिदायतों के अनुसार भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के अधीन सक्षम प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जाती है।

मध्य प्रदेश की काली मिट्टी में दो बार खेती करना

481. **श्री परमानन्द गोविन्द जी वाला**: क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मार्गदर्शी परियोजनायें आरम्भ करके मध्य प्रदेश राज्य के केन्द्रीय काली मिट्टी क्षेत्र में लगभग 40 लाख हैक्टेयर के विशाल क्षेत्र में दो बार खेती करने के बारे में अध्ययन करने की किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसी परियोजनायें आरम्भ करने अथवा उन्हें आरम्भ करने में सहायता देने के लिये अनुरोध किया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के काली मिट्टी की समस्या वाले वृहत् क्षेत्रों के विकास हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी की खोज के लिये जुलाई, 1977 में केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में इन्दौर जिले के आगरा ग्राम में 1977-78 के लिये प्रचालनात्मक मार्गदर्शी परियोजना स्वीकृत की है। परियोजना में खरीफ की फसलें उगाने के लिये जल निकास और ग्रेविटी सिंचाई हेतु जल उपयोग के ढ़ांचों के निर्माण तथा प्रदाता जलग्रह क्षेत्रों में जल के पुनः आवर्तन पर बल दिया गया है। इससे उन्हीं खेतों में रबी मौसम के दौरान दूसरी फसल उगाने में सहायता मिलने की संभावना है।

(ख) काली मिट्टी समस्या क्षेत्रों के विकास के लिये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।

"प्रोजेक्ट टाइगर" सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय दल का प्रतिवेदन

482. **श्री वसन्त साठे**: क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "प्रोजेक्ट टाइगर" सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय दल का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में उल्लिखित महत्वपूर्ण निष्कर्ष और सुझाव क्या हैं;

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) क्या परियोजनाओं की कर्णधार समिति के एक सदस्य ने प्रतिवेदन की आलोचना की है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है और "प्रोडक्ट टाइगर" में क्या परिवर्तन करने का विचार है।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजित सिंह बरनाला) : (क) से (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1419/77]**

उगांडा से आए भारतीयों का पुनर्वास

*483. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उगांडा से भारतीय स्वदेश लौट आये थे ;

(ख) भारत में इस समय ऐसे कितने व्यक्ति हैं; और

(ग) क्या उनका पुनर्वास कर दिया गया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख़्त) : (क) जी, हां।

(ख) 31-12-1973 तक भारतीय पासपोर्ट वाले 5727 (आपात प्रमाण-पत्रों वाले 400 व्यक्तियों को शामिल करके) भारत आ गए थे।

उगांडा प्रत्यावासियों के पुनर्वास के संबंध में स्थिति

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आए परिवारों की संख्या	सहायता के लिए आवेदन करने वाले परिवारों की संख्या	परिवारों की संख्या जिन्हें सहायता दी गई	वितरित राशि (लाख रुपयों में)	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
1. गुजरात	730	508	502	13.55	विवरण के अभाव में 5 अभ्यावेदन नामंजूर किए गए । शेष एक अभ्यावेदन लम्बित पड़ा है ।
2. राजस्थान	3	—	—	—	
3. उत्तर प्रदेश	6	—	—	—	
4. पंजाब	101	101	88 (व्यवसाय ऋण)	4.29	व्यवसाय ऋण के लिए 13 अभ्यावेदन और आवास ऋण के लिए 8 अभ्यावेदनों की जांच की जा रही है ।
			23 (आवास ऋण)	2.47	
5. हरियाणा	2	2	2	0.18	
6. महाराष्ट्र	26	26	14 (व्यवसाय ऋण)		
			12 (आवास ऋण)	1.11	

1	2	3	4	5	6
7. केरल	24	1	1	0.05	
8. दिल्ली	21	—	—	—	21 परिवारों में से 7 परिवारों ने सहायता के लिए पंजीकरण कराया फिर भी, एक परिवार को छोड़कर कोई भी परिवार अपने प्रार्थना-पत्रों की छानबीन के लिए उपस्थित नहीं हुए, परिणामस्वरूप उन्हें फाइल कर दिया गया था। एक अभ्यावेदन अब भी विचाराधीन है।
9. गोवा, दमन और दीव	94	16	—	—	स्थानीय प्रशासन से कालम 4 और 5 के बारे में जानकारी की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है।
जोड़	1007	654	607 35 (आवास ऋण)	21.65	

राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में पशु तथा दुग्ध के विकास के लिये एकीकृत कार्यक्रम

484. **श्री एस० एस० सोमानी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की सहायता से राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में पशुओं तथा दुग्ध के विकास के लिये एकीकृत कार्यक्रम चलाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां तो क्या विश्व बैंक के नियंत्रण पर इस योजना पर चर्चा करने के लिए राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अमरीका का दौरा किया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार के निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां, वर्ष 1974 में इस प्रकार की एक योजना स्वीकृत की गई थी।

(ख) जी हां, भारत सरकार, राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और कृषि पुनर्वित विकास निगम के अधिकारियों के एक शिष्टमंडल ने अक्तूबर, 1974 के दौरान अमरीका का दौरा किया था।

(ग) भारत सरकार ने विश्व बैंक सहायता के अन्तर्गत राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में समेकित पशु एवं डेरी विकास कार्यक्रमों की योजनाओं के लिये क्रमशः 41.44 करोड़ रु० तथा 25.00 करोड़ रु० की धनराशि की मंजूरी दी थी।

ब्रह्मपुत्र-गंगा नहर का प्रस्ताव

*485. **श्री अमर राय प्रधान**: क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रह्मपुत्र गंगा नहर के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस नहर के लिए तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) शुष्क मौसम के दौरान गंगा के जल-प्रवाह में वृद्धि करने के लिए जिन स्कीमों की परिकल्पना की गई है, ब्रह्मपुत्र और गंगा को जोड़ने की स्कीम उनमें से एक है।

(ख) जी नहीं।

कीटनाशी तथा कृमिनाशी पदार्थों के अत्यधिक प्रयोग से खतरा

*486. **श्री परमानन्द गोविन्दजी वाला**: क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कीटनाशी तथा कृमिनाशी पदार्थों के अत्यधिक प्रयोग के खतरों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही करेगी?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) जी हां।

(ख) देश में कृमिनाशियों के आयात, विनिर्माण तथा प्रयोग को कीटनाशी अधिनियम, 1968 (जिसका आज तक संशोधन हुआ है) के अन्तर्गत नियंत्रित किया जाता है, ताकि इससे मनुष्यों और पशुओं को होने वाले खतरे की रोकथाम की जा सके। कृमिनाशियों के प्रयोग के कारण पर्यावरण संबन्धी प्रदूषण की संभावित जोखिमों और उनको रोकथाम करने के उपायों पर अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत स्थापित की गई कृमिनाशी पर्यावरण प्रदूषण सलाहकार समिति भी विचार कर रही है। इसके अलावा, अत्यधिक कृमिनाशी अवशेषों के कुप्रभावों से मनुष्यों को बचाने तथा अच्छी कृषि पद्धतियों को विकसित करने के लिए खाद्य अपमिश्रण निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत खाद्य संबन्धी जिंसों में इनके प्रयोग की अधिकतम सीमा भी निर्धारित की जाती है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र को सहायता

*487. **श्री पी० वी० पेरियासामी**: क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1969 में महाराष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र के विश्व कार्यक्रम से किस प्रकार की और कितनी सहायता प्राप्त हुई;

(ख) इसी स्रोत से इस राज्य को हाल ही में किस प्रकार की और कितनी सहायता प्राप्त हुई;

(ग) वर्ष 1969 में और हाल ही में इससे कितने-कितने श्रमिक लाभान्वित हुए थे; और

(घ) क्या यह सहायता केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम ने पांच वर्ष की अवधि में बहु-राज्य पशुपालन तथा डेरी की दो परियोजनाओं के लिये सप्रेटा दुग्ध चूर्ण तथा मक्का सप्लाई करने का वचन दिया था। 1969 में महाराष्ट्र ने 1572 मीटरी टन सप्रेटा दुग्ध चूर्ण और 879 मीटरी टन मक्का प्राप्त किया था।

(ख) महाराष्ट्र में परियोजनाओं के लिये विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा हाल ही में और सहायता मंजूर की गई है, जो इस प्रकार है :—

गेहूं	141,459 मीटरी टन
सप्रेटा दुग्ध चूर्ण .	8,505 मीटरी टन
खाद्य तेल	9,899 मीटरी टन

(ग) 1969 में चालू की गई परियोजनाओं, 1060 कृषक और एक लाख परिवार लाभान्वित हुए। इस समय लाभानुभोगियों की संख्या 341,000 है। इसके अतिरिक्त, परियोजना 618 (आपरेशन फ्लड) के अधीन राज्यों में शुरू किये गये विभिन्न कार्यकलापों द्वारा राज्य और इसकी जनता का लाभ पहुंचा है।

(घ) जी नहीं। विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा कई दूसरे राज्यों को भी सहायता दी गई है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की चावल उत्पादन संबंधी योजना

*488. **श्री पी० के० कोडियन :**

श्रीमती पार्वती कृष्णन् :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने देश में चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रधान मंत्री को एक नये कार्यक्रम का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्। तो भी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फ़िलीपाइन के एक संयुक्त दल ने बिहार, उड़ीसा तथा पं० बंगाल के समस्या क्षेत्रों का चावल पर एक उत्पादनोमुखी सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण का उद्देश्य उन बाधाओं का पता लगाना था जो खेत की वास्तविक उपज और संभावित उपज के बीच आये अन्तर के लिये उत्तरदायी है। इस दल द्वारा की गयी सिफ़ारिशों के आधार पर उड़ीसा, बिहार तथा पश्चिमी बंगाल के बाढ़ व वर्षा वाले ऊंचे क्षेत्रों में चावल की उपज बढ़ाने के लिए परिचालन अनुसंधान प्रायोजना तैयार की गयी है तथा वह विचाराधीन है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के दल द्वारा की गयी सिफ़ारिशों का विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1420/77]**

संसद् भवन तथा संसदीय सौध के रख-रखाव तथा नवीकरण पर किया गया खर्च

4367. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा संसद् भवन तथा संसदीय सौध के रख-रखाव तथा नवीकरण पर गत दो वर्षों के दौरान कितनी धन राशि खर्च की गई ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) :

संसद् भवन तथा संसदीय सौध के रख-रखाव तथा नवीकरण पर किया गया खर्च इस प्रकार है :—

वर्ष	रख-रखाव		नए फ़र्नीचर की खरीद सहित नवीकरण	
	संसद भवन	संसदीय सौध	संसद् भवन	संसदीय सौध
	रु०	रु०	रु०	रु०
1975-76	15,00,579	1,41,945	14,98,106	20,123
1976-77 . .	14,47,067	5,98,373	11,54,707	2,67,573

ललित कला अकादमी द्वारा सांस्कृतिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता

4368. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ललित कला अकादमी से कौन-कौन सी सांस्कृतिक संस्थाओं को अपने यूनिट उपकरण और औजार खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त हुई ;

(ख) क्या सहायता देने से पूर्व विभिन्न यूनिटों से आवेदनपत्र मांगे गए थे ; और

(ग) यदि हां, तो उन यूनिटों के नाम क्या हैं, जिन्होंने सहायता के लिए आवेदनपत्र दिए ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) लेखाचित्रीय कार्यशालाओं के लिए जिन संगठनों को ललित कला अकादमी से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है, जिससे उन्हें इन कार्यशालाओं के लिए अपेक्षित उपस्कर/औजार खरीदने की अनुमति दी जाती है, की एक सूची संलग्न है।

(ख) सभी राज्य अकादमियों और मान्यता-प्राप्त कला संस्थाओं से आवेदनपत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

(ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) ललित कला अकादमी से सांस्कृतिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता

1974-75

कुछ नहीं

1975-76

1. आन्ध्र कला अकादमी, विजयवाड़ा।
2. दक्षिण भारतीय चित्रकार सोसायटी, मद्रास।
3. समकालीन कलाकार सोसायटी, कलकत्ता।

1976-77

1. आन्ध्र प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी, हैदराबाद ।
2. मद्रास कला क्लब, मद्रास ।
3. समकालीन कलाकार सोसायटी, कलकत्ता ।

(ग) ललित कला अकादमी से सांस्कृतिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता

1974-75

1. अखिल भारतीय ललित कला तथा शिल्प सोसायटी, नई दिल्ली ।
2. वर्ग, 8 , नई दिल्ली ।
3. कर्नाटक चित्र कला परिषद्, बंगलौर
4. महाकौशल कला परिषद्, रायपुर ।

1975-76

1. आन्ध्र कला अकादमी, विजयवाड़ा ।
2. हैदराबाद कला सोसायटी, हैदराबाद ।
3. चित्र कला परिषद्, विशाखापटनम ।
4. वर्ग 8, नई दिल्ली ।
5. दक्षिण भारतीय चित्रकार सोसायटी, मद्रास ।
6. समकालीन कलाकार सोसायटी, कलकत्ता ।

1976-77

1. आन्ध्र प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी, हैदराबाद ।
2. केरल ललित कला अकादमी, त्रिचूर ।
3. आन्ध्र कला अकादमी, विजयवाड़ा ।
4. वर्ग 8, नई दिल्ली ।
5. मद्रास कला क्लब, मद्रास ।
6. समकालीन कलाकार सोसायटी, कलकत्ता ।

Government employees from Timarpur area given change in Gole Market area, New Delh

4369. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the names of employees occupynig type II accommodation in Timarpur given change of quarters in DIZ area, Gole Market during the past six months;

(b) the number of Government employees who did not accept the change and the grounds therefore;

(c) whether these employees had made some representation in this connection; and

(d) if so, whether Government propose to provide relief to them after considering their representations ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) The following officers were given change during the last six months from June, 1977 to November, 1977, from Timarpur to Gole Market area in type II :—

1. Shri Devi Saran.
2. Shri K.K. Saran.
3. Shri Suraj Mal Kharb.
4. Shri M.K. Kohli.

(b) & (c) Three employees did not respond to the offers of allotments in change within the prescribed period. Only Shri Kohli represented for allotment of a ground floor quarter on grounds of ill health of his aged parents.

(d) The representation of Shri Kohli was considered, but was not found acceptable.

रामायण और भगवद् गीता के ऐतिहासिक तथ्य

4370. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान रामायण और भगवद्गीता के ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ने-मरोड़ने के बारे में दिल्ली से प्रकाशित होने वाली हिन्दी की पाक्षिक पत्रिका 'सरिता' में प्रकाशित हुए लेखों की ओर दिलाया गया है जिस पर जनता में प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उन पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) जनता में प्रतिकूल प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए इस पत्रिका को इस प्रकार के समाज-विरोधी लेख प्रकाशित करने से रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) उक्त पत्रिका में रामायण तथा भगवद्गीता से संबन्धित विशिष्ट विषयों तथा प्रसंगों पर लेखक के विचारों को प्रस्तुत करने का दावा करते हुए कुछ लेख छपे हैं। जनता को इन पर टिप्पणी करने अथवा इन की आलोचना करने की खुली छूट है। सरकार का इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

पौधों के रोगों की रोकथाम के उपाय

4371. **श्री सी०के० जाफर शरीफ**: क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार के वनस्पति-रक्षा-सलाहकार ने पौधों के रोगों की रोकथाम के उपायों को तेज करने के लिए कहा है;

(ख) क्या अनेक नये रोगों की जानकारी, जिनकी अब तक हमारे देश में कोई जानकारी नहीं थी, सरकार को मिली है, और

(ग) यदि हां, तो इन रोगों के नाम क्या हैं और इन रोगों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) पिछले दशक के दौरान देश में पौधों के नए रोगों को देखते हुए वनस्पति रक्षण सलाहकार और सरकार द्वारा वनस्पति संगरोध सुविधाओं की निरन्तर समीक्षा करने के फलस्वरूप वनस्पति संगरोध की अवस्थापना संबन्धी सुविधाओं को निरन्तर

बढ़ाया गया है । इस समय, 3 नये वनस्पति संगरोध और धूमन केन्द्रों की स्थापना और 21 वनस्पति संगरोध और धूमन केन्द्रों को सुदृढ़ करने के लिए योजनायें तैयार की जा रही हैं।

पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार की सूचना में मूंगफली में लगने वाला रतुआ रोग और चने में लगने वाला पाउडरी मिलडयू नामक दो महत्वपूर्ण नए रोग आए हैं।

इन रोगों की निम्न द्वारा रोकथाम की जा रही है :—

(1) उपयुक्त रासायनिकों का उपयोग करके और/अथवा

(2) नई प्रतिरोधी किस्मों का विकास करने के लिए अनुसंधान प्रयासों का निर्देश देकर ।

केन्द्रीय विद्यालय, गोल मार्केट, नई दिल्ली में विकलांग छात्रों को दाखिला

4372. **श्री बालक राम :**

श्री सी०के० जाफर शरीफ :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्यालय की गोल मार्केट शाखा के लिये कुछ विकलांग बच्चों के अभिभावकों ने अपने बच्चों के दाखिले के लिये आवेदन-पत्र दिये थे और उन्हें दाखिला नहीं दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि ऐसे सरकारी कर्मचारियों के, जिनके पद बिलकुल स्थानान्तरणीय नहीं हैं, कुछ बच्चे भी केन्द्रीय विद्यालय की गोल मार्केट शाखा में अध्ययन कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) **और** (ख) जी, हां । क्योंकि उपलब्ध स्थानों की सीमित संख्या के लिए दाखिले हेतु भारी मांग है, अतः केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विकलांग अथवा अन्य प्रकार के बच्चों के दाखिले हेतु ही विचार किया जा सका, जिसमें अधिक स्थानान्तरण वालों को प्राथमिकता दी गई ।

(ग) **और** (घ) जी, हां । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बिना स्थानान्तरण वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को उनके लिए आरक्षित कोटे में केन्द्रीय विद्यालय गोल मार्केट, नई दिल्ली में दाखिल किया गया है । इसके अतिरिक्त अस्थानान्तरणीय पदों पर काम करने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के दाखिले पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तथापि, उन्हें स्थानान्तरणीय केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की तुलना में कम प्राथमिकता दी जाती है ।

Financial asssistance for Sports Hostels in Bihar

*4373. **Shri Surendra Jha Suman :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the Government of Bihar has sought financial assistance for construction of sports hostels in the districts of the State; and

(b) if so, the details of this scheme and Government of India's reaction there to ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandor Chandor):

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

इन्द्रपुरी कालोनी में दूसरी मंजिल का निर्माण करना

4374. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इन्द्रपुरी कालोनी और इससे जुड़े अन्य क्षेत्रों में जैसे पटेल नगर और नारायणा में सीवर बिछा दिये गये हैं ; इन्द्रपुरी कालोनी में बिना कोई अतिरिक्त विकास व्यय के दूसरी मंजिल का निर्माण करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पेय जल की सप्लाई

4375. **श्री शिवाजी पटनायक** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा राज्य सरकार से धनराशि के आबंटन के लिये कोई योजना तथा अनुरोध प्राप्त हुआ है जिससे उड़ीसा के ऐसे सभी गांवों को, जहां पेय जल की कमी है पेय-जल की सप्लाई सुनिश्चित हो सके ;

(ख) इस योजना का स्वरूप क्या है और इस योजना को कार्यान्वयन करने के लिये राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कितनी राशि देने के लिए कहा है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) उड़ीसा राज्य में प्रति गांव एक नलकूप की दर पर, 10,237 समस्याग्रस्त ग्रामों में पेयजल की पूर्ति की व्यवस्था करने के लिए अगले वित्तीय वर्ष के दौरान 9.93 करोड़ रुपये के प्रावधान के लिए उनसे एक अनुरोध प्राप्त आ है ।

(ख) तथा (ग) राज्य सरकार से विस्तृत योजना मंगवाई गई है ।

Transfer and promotion of teachers in Central Schools

4376. **Shri Natwarlal B. Parmar** : Will the Minister of **Education, So cial Welfare and Culture** be pleased to state : (a) whether it is a fact that the teachers of Central Schools have made a demand for formulation of a uniform and rational policy of their transfers and promotions; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and Cultur (Smt. Renuka Devi Barkataki) :(a) Yes, Sir. Some teachers have brought this to the notice of the Kendriya Vidyalaya Sangathan.

(b) The rules for promotion and guide-lines for transfers of teachers already exist and these are reviewed by the Kendriya Vidyalaya Sangathan, as and when necessary.

जनकपुरी, नई दिल्ली में भूमि का रिहायशी/वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग

4377. **श्री चतुर्भुज** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनकपुरी, नई दिल्ली में ए-2 ब्लाक के बड़े भाग ए-2 डी नामक ब्लाक का विकास नहीं किया गया है और वह बेकार पड़ा है यद्यपि उक्त क्षेत्र को सामूहिक आवास तथा वाणिज्यिक उपयोग के लिए निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस क्षेत्र का विकास और उपयोग न किये जाने के कारण सरकारी कोष को भारी हानि हुई है जो दिल्ली विकास प्राधिकरण लोगों को बहुत समय से आवश्यक रिहायशी आवास देकर पूरी कर सकता था; और

(ग) यदि हां, तो उक्त भूमि का रिहायशी/वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए विकास और उपयोग करने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) ब्लाक ए-2 डी० पाकेट सहित ब्लाक ए-2 के सभी पाकेटों का विकास कार्य कर दिया गया है और उक्त पाकेट ए-2 डी० के अलावा दिल्ली विकास प्राधिकरण को विकसित भूमि की कीमत प्राप्त हो गई है। ले-आउट प्लान में पाकेट ए-2 डी० को भूमि डाक व तार विभाग के लिए निर्धारित की गई है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता

4378. **श्री राम कंवर बैरवा** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से दिल्ली प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारी अपनी प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अनुसार 25 प्रतिशत मकान किराया भत्ते के अधिकारी हैं, चाहे उनकी नियुक्ति कहीं भी हो और उन्हें वास्तव में उक्त भत्ता 7 जुलाई, 1977 तक दिया गया ;

(ख) क्या गन्दी बस्ती शाखा (स्लम विंग) में कार्य कर रहे कुछ ऐसे कर्मचारियों के मामले में उनकी प्रतिनियुक्ति की शर्तों का उल्लंघन कर उनका मकान किराया भत्ता 7 जुलाई, 1977 से घटा कर 15 प्रतिशत कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी प्रतिनियुक्ति की शर्तों का उल्लंघन करने के क्या कारण हैं, इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेवार है और उक्त असमानता को समाप्त करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) : प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण में भेजे गए केन्द्रीय लोक निर्माण के अधिकारी दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को अनुमेय दर पर मकान किराया भत्ता लेने के पात्र हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के मकान किराये भत्ते की दर वेतन का 25 प्रतिशत है किन्तु स्लम विंग जो दिल्ली नगर निगम से दिल्ली विकास प्राधिकरण में स्थानान्तरित कर दिया गया है, में मकान किराये भत्ते की दर कर्मचारी के वेतन का 15 प्रतिशत है ।

इससे पहले स्लम विंग में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे अधिकारी दिल्ली विकास प्राधिकरण के अन्य कर्मचारियों के समान 25 प्रतिशत मकान किराया भत्ता ले रहे थे किन्तु 7 जुलाई, 1977 से स्लम विंग में कार्यरत्त अन्य कर्मचारियों के साथ इसे बराबरी पर लाने के लिए यह दर घटाकर 15 प्रतिशत कर दी गई है ।

विश्व खाद्य कार्यक्रम के अधीन खाद्य सहायता

4379. **श्री ए० मुरुगेसन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत को विश्व खाद्य कार्यक्रम से प्राप्त खाद्य सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस कार्यक्रम के अधीन विभिन्न राज्य सरकारों को कितनी सहायता वितरित की गई तथा इसमें तामिलनाडु का कितना भाग है ;

(ग) क्या ऐसे कार्यक्रमों में भारत को 2 करोड़ 81 लाख रुपए की अतिरिक्त खाद्य सहायता मिल रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तमिलनाडु तथा अन्य राज्यों को कितनी अधिक सहायता वितरित करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भारत सरकार की प्रार्थना पर, विश्व खाद्य कार्यक्रम ने अब तक 47 परियोजनाओं के लिये जिन्स सहायता स्वीकृत की है जिसका कुल मूल्य 4131 लाख डालर है। इसमें गेहूं, स्प्रेटा दुग्ध-चूर्ण, खाद्य तेल, मक्का, सोरघम इत्यादि सम्मिलित हैं ।

(ख) विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहायता विषयक आवंटन का राज्यवार ब्यौरा परिशिष्ट 1 [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल०टी० 1421/77] में दिया गया है। तमिलनाडु का भाग परिशिष्ट 2 [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल०टी०–1421/77] में दिखाया गया है ।

(ग) जी हां। विश्व खाद्य कार्यक्रम ने विशेष पोषण की चालू परियोजना के चरण 2 के अन्तर्गत 276.6 लाख डालर मूल्य का खाद्य आवंटित किया है ।

(घ) तमिलनाडु सरकार इस सहायता के अन्तर्गत नहीं आती क्योंकि राज्य सरकार ने स्कूल न जाने वाले छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं तथा छोटे बच्चों वाली माताओं के लिये संपूरक पोषण कार्यक्रम के लिए बहुराज्यीय परियोजना में भाग लेने से मना कर दिया था, जिसके विश्व खाद्य कार्यक्रम ने अतिरिक्त सहायता देने का वचन दिया था। विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा नियत की हुई जिंसों को अनुबंध 3 [ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल०टी०–1421/77] में दी गई लाभानुभोगियों की संख्या के अनुसार भागीदार राज्यों में वितरित किया जा रहा है ।

मेघालय में अस्थायी शेडों के निर्माण के लिए बिलों का भुगतान

4380. **श्री पी० ए० संगमा :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 1971 के दौरान तत्कालीन पूर्व बंगाल (अब बंगला देश) से आए शरणार्थियों के आवास के लिए अस्थायी शैडों के निर्माण के छोटे बिलों का भुगतान न किए जाने के बारे में गारो हिल्स, मेघालय के छोटे ठेकेदारों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त धनराशि कितनी है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) जी, हां ।

(ख) जैसा कि मेघालय सरकार द्वारा सूचित किया गया है, ठेकेदारों को देय कुल राशि 8,73,067.00 रुपये बनती है ।

चूंकि इन राहत शिविरों के निर्माण का करार मेघालय सरकार और ठेकेदारों के बीच हुआ था, इसलिए मामले के निपटान के लिए राज्य सरकार को सुझाव दिया गया है ।

Jamrani Dam Project, Nainital

†4381. **Shri Bharat Bhushan** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the original estimates of Jamrani Dam Project (Nainital) in Uttar Pradesh and the expenditure incurred thereon upto 1976-77;

(b) the area to be irrigated and the mega watts of power to be produced under the said project;

(c) the number of employees working under the said project; and

(d) the phase in which the project is at present and the time by which it is likely to be completed ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) Jamrani project was approved by Planning Commission in May, 1975 for an estimated cost of Rs. 61.25 crores. The anticipated expenditure on preliminary works upto 1976-77 is Rs. 1.02 crores.

(b) The project would provide irrigation benefits to an area of 94,129 ha. No power benefits are envisaged from the approved scheme.

(c) The State Government have reported that in all 361 numbers of employees are working on this project.

(d) The State Government have indicated that the work of topographical surveys of dam site and submerged area, geological studies at dam site, construction of 9.2 km. of approach road to dam site has been completed. Construction of feeder channel has started and work on Gola Barrage is likely to start in January, 1978. According to the project report, the dam is likely to be completed in about seven years from the commencement of works.

Price of Power Tiller

4382. **Shri Hukmdeo Narain Yadav** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the price of a power tiller imported from abroad, the total amount of tax charged thereon and the price on which it is sold to the farmer; and

(b) whether those unemployed farmers, both medium and small ones, who have received modern education and who are interested in mechanised farming, cannot afford to purchase machines as their prices are very high ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) Power tiller is not longer imported from abroad and therefore, it is not possible to indicate its import price, the total amount of tax charged on it and the price at which it is sold to the farmer. The ex-factory prices of power tillers manufactured indigenously are, however, given below :—

Name of the make	Kubota (12 hp)	Mitsubishi (8 hp)		Jay Kay Sato (6 hp)	Krishi (7 hp)
		Janta	Shakti		
Price per unit in Rs.	18,500.00	15,500.00	16,000.00	13,600.00	13,530.00

As the incidence of taxes, freight and other incidental costs varies from State to State, the total amount of tax charged as also the selling price to the farmer would be different in different States.

(b) It is true that the farmers with modest means find it difficult to purchase some of the machines because of their high prices.

केन्द्रीय विद्यालयों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अपंग व्यक्तियों के लिए स्थानों का आरक्षण

4383. **श्री ए०ई०टी० बैरो :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अपंग छात्रों के लिए केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गये हैं क्या विगत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में ऐसे कितने छात्रों को प्रवेश दिए गए हैं ;

(ख) क्या इन स्कूलों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है अथवा नहीं ;

(ग) त्रि-भाषा सूत्र के अनुसरण में इन स्कूलों में कौन-कौन सी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं ; और

(घ) कक्षा IX तथा X में कितनी तथा कौन-कौन सी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) कुल स्थानों में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए क्रमशः 15% तथा $7\frac{1}{2}$% स्थान सुरक्षित हैं। विकलांग छात्रों के लिए कोई अलग आरक्षण नहीं है। पिछले तीन वर्षों में दिल्ली के केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिल किए गए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	छात्रों की संख्या
1974-75	252
1975-76	294
1976-77	442

दाखिल किये गये विकलांग छात्रों की संख्या के संबन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान विषयों के लिए शिक्षण का माध्यम हिन्दी है और गणित तथा विज्ञान विषयों के लिए अंग्रेजी।

(ग) पढ़ाई जाने वाली भाषाएं हैं, हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत।

(घ) कक्षा IX और X में दो भाषाएं अर्थात् हिन्दी और अंग्रेजी अनिवार्य भाषाओं के रूप में पढ़ाई जा रही हैं। संस्कृत कक्षा IX तक अतिरिक्त अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जा रही है। तथापि, विद्यार्थी कक्षा X में भी संस्कृत का अध्ययन जारी रख सकते हैं जिसके लिए विद्यालयों में सुविधाएं उपलब्ध की गई है।

टिहरी बांध के निर्माण से प्रभावित परिवार

4384. **श्री टी० एस० नेगी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपनी भूमि पर हुए टिहरी बांध के निर्माण के परिणामस्वरूप कितने परिवार अपनी भूमि और अचल सम्पत्ति से वंचित हो गए ;

(ख) क्या सरकार ने इस परियोजना में रोजगार के मामले में उक्त परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दी है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और कितने लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिए गए थे ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि टिहरी बांध के निर्माण से 3,000 कृषक परिवार और टिहरी शहर में रहने वाले 1,000 शहरी परिवार प्रभावित होंगे ।

(ख) जी हां ।

(ग) परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण करने के कारण प्रभावित होने वाले परिवारों के सदस्यों को रोजगार प्रदान करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रभावित परिवारों में से प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को परियोजना में रोजगार उपलब्ध किया जाए, राज्य सरकार ने आदेश जारी किए हैं । परियोजना में अब तक जिन व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है उनकी संख्या नीचे दी गई है :—

नियमित पद :

तीसरी श्रेणी (सचिवालीय) . .	8
चौथी श्रेणी (चपरासी आदि)	13

कार्यभारित पद :

चौथी श्रेणी (चौकीदार, ड्राईवर, बढ़ाई आदि)	32

मक्का, सरसों और कपास की प्रति हैक्टेयर उपज

4385. **श्री प्राणनाथ प्रधान** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न राज्यों में मक्का, सरसों और कपास आदि का प्रति हैक्टेयर उत्पादन कितना है;

(ख) क्या उड़ीसा में प्रति हैक्टर उपज बहुत कम है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उड़ीसा में उक्त अनाजों की प्रति हैक्टेयर उपज बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) वर्ष 1976–77 और 1975–76 के दौरान मक्का, तोरिया के बीज तथा सरसों और कपास की प्रति हैक्टेयर औसत उपज के राज्यवार आंकड़ों को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) मक्का और तोरिया के बीज तथा सरसों की उपज बहुत कम है । कपास का क्षेत्र तथा उत्पादन बहुत कम होने के कारण इसकी प्रति हैक्टेयर औसत उपज की गणना नहीं की गई है ।

(ग) उड़ीसा में मक्का तथा तोरिया के बीजों और सरसों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :—

मक्का :—

1. अधिक उपज देने वाली संकर/मिश्रित किस्मों के क्षेत्र को बढ़ाना,
2. कृषकों को प्रशिक्षण देकर उत्पादन की उन्नत प्रौद्योगिकी का विस्तार करना,
3. आदानों की समय पर सप्लाई करना, और
4. मिनिकिट कार्यक्रम के क्रियान्वयन के जरिए उपयुक्त संकर/मिश्रित किस्मों का पता लगाना।

तोरिया के बीज तथा सरसों :

1. भारत सरकार ने हीराकुंड और डेल्टा सिंचाई परियोजनाओं में, (जिनके अंतर्गत पुरी, कटक और सम्बलपुर जिले आते हैं) नये सिंचित क्षेत्रों में तिलहनों के विस्तार की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना की स्वीकृति दे दी है। चालू वर्ष के दौरान उपर्युक्त तीन जिलों में तोरिया और सरसों के अन्तर्गत 20,200 हैक्टेयर क्षेत्र लाने का कार्यक्रम है। इस योजना का उद्देश्य निम्नलिखित बातों को अपनाकर तोरिया और सरसों की प्रति हैक्टेयर उपज बढ़ाना है :—

(1) उन्नत बीजों का उपयोग,
(2) सिंचाई का उपयोग,
(3) उर्वरकों की संतुलित मात्रा का उपयोग करना,
(4) फसल की प्रमुख कृपि अर्थात् 'एफिड्स' के नियंत्रण के लिए वनस्पति रक्षण उपायों की व्यवस्था करना, और
(5) खेती की उन्नत प्रणालियों को अपनाना।

इन उपायों को अपनाने के लिए कृषकों को प्रोन्साहन देने की दृष्टि से भारत सरकार विस्तार कर्मचारियों की व्यवस्था करने के अलावा, बीजों के उत्पादन, मिनिकिटों के वितरण, प्रदर्शनों की व्यवस्था करने, वनस्पति रक्षण उपायों को अपनाने के लिए राज्य सकार को राज सहायता के रूप में वित्तीय सहायता भी दे रही है।

2. तोरिया तथा सरसों की फसल के 1,33,000 हैक्टेयर क्षेत्र को राज्य क्षेत्र की तिलहन विकास योजना के अधीन पैकेज कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने के लिए भी विचार किया गया है।

उड़ीसा में कपास की फसल महत्वपूर्ण फसल नहीं है और इस फसल के अन्तर्गत बहुत कम क्षेत्र है।

विवरण

भारत के विभिन्न राज्यों में मक्का, तोरिया तथा सरसों और कपास की प्रति हैक्टर औसत उपज

(कि० ग्राम)

राज्य	मक्का		तोरिया तथा सरसों		कपास	
	1976–77	1975–76	1976–77	1975–76	1976–77	1975–76
1. आंध्र प्रदेश	1015	1636	@	@	151	156
2. असम .	561	569	358	388	@	@

1	2	3	4	5	6	7
3. बिहार .	1017	1004	525	537	@	@
4. गुजरात	794	1798	484	410	161	160
5. हरियाणा .	1008	1233	632	475	333	310
6. हिमाचल प्रदेश	1788	1837	@	@	@	@
7. जम्मू तथा कश्मीर	1381	1320	871	671	@	@
8. कर्नाटक	2617	3002	@	@	103	104
9. केरल .	..		..	..	@	@
10. मध्य प्रदेश	1101	1134	262	524	77	73
11. महाराष्ट्र	1831	1449	@	@	67	57
12. मणिपुर	1727	2165	@	@	..	..
13. मेघालय	701	698	@	@	@	@
14. नागालैंड	@	@	@	@	..	..
15. उड़ीसा	604	985	411	471	@	@
16. पंजाब	1144	1465	687	639	347	362
17. राजस्थान	760	1140	438	504	205	223
18. तमिलनाडु	1063	1060	@	@	221	207
19. त्रिपुरा .	..	..	@	@	@	@
20. उत्तर प्रदेश	775	727	525	635	101	95
21. पश्चिम बंगाल	1150	1150	412	412	@	@
22. अरुणाचल प्रदेश	1139	1145	..	..	..	..
23. दिल्ली	@	@	@	@	@	@
24. मिजोरम	@	@			@	@
25. पांडिचेरी	..		..	..	@	@
अखिल भारत	1033	1203	497	580	142	138

@ क्षेत्र/उत्पादन बहुत कम होने के कारण प्रति हैक्टेयर औसत उपज का अनुमान नहीं लगाया गया है ।

दिल्ली में अनधिकृत बस्तियों को नियमित करना

4386. **डा० रामजी सिंह** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में नियमित की जाने वाली अनधिकृत बस्तियों के नाम क्या हैं; और

(ख) उक्त बस्तियों को नियमित करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) 1975 के दौरान किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 471 अनधिकृत कालोनियां (पुरानी व नई) थीं जिनके नाम संलग्न सूची (ग्रंथालय में रखी गई/देखिए संख्या एल० टी०—1422/77) में दिए गए हैं।

(ख) अनधिकृत कालोनियां के नियमितिकरण से संबंधित समस्याओं की जांच करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल की अध्यक्षता में एक कार्यान्वयन दल का गठन किया गया है। यह दल इस समय अनधिकृत कालोनियों के नियमितिकरण के समस्त प्रश्न की जांच कर रहा है।

देश में स्नातकों द्वारा लिये गये व्यवसाय प्रधान विषय

4387. **श्री बी० राचैया** : क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975, 1976 और 1977 में वर्षवार, कितने व्यक्ति स्नातक बने ; और

(ख) इनमें से कितनों ने व्यवसाय प्रधान विषय लिये थे।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्रति वर्ष बने स्नातकों की संख्या के संबंध में आंकड़ों का संकलन पूरा करने में दो वर्ष या इससे भी अधिक समय लगता है। अतः इस समय 1975 तथा इसके बाद की यह सूचना उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1972, 1973 और 1974 के दौरान बने स्नातकों की कुल संख्या क्रमशः 4,83,813 ; 5,30,804 तथा 6,06,117 थी इनमें से उनकी संख्या, जो विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों जैसे कृषि, इंजीनियरी, विधि, चिकित्सा, शिक्षक, प्रशिक्षण इत्यादि में स्नातक बने हैं, उन्हीं वर्षों के दौरान क्रमशः 1,07,310; 1,08,178 और 1,19,619 है।

मथुरा रोड पर दिल्ली और हरियाणा की सीमा को छूने वाली अनधिकृत बस्तियां

4388. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मथुरा रोड पर दिल्ली और हरियाणा की सीमा को छूने वाली अनधिकृत बस्तियों की संख्या कितनी है ;

(ख) उनको नियमित करने के बारे में सरकार के पास कोई प्रस्ताव है, तो क्या ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उनका अधिग्रहण करने का है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डिपो में अनाज की चोरी

4389. **श्री ए० आर० बद्री नारायण** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने डिपो में अनाज की चोरी के विरुद्ध क्या सुरक्षात्मक उपाय किये हैं ; और

(ख) गत तीन वर्षों में डिपो में वर्षवार कितनी तथा कितने मूल्य की चोरियां हुई ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि भारतीय खाद्य निगम के नियमित पहरेदारों को भारतीय खाद्य निगम के डिपों में अनाजों की चोरी को रोकने के लिए तैनात किया गया है । पूर्वी ज़ोन में स्थित मोकामा, गया, फुलवाड़ शरीफ, दीघाघाट, जलपाईगुड़ी तथा पश्चिमी ज़ोन में स्थित उज्जैन (मध्य प्रदेश) में भी केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल को शामिल कर लिया गया है । अन्य असुरक्षित स्थानों पर, जहां केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल को शामिल नहीं किया गया है, वहां विशेषकर कैप स्टोरेज तथा परित्यक्त हवाई अड्डों के लिए सशस्त्र पुलिस गार्ड तैनात किए गए हैं ।

(ख) पिछले तीन वर्षों में डिपों में हुई चोरियों की संख्या तथा उनके मूल्य का वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	चोरियों की संख्या	मूल्य (राशि रुपयों में)
1974–75 .	109	4,00,623.30
1975–76	127	2,95,199.04
1976–77	91	2,23,488.21

धनबाद के भारतीय खाद्य निगम के गोदाम कर्मचारियों की औसत आय

4390. **श्री ए० के० राय** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में धनबाद के भारतीय खाद्य निगम के गोदाम कर्मचारियों की औसत आय बिहार में भारतीय खाद्य निगम के अन्य गोदामों के कर्मचारियों की तुलना में बहुत कम हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम का कर्मचारी संघ कर्मचारियों की कम आय के बारे में दीर्घकाल से आन्दोलन कर रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) से (ग) धनबाद स्थित भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी, बिहार राज्य के कोडरमा, समस्तीपुर, दलसिंहसराय, रांची, हतिया, भागलपुर और दरभंगा के भारतीय खाद्य निगम डिपो के कर्मचारियों की तुलना में अधिक मजदूरी पा रहे हैं, हालांकि उनकी मजदूरी बिहार के कुछ अन्य डिपो के कर्मचारियों की मजदूरी की तुलना में कम है । दरों में वृद्धि करने के लिए यूनियन की मांग को ध्यान में रखते हुए बिहार राज्य समेत समूचे पूर्वी जोन में "सीधे भुगतान वाले कर्मचारियों" की दरों में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए 3–12–1977 को आदेश जारी किए गये हैं ।

निम्न आय वर्ग के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों के लिये घोंडा रिहायशी योजना का विकास

4391. **श्री महीलाल** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अगस्त, 1975 में द्रुत कार्यक्रम के

अन्तर्गत निम्न आय वर्ग के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों के लिये घोंडा रिहायशी योजना का विकास करने के बारे में अपने निर्णय की घोषणा की है ;

(ख) क्या अलाटियों से दिसम्बर, 1975 तक प्लाटों के पूरे मूल्य वसूल कर लिए गये थे ;

(ग) क्या दो वर्ष की अवधि गुजर जाने के बाद भी वहां नाम मात्र भी विकास नहीं हुआ है ;

(घ) क्या प्लाटधारियों में कालोनी का तेजी से विकास करने के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण को निजी तौर पर, एसोसियेशन अथवा प्रैस के माध्यम से अभ्यावेदन दिये थे ;

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (क) से (घ) का उत्तर सकारात्मक है, तो इस बस्ती के विकास में असामान्य विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(च) इस बस्ती के विकास के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है और इसके पूर्ण विकास में कितना समय लगेगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । प्रीमियम की 50,63,700 रुपये की अनुमानित मांग की तुलना में दिसम्बर, 1975 तक केवल 16,620 रुपये की वसूली की गई है ।

(ग) इस क्षेत्र में विकास कार्य आरम्भ कर दिया गया है । ब्लाक सी० के एक भाग में सड़कों, सीवरों, जलपूर्ति आदि जैसी सुविधाएं पूरी की जा चुकी हैं । ब्लाक सी० के अन्य भागों तथा ब्लाक बी० में विकास कार्य चल रहा है ।

(घ) जी हां ।

(ङ) सुविधाओं की व्यवस्था करने संबंधी कार्य के निष्पादन में विलम्ब के मुख्य कारण, उस क्षेत्र की संशोधित ले-आउट प्लान के अनुसार संशोधित डिजाइन व ले-आऊट प्लान तैयार करना, सेवाओं के डिजाइनों के अनुमोदन में विलम्ब, अनधिकृत अतिक्रमण, सीमेंट आदि जैसी आवश्यक निर्माण सामग्री उपलब्ध न होना तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के सामने अत्यधिक वित्तीय कठिनाइयां आदि का होना है ।

(च) अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है । जिस हिस्से में अतिक्रमण किया गया है उसे छोड़ कर अन्य सभी भागों में विकास कार्य प्रगति पर है ।

Effect of Cutting of Trees on Quantum of Oxygen

4392. **Shrimati Parvathi Devi** : Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the quantum of pure oxygen in air in the country is on the decrease as a result of fast cutting of trees and plants; and

(b) if so, the quantum of oxygen available in air in India as compared to the quantum thereof in other countries of the world ?

The Minister for Agriculture & Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) :

(a) and (b) The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

सरकारी आवास का नया वर्गीकरण

4393. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार सरकारी आवास को इस समय विद्यमान आठ टाइप के स्थान पर पांच टाइप रख कर नया वर्गीकरण करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या आपात स्थिति के दौरान क्वार्टर खाली करने वाले सरकारी कर्मचारियों को फिर से सरकारी आवास आवंटित किये जायेंगे ; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख़्त) : (क) तथा (ख) सरकारी मकान के आवंटन का नया वर्गीकरण विचाराधीन है ।

(ग) तथा (घ) पात्र अधिकारी यदि सरकारी मकान के आवंटन के लिए आवेदन करें तो नये सिरे से प्रतीक्षा सूची में उनकी बारी आने पर उनके आवेदन पर विचार किया जाता है।

सरकारी आवास प्राप्त ऐसे अधिकारी जिनके पास उनके हक से कम स्थान है

4394. **श्री चन्दन सिंह** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मकान मालिक अधिकारियों के बारे में दिनांक 9 सितम्बर, 1975 के आदेश में यह उपबन्ध था कि ऐसे मकान मालिक अधिकारियों को जिनके मकान में उनके हक से कम स्थान है, उन्हें यदि वे अपना मकान सरकार को पट्टे पर दे दें तो, सामान्य लाइसेंस फीस पर सरकारी आवास रखने की अनुमति दी जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त उपबन्ध का उद्देश्य क्या था ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख़्त) : (क) जी, हां ।

(ख) आशय यह था कि जिन अधिकारियों के अपने निजी मकान नहीं है उन्हें आवंटन करने के लिए सामान्य पूल के क्वार्टरों की शुद्ध उपलब्धता को कम किए बगैर, ऐसे अधिकारियों को कुछ लाभ पहुंचाना था ।

दिल्ली प्रशासन द्वारा अपने नियंत्रण में लिये गये स्कूलों के कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान

4395. **श्री ईश्वर चौधरी :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने गत चार वर्षों के दौरान दिल्ली शिक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 20 के अन्तर्गत दिल्ली के बहुत से सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रबंध को अपने अधिकार में ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली प्रशासन, इस तथ्य के बावजूद कि संबंधित प्रबंधक-वर्ग ने इन स्कूलों को पुनः अपने अधिकार में लेने से इंकार कर दिया है, इन स्कूलों के कर्मचारियों को शत प्रतिशत वेतन देने की बजाए मात्र 95 प्रतिशत वेतन दे रहा है ;

(ग) क्या 5 प्रतिशत वेतन का भुगतान न किया जाना भेदभावपूर्ण नहीं है और यह दिल्ली शिक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 10 तथा धारा 20 की उपधारा (क) के उपबंधों का उल्लंघन नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो अपने नियंत्रण में लिये गये इन स्कूलों के कर्मचारियों को अद्यतन 5 प्रतिशत की बकाया राशि सहित शत प्रतिशत वेतन का भुगतान करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) से (घ) दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 के अंतर्गत कुछ सहायता प्राप्त स्कूलों का प्रबंध दिल्ली प्रशासन द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया था। प्रशासन संबंधित स्कूलों के अध्यापकों के वेतन के 95 प्रतिशत की अदायगी करता रहा है क्योंकि अधिनियम की वर्तमान धाराओं की इस प्रश्न पर भिन्न-भिन्न प्रकार से व्याख्या की जा सकती है कि क्या संबंधित स्कूलों के अध्यापकों को उस अवधि के दौरान 100 प्रतिशत वेतन का भुगतान किया जा सकता है जिसमें उनका प्रबंध प्रशासन में निहित रहता है। इन कठिनाइयों को दूर करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

आसाम में कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वार्षिक अनुदान

4396. **श्री अहमद हुसैन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ऐसे कालेजों की कुल संख्या कितनी है, जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष अनुदान दिया जा रहा है ;

(ख) उनमें से आसाम में कितने कालेजों को प्रतिवर्ष अनुदान दिया जा रहा है ;

(ग) आसाम की विशाल आदिवासी जनसंख्या और पिछड़ेपन को देखते हुए वहां के और अधिक कालेजों को वार्षिक अनुदान देने हेतु क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है; और

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान पाने के लिए कौन सी शर्तें पूरी की जानी चाहिएं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कालेजों को विकास संबंधी अनुदान वार्षिक आधार पर स्वीकृत नहीं किए जाते हैं। पांचवीं योजना के दौरान, साधारणतया, विकास संबंधी अनुदानों के पात्र कालेजों को, उनके कार्यक्रमों के आधार पर, आयोग द्वारा प्रत्येक कालेज को 5.00 लाख रुपये तक स्वीकृत किए गए हैं। 1 जून, 1977 तक आयोग को, 1187 कालेजों से विकास संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए थे ; इन में से 619 अनुमोदित किए गए थे, 365 विचाराधीन थे तथा बाकी 203 को स्वीकार नहीं किया गया था।

(ख) असम में उन कालेजों की संख्या, जिनके विकास संबंधी कार्यक्रम अनुमोदित किए गए हैं, 16 है।

(ग) तथा (घ) विकास संबंधी अनुदान के योग्य होने के लिए, साधारणतया, 3–वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले एक पात्र कालेज का न्यूनतम छात्र नामांकन तथा संकाय संख्या क्रमशः 400 तथा

20 होनी चाहिए। जनजातीय तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों में स्थित कालेजों के मामले में, इन अपेक्षाओं में पर्याप्त ढील के लिए आयोग हाल ही में सहमत हुआ है। ऐसे क्षेत्रों में वे कालेज, जिन में नामांकन 200 तथा संकाय संख्या 10 है, अब विकास सहायता के पात्र हो जाएंगे। इससे, असम के और अधिक कालेज, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विकास संबंधी अनुदानों की सीमा में आ सकेंगे।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लोनी रोड में विवादग्रस्त भूमि का आबंटन

4397. **श्री शिव सम्पति राम** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोदी रोड में डी० डी० ए० ने कितने व्यक्तियों को भूमि आबंटित की थी जिनसे भूमि की पूरी लागत ले ली गई है तथा इस भूमि का कब्जा भी दे दिया गया है और यह भूमि अभी तक विवादग्रस्त है ;

(ख) क्या भूमि के इन अलाटियों ने डी० डी० ए० से अनुरोध किया है कि उन्हें प्रीतमपुरा अथवा किसी अन्य स्थान पर वैकल्पित स्थान का आवंटन किया जाये ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उन्होंने डी० डी० ए० को अधिक राशि देने के लिये भी पेशकश की है अगर उन्हें 70 मीटर से अधिक आकार (साइज) के प्लाट आबंटित किये जाते हैं; और

(घ) उनके अनुरोध पर डी० डी० ए० द्वारा क्या निर्णय किया गया है और उन्हें वैकल्पिक जगह कब तक आबंटित किये जाने का प्रस्ताव है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख़्त) :

(क) आबंटित किए गए प्लाट	2175
उन आबंटियों की संख्या जिन्होंने पूर्ण राशि जमा कर दी है	2055
उन आबंटियों की संख्या जिन्हें कब्जा दे दिया गया है	2000

गोकुलपुर गांव के कुछ ग्रामीणों द्वारा दायर किया गया मुकद्दमा दिल्ली उच्च न्यायालय में निलम्बित है।

(ख) जी, हां। कुछ आबंटियों ने ऐसा अनुरोध किया है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रभावित व्यक्तियों को अन्य रिहायशी योजनाओं में वैकल्पिक प्लाट देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रीतमपुरा आवासीय योजना में निम्न आय वर्ग के लोगों को प्लाटों का आबंटन

4398. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के निम्न आय वर्ग के लोगों को प्रीतमपुरा आवासीय योजना में प्लाट कब आवंटित किये थे ;

(ख) क्या अलाटियों ने इस बीच भूमि के प्लाटों का पूरा प्रीमियम अदा कर दिया है और यदि हां, तो किस महीने में और किस वर्ष ;

(ग) क्या वहां निर्माण-कार्य आरम्भ करने के लिये मूलभूत सुविधाएं जैसे वाटर पाइप और मल निकास की व्यवस्था कर दी गई है ;

(घ) क्या यह सच है कि इस बस्ती में बिजली देने के लिये अब तक कोई कदम नहीं उठाये गए ; और

(ङ) इस बस्ती में कब तक बिजली देने का विचार है।

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख़्त) : (क) जनवरी, 1976 में।

(ख) आबंटियों द्वारा प्रीमियम की पूर्ण अदायगी फरवरी, 1976 में की गई थी।

(ग) सिवाय पाकेट एच० डी० के० (पूर्वी) एच० टी० (उत्तरी) और सी० तथा जी० (दक्षिणी) पाकेटों के पानी के नल तथा मल नालियां डाल दी गई हैं। ये पाकेट मूलत: ग्रुप आवास के लिए निर्धारित किए गए थे लेकिन बाद में प्लाट के विकास में बदल दिए गए। क्योंकि पानी के मुख्य नल और मल की मुख्य नालियां वहां उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए नलकूपों के जरिये जल सप्लाई और निस्त्राव तालाबों के जरिये मल निपटान का अन्तरिम प्रबंध किया गया है।

(घ) तथा (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली विद्युत संस्थान द्वारा दिए गए प्राक्कलनों के अनुसार अपेक्षित राशि संस्थान में जमा कर दी है। इस संबंध में अपेक्षित जरुरी औपचारिकता के पूरा करने के पश्चात् विद्युतीकरण योजना का निष्पादन आरम्भ किया जायेगा।

केन्द्रीय जल प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

4399. **श्री एस० एन० चतुर्वेदी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यमुना नदी के प्रदूषण को रोकने के बारे में अपना अध्ययन पूरा कर लिया है तथा प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सिफारिशें की गई हैं तथा उन्हें किस प्रकार तथा कब लागू किया जाना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो बोर्ड कितने समय में अपना प्रतिवेदन पेश करेगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख़्त) : (क) से (ग) जल प्रदूषण व नियंत्रण के केन्द्रीय बोर्ड ने दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में यमुना नदी के पानी के प्रदूषण से संबंधित अध्ययन पूर्ण कर लिए हैं। रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं की गई है लेकिन इसके शीघ्र ही उपलब्ध हो जाने की संभावना है।

नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा एसिस्टेंट इंजीनियरों का चयन

4400. **श्री रशीद मसूद** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि नई दिल्ली नगरपालिका ने एसिस्टेंट इंजिनियर (इलैक्ट्रिकल) के पदों के लिये 50 प्रतिशत अंक पाने वाले ए० एम० आई० ई० (इंडिया) के उम्मीदवारों

का चयन किया था और तीन वर्षीय व्यवसायिक अनुभव तथा विशिष्ट योग्यता के साथ 64 प्रतिशत अंक पाने वाले बैचलर आफ इंजीनियरिंग के विश्वविद्यालय डिग्रीधारियों को इंटरव्यू के लिये नहीं बुलाया था ; और

(ख) क्या बी० ई० डिग्री वाले इंजीनियरों के अभ्यावेदन पर नई दिल्ली नरगपारिका ने सभी पात्र उम्मीदवारों का दौबारा इंटरव्यू लेने का निर्णय किया था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर वख़्त) : (क) सहायक इंजीनियर, ग्रुप 'ख' के पद के लिए 75 उम्मीदवारों में से 48 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था जिसमें 24 प्रथम श्रेणी इंजीनियरी स्नातक, 22 ए० एम० आई० ई० और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के उपलब्ध 2 उम्मीदवार शामिल हैं, और उन इंजीनियरी स्नातकों को नहीं बुलाया गया था जिनके पास प्रथम श्रेणी अर्हता नहीं थी और जिनकी आयु निर्धारित आयु से ज्यादा थी। समिति ने 11-1-1977 को 13 उम्मीदवारों के एक पैनल का अनुमोदन किया था। इस पैनल में से 9 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जा चुकी है और 4 उम्मीदवार अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया था।

दिल्ली में प्रतिनियुक्त होने वाले अधिकारियों के लिए सरकारी आवास के लिए अलग पूल

4401. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सावधिक प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली में प्रतिनियुक्त होने वाले अधिकारियों के आवास हेतु अलग पूल हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि यह सावधिक पूल केवल अखिल भारतीय सेवाओं के लिये ही उपलब्ध हैं ;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों को भी इस पूल में शामिल न करने के क्या कारण हैं क्योंकि वे भी दिल्ली में निश्चित अवधि के लिये आते हैं, यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सेवाओं को भी इस सावधिक सेवा-पूल में शामिल करने की एक योजना लम्बे समय से सरकार के विचाराधीन थी परन्तु अखिल भारतीय सेवाओं की ओर से भारी दबाव के कारण इसे त्याग दिया गया; यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण विवरण तथा कारण क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) जी, हां। केन्द्रीय सरकार या दिल्ली प्रशासन के अधीन दिल्ली/नई दिल्ली में सावधिक आधार पर तैनात भारतीय प्रशासनिक सेवाओं, भारतीय वन सेवाओं तथा भारतीय पुलिस सेवाओं के अधिकारियों का एक पृथक सावधिक पूल (टेन्युर पूल) है।

(ग) तथा (घ) इस समय सावधिक सेवा अधिकारियों का पूल केवल उपर्युक्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिये ही है और इसका कारण यह है कि इन अधिकारियों को केन्द्रीय सरकार में विशिष्ट अवधि के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है और ऐसी प्रतिनियुक्ति उनकी तैनाती के सामान्य क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आती। केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों को सावधिक पूल से आबंटन के पात्र बनाने के प्रश्न पर पहले भी विचार किया गया था लेकिन मकानों की कमी तथा उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुए उन्हें सावधिक पूल से आवंटन के पात्र बनाना संभव नहीं हो सका।

केन्द्रीय लोक सेवा आयोग द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा पर नया प्रश्न-पत्र आरम्भ करना

4402. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की परीक्षाओं में राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक प्रश्नपत्र आरम्भ किया है, लोक सेवा आयोग और भारत के सब विश्वविद्यालयों ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सैनिक विज्ञान के लिये पीठों की स्थापना की है, भारत सरकार अपने केन्द्रीय लोक सेवा आयोग में राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक प्रश्न पत्र कब से आरम्भ करने जा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है :

देश में संसदीय पद्धति को लोकप्रिय बनाना

4403. **डा० बापूकालदाते** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में संसदीय लोकतंत्र के विषय को लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या इस विषय को लागू करने के बारे में शिक्षाविदों ने कोई विरोध प्रकट किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में उठाई गई मुख्य आपत्तियां क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) इस दिशा में उठाए गए कदम दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) इस विषय को आरम्भ करने में किसी प्रकार के विरोध की जानकारी सरकार को नहीं है ।

विवरण

देश के राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् एक आदर्श पाठ्यचर्या विकसित कर रही है । उच्चतर माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र के स्थान पर अब इसने राजनीति शास्त्र शुरू किया है । इससे इस विषय के क्षेत्र को व्यापक और गहन बनाने में मदद मिली है ।

वर्ष 1977–78 के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार किए गये तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शुरू की गई नई पाठ्यचर्या के अनुसार इस पाठ्यक्रम को अब 4 भागों में बांट दिया गया है :—

1. राजनीतिक शास्त्र के आधार
2. राजनीतिक प्रणाली
3. भारतीय संविधान और शासन
4. क्रियाशील प्रजातन्त्र

राजनीतिक प्रणाली के अन्तर्गत छात्र निम्नलिखित का अध्ययन करते हैं :

(क) (i) (क) संसदीय शासन प्रणाली
(ख) राष्ट्रपति शासन प्रणाली

(ii) (क) एकात्मक शासन प्रणाली
(ख) संघीय शासन प्रणाली

(iii) (क) प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली
(ख) अधिनायकवादी शासन प्रणाली

(vi) समाजवादी

(ख) (1) दल प्रणाली
(क) राजनीतिक दल, उनकी भूमिका तथा कार्य
(ख) दल प्रणाली (एक दलीय पद्धति, द्विदलीय पद्धति और बहुदलीय पद्धति)
(ग) प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका

भारतीय संविधान तथा शासन के अंतर्गत छात्र निम्नलिखित का अध्ययन करते हैं :—
(i) मंत्रिमंडल
(ii) संसद
(iii) उच्चतम न्यायालय

क्रियाशील भारतीय प्रजातंत्र के अंतर्गत छात्र निम्नलिखित अध्ययन करते हैं :—
(i) भारतीय प्रजातंत्र पर प्रभाव डालने वाली समाज आर्थिक पर्यावरण
(ii) प्रजातंत्र का प्रारम्भ
(iii) भारत में दल प्रणाली
(iv) निर्वाचन प्रणाली

Assistance to Rajasthan for Repair of Roads in Backward Areas

4404. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Central Government propose to provide any type of assistance for repair of roads in various backward, adivasi and rural areas of the Rajasthan State; and

(b) if so, the details in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and **Irrigation (Sh. Bhanu Pratap Singh)** : (a) No, Sir. There is no scheme as such for providing assistance to States for repair of roads. However, maintenance and repairs are permissible items under the scheme of utilisation of food grains for generating additional employment in rural areas.

(b) Does not arise.

Supply of Bulldozer for Levelling Uneven Land

4405. **Shri Daya Ram Shakya:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether the Central agency of Agricultural Research provide bulldozers to farmers at reasonable rates for levelling uneven land; and

(b) if so, whether there is any such provision in States also and if so, the details thereof and the number of farmers benefited thereby during the last five years?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) No, Sir. Indian Council of Agricultural Research does not provide bulldozers to farmers for land levelling purposes.

(b) Information regarding the States which provide such facilities and number of farmers benefited thereby is being collected from different sources and would be laid on the table of the House at a later date.

Scheme to Reduce Pressure of Population on Agriculture

4406. **Shri S. S. Somani:**

Shri K. Pradhani:

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the percentage population of India at the beginning and also at the end of the Fourth Five Year Plan mainly dependent on agriculture; and

(b) whether the Planning Commission has formulated any schemes so far to reduce the increasing pressure on agriculture during the next five years?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) Data regarding the percentage of population of India at the beginning and also at the end of the Fourth Five Year Plan mainly depending on agriculture are not available. The only source for such information is the decennial Census according to which 69.3 per cent of the population was engaged in agricultural work in 1971.

(c) The Planning Commission has now undertaken the work of formulation of the next Five Year Plan 1978-79 to 1982-83 keeping in view the objectives of removal of unemployment and substantial under-employment, elimination of destitution, alleviation of poverty and reduction in disparities of income and wealth within a period of about 10 years. In view of the limited scope of the non-agricultural sector to absorb surplus labour from agriculture and the considerable potential of agriculture itself as well as of the cottage and small scale sector, for labour absorption, the main thrust of the strategy of development will be to give primacy to the development of these sectors.

Beggary Among Able-bodied People

4407. **Shri Ram Lal Rahi:**

Shri L. L. Kapoor:

Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) the total number of beggars in the country and the number of able-bodied persons among them;

(b) whether Government propose to take effective steps to check beggary especially among able-bodied people and if so, when ;

(c) whether such people generally turn criminals and also commit crimes; and

(d) whether Government propose to enact a law to check beggary in the country ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) According to the 1971 Census, the total number of persons in the category "Beggars, Vagrants etc." is estimated, on the basis of sample surveys, at 10.1 lakhs. Separate figures of the able-bodied amongst beggars is not available.

(b) The problem of beggary is being tackled in the short-term through anti-beggary laws in various States, which *inter-alia* provide for setting up of institutional services for training of the able-bodied beggars to promote their eventual rehabilitation. The various socio-economic programmes under implementation are expected to have long-term impact on eradicating beggary.

(c) There is no evidence to indicate that such people generally turn criminals and commit crimes.

(d) Government are considering an anti-beggary legislation primarily with the object of providing the Union Territories a uniform legislation of their own. This may also serve as a model legislation for State Governments.

Complaints of Corruption in Mewar Sugar Mills

4408. **Shri Bhanu Kumar Shastri:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Central Government have received complaints of corruption in the Mewar Sugar Mills, Bhopal Sagar (Rajasthan) ; and

(b) if so, the action being taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

भारतीय खाद्य निगम को सरकार द्वारा दी गई धनराशि

4409. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1975-77, 1977-78 के वर्षों के दौरान, भारतीय खाद्य निगम को भारत सरकार द्वारा कितनी धनराशि दी गई है; और

(ख) राजसहायता देने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह): (क) **और** (ख) वर्ष 1975-76 से 1977-78 के दौरान अधिप्राप्त खाद्यान्नों की इकनामिक लागत और केन्द्रीय निर्गम मूल्य के बीच के अन्तर की प्रतिपूर्ति के रूप में तथा बफर स्टाक के रख-रखाव के खर्च हेतु भारतीय खाद्य निगम को निम्नलिखित धनराशि दी गई है :—

वित्तीय वर्ष	(धनराशि करोड़ रुपए में)
1975-76	250.00
1976-77	506.00
1977-78 . .	243.81
	(15-12-77 तक)

इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1977–78 के बजट अनुमान में 460 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

भैंसों तथा सांडों का निर्यात

4410. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार द्वारा भारतीय भैंसों तथा सांड विदेश भेजे जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और कब से ऐसा किया जा रहा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख)

1974–75	बुलगारिया
1975–76	वियतनाम
1976–77	श्रीलंका, दुबई, कुवैत, तथा सऊदी अरब
1977–78	वियतनाम, मध्यपूर्व और खाड़ी के देश

एक किसान की औसत आय

4411. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक किसान की औसत आय का ब्यौरा क्या है; और

(ख) किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं, जिनसे कृषकों की आय में वृद्धि होगी। इन कार्यक्रमों का सम्बन्ध फसल क्षेत्र के विस्तार सिंचाई सुविधाओं का विस्तार तथा फसल उत्पादन में सुधार करने से हैं। फसल पैदावर में सुधार करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनमें कृषकों को प्रमाणीकृत बीज, उर्वरक कीटनाशक दवाइयां और उन्नत फार्म मशीनरी तथा उपकरण जैसे आदानों की अधिक व्यवस्था करना, अधिक पैदावार देने वाली किस्मो की खेतो के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र लाना, संस्थागत ऋण की आपूर्ति में वृद्धि करना और समस्या उन्मुखी अनुसंधान को तेज करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, कृषकों को उनके कृषिगत उत्पादों के लिये लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करके तथा विभिन्न आदानों पर सहायता प्रदान करके उन्हें अधिक उत्पादन करने के लिये प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

Quality of Coarse Grain Procured by F.C.I.

4412. **Shri Chhabiram Argal:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the quantity in tons of coarse grain procured, State-wise, by the Food Corporation of India till 29-11-1977;

(b) whether the said Corporation has procured so much corase grain that it has been kept in the open for want of storage space ;

(c) if so, whether this grain is spoiling in the open and is becoming unfit for human consumption and if so, the quantity in tons of grains which has been spoiled;

(d) the procurement price of grain and the selling price fixed by the Food Corporation, State-wise;

(e) whether wheat which was procured at the rate of Rs. 105 to 110 per quintal is being sold now at the rate of Rs. 142 to Rs. 145 per quintal ; and

(f) if so, the reasons for earning so much profit ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh): (a) No coarse-grains have been procured under price support by the Food Corporation of India so far in the current marketing season. Food Corporation of India have, however, made commercial purchases of 20 tonnes of Maize from Haryana and 100 tonnes of Jowar from Madhya Pradesh upto 29th November, 1977.

(b) Whatever stocks of coarse-grains are on hand with the Food Corporation of India have been stored in covered accommodation.

(c) Does not arise.

(d) Government of India have fixed the procurement price for coarse-grains at Rs. 74 per quintal and the issue price from the Central Pool at Rs. 86 per quintal.

(e) & (f) Issue price of wheat for supplies to the State Governments from the Central pool has been fixed at Rs. 125 per quintal ex-godowns of Food Corporation of India or FOR destination. The issue prices for consumers through the public distribution system are fixed by the State Governments after adding local taxes, storage charges, retailers' magin and other such distribution charges to the Central Pool issue price. According to the information available with the Food Department, the price charged from the consumers varies from State to State and ranges from Rs. 129 per quintal in Delhi to Rs. 155 per quintal in Himachal Pradesh. Food Corporation of India is not making any profit while issuing wheat at the Central issue price of Rs. 125 per quintal as their economic cost is much higher.

Demand from Rajasthan to Increase Sugar Quota

4413. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether Rajasthan State have made a demand to increase the quota of sugar supplied to them by the Central Government;

(b) if so, the present quota of sugar and the quota for which a demand has been made; and

(c) when the quota supplied at present to the State was fixed?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c): Rajasthan Government was getting a monthly levy sugar quota of 8520 tonnes during January, 1976 to November, 1977 and an increase of 4,000 tonnes in the quota was asked for. As per decision taken on 27-10-1977. Statewise levy sugar quotas from December, 1977 have been refixed on the basis of per capita availability of 425 grams per month and accordingly Rajasthan Government's monthly quota has been increased to 12,757 tonnes.

नेत्रहीन, मूक और विकलांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने पर व्यय

4414. **श्री के० प्रधानी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान नेत्रहीन, मूक और विकलांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने में कितना धन व्यय किया है तथा उसी अवधि के दौरान कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है, और

(ख) ऐसे कितने प्रशिक्षित व्यक्तियों को अब तक रोजगार दिया गया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) और (ख) जहां तक समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं का संबंध है पिछले तीन वर्षों में ऐसे प्रशिक्षण पर (लगभग) 42.1 लाख रुपये का खर्च हुआ है तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या 822 है। ऐसे प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या उपलब्ध नहीं है, जिन्हें रोजगार दे दिया गया है।

इसके अतिरिक्त सरकार स्वयंसेवी संगठनों की विभिन्न गतिविधियों के लिए जिनमें विकलांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना भी शामिल है, सहायक अनुदान देती है।

Repairs to Water Pipes in Janakpuri D.D.A. Colony

4415. **Shri Ram Vilas Paswan**: Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that for the flats of Janakpuri, Delhi Development Authority has installed P.V.C. water pipes by removing conventional pipes;

(b) whether it is also a fact that conventional pipes are more durable;

(c) Whether it is also a fact that Delhi Development Authority is granting licences for carrying out repairs to water supply pipes in Janakpuri; and

(d) if replies to above parts be in the affirmative, the action proposed to be taken by Government in this direction?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a) to (d) Information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जमादार का पद भरने की कसौटी

4416. **श्री राम लाल कुरील** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सर्किल दो में फायरमैन के पदोन्नत कर भरे जाने वाले जमादार के पद दीर्घावधि से रिक्त पड़े हैं यद्यपि आरम्भ से ही योग्य और अर्हताप्राप्त अभ्यर्थी पदोन्नति के लिए उपलब्ध हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी पदोन्नतियों में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां। फायर जमादारों के दो पद जनवरी, 1973 से खाली पड़े हैं।

(ख) खर्च में किफायत करने की आवश्यकता को देखते हुए आरम्भ में इन पदों को भरना स्थगित किया गया था। बाद में उन पदों को भरने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था जो छः महीने से अधिक अवधि तक खाली पड़े रहे। यह प्रतिबन्ध अभी भी लागू है।

केन्द्रीय भाण्डागार निगम के कर्मचारियों को वेतन

4417. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय भाण्डागार निगम के भारत भर में काम करने वाले श्रेणी-3 तथा श्रेणी-4 के कर्मचारियों ने अपनी अनिश्चित कालीन हड़ताल 10 सितम्बर, 1977 को उनके इस आश्वासन पर समाप्त कर दी थी कि उनकी मांगों पर विचार किया जायेगा;

(ख) क्या यह सच है कि उनके द्वारा दिए गए आश्वासन को ताक पर रख दिया गया और कर्मचारियों की बहुत सी उचित मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई;

(ग) क्या यह सच है कि हड़ताल के दौरान अनुपस्थिति की अवधि को अभी तक नियमित नहीं किया गया है और उक्त अवधि के लिए वेतन प्रबन्धकों द्वारा रोक लिए गए हैं जिससे अनेक लोगों को गंभीर दिक्कतें पैदा हो गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उनका निगम के निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों को दो मास से अधिक समय से रोके गए वेतन का भुगतान करने का निर्णय कब लेने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : **(क)** केन्द्रीय भाण्डागार निगम के कुछेक कर्मचारियों ने अगस्त, 1977 में हड़ताल की थी। कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की सरकार के साथ 9/10 सितम्बर, 1977 को हुई चर्चा के कारण 12 सितम्बर, 1977 को हड़ताल खत्म हो गई थी।

(ख) जी नहीं। सरकार की कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चा के अनुसरण में प्रबन्ध का कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा हुई। प्रबन्ध ने कर्मचारियों को जिन-जिन सुविधाओं को देना मान लिया था उन्हें ही कार्यान्वित किया है।

(ग), (घ) और (ङ) ऐसी स्थिति की दृष्टि में कि वह हड़ताल पूर्णतया अनुचित तथा अनावश्यक थी और "काम नहीं, वेतन नहीं" के सुस्थापित सिद्धान्त से संगत थी इसलिए कर्मचारियों को न

तो हड़ताल की अवधि की मजदूरी दी गई और न ही उस अवधि को शेष छुट्टी के प्रति समायोजित करने की इजाजत दी गई। फेडरेशन की प्रबन्ध के साथ हुई चर्चा के दौरान यह बात पहले ही स्पष्ट कर दी गई थी।

इण्डियन क्राफ्ट सोसायटी, नई दिल्ली को भूमि का आवंटन

4418. **श्री के०ए० राजन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री 11 जुलाई, 1977 के तारांकित प्रश्न संख्या 406 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन क्राफ्ट्स सोसाइटी, नई दिल्ली को 1975-76 में विन्डसर प्लेस में प्रदर्शनी का आयोजन करने के लिए जमीन किन 9 शर्तों पर दी गई थी;

(ख) प्रत्येक उल्लिखित शर्त का पालन न करने के कारण क्या कार्रवाई की गई है ;

(ग) सोसाइटी ने कुल कितना धन इकट्ठा किया; और

(घ) प्रधान मंत्री कोष में कुल कितनी धनराशि दी जानी है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) आबंटन की निम्नलिखित शर्तें थीं :—

(i) यह आवंटन पूर्णतया अस्थायी तौर पर 20 अक्तूबर, 1975 से 15 जनवरी, 1976 तक की अवधि के लिए किया जायेगा। इस अवधि को किन्हीं भी परिस्थितियों में बढ़ाया नहीं जाएगा और इस अवधि से ज्यादा अवधि तक दखल में रखना दण्डनीय होगा। बाद में इस अवधि को 30 अप्रैल, 1976 तक बढ़ा दिया गया था।

(ii) यह संस्था भूमि व विकास अधिकारी, निर्माण भवन, नई दिल्ली को एक रुपया प्रति मास की दर से भूमि की लाइसेंस फीस अग्रिम रूप से भुगतान करेगी।

(iii) इस भूमि का उपयोग संस्था वस्तुतः अस्थायी प्रदर्शनी के उपयोग के लिए ही करेगी और किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं।

(iv) यह संस्था 8,412 वर्ग गज भूमि के चारों ओर अस्थायी बाढ़ लगाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उनकी गतिविधियां समीपस्थ भूमि तक नहीं फैलायी जाएंगी।

(v) यह संस्था इस क्षेत्र को साफ-सुथरा रखना सुनिश्चित करेगी। यदि आवश्यक हुआ तो यह संस्था प्रदर्शनी के दर्शकों के उपयोग के लिए पर्याप्त शौचालयों तथा मूत्रालयों की व्यवस्था करेगी।

(vi) यह संस्था लिखित रूप में यह आश्वासन देगी कि भूमि दिल्ली विकास प्राधिकरण को निश्चय ही 16 जनवरी, 1976 को उसी रूप में वापिस कर देगी जिस रूप में संस्था द्वारा ली गयी थी ।

(vii) यदि भूमि को, जैसी थी वैसी ही अवस्था में ही वापिस नहीं किया गया तो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उस भूमि को मूल रूप में लाने का खर्चा संस्था को देना होगा। क्या भूमि मूल रूप में ही वापिस की गयी है या नहीं इस प्रश्न पर दिल्ली विकास प्राधिकरण का फैसला अन्तिम होगा।

(viii) प्रदर्शनी के बन्द होने के एक महीने के अन्दर यह संस्था भूमि और विकास अधिकारी को प्रदर्शनी से प्राप्त हुई धन राशि का लेखा परीक्षित विवरण देगी और यह प्रमाण-पत्र

भी देगी कि प्रदर्शनी से प्राप्त हुई समस्त धनराशि प्रधान मन्त्री के सहायता कोष में जमा करवा दी गयी है।

(ix) इस संस्था को भूमि और विकास अधिकारी को पांच रुपये प्रति वर्ग गज प्रतिमास की दर से अनुमोदित हर्जानों के बराबर की धनराशि के लिये बैंक की जमानत देनी होगी। पट्टादाता को उपर्युक्त (viii) के बारे में सन्तुष्टि न होने का अर्थ होगा कि पट्टादाता बैंक की जमानत के बदले नकद राशि ले लेगा।

(ख) चूंकि संस्था ने आबंटन की कोई भी शर्त पूरी नहीं की इसलिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सरकारी भूमि के अनधिकृत दखल के लिए संस्था के खिलाफ अपने सम्पदा अधिकारी के न्यायालय में कार्यवाही आरम्भ की गयी थी।

(ग) मालूम नहीं है।

(घ) प्रदर्शनी से प्राप्त हुई समस्त धनराशि को संस्था द्वारा प्रधान मंत्री के सहायता कोष में जमा किया जाना था। इस संस्था ने अगस्त, 1977 में प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय सहायता कोष के नाम पर 55,026.59 रुपये का एक बैंक ड्राफ्ट प्रधान मंत्री के कार्यालय को भेजा। इस ड्राफ्ट को भुनाया नहीं गया है।

केन्द्रीय मत्स्य निगम के कर्मचारियों द्वारा दिया गया ज्ञापन

4419. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय मत्स्य निगम कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि हाल ही में उनसे मिले थे और उनसे अनुरोध किया था कि 500 कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के हित में निगम को बन्द कर दिया जाये;

(ख) क्या उन्होंने एक ज्ञापन पेश किया है जिसमें ऐसी कई बातें कही गई हैं जो निगम को आर्थिक रूप से सक्षम बना सकती हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि गोडविन रास समिति ने निगम को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए अपने प्रतिवेदन में कुछ सिफारिशें की हैं और क्या सरकार ने उनमें से कोई सिफारिश कार्यान्वित की है;

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) :(क) जी हां।

(ख) कर्मचारी संगठन ने निगम को सक्षम बनाने के लिए अपने सुझावों का एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था।

(ग) सिफारिशें व्यवहारिक नहीं पाई गईं।

राष्ट्रीय मरुभूमि पार्क के लिए योजना

4420. **श्री जी०एन० बनतवाला :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में दुर्लभ वन्य प्राणियों का संवर्धन करने के लिए एक राष्ट्रीय मरुभूमि पार्क की योजना बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य के लिए इस बीच कोई स्थान नियत किया गया है; और

(ग) इसके लिए कितना धन नियत किया गया है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं होता।

महाराष्ट्र में सूखाग्रस्त होने वाले क्षेत्र कार्यक्रम में सिंचाई योजना

4421. **श्री राजा राम शंकरराव माने** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राज सहायता प्राप्त सिंचाई योजनाओं को लागू करने का कोई कार्यक्रम है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या उसका कमी वाले क्षेत्रों और सूखाग्रस्त होने वाले क्षेत्र कार्यक्रम और पिछड़े क्षेत्रों के लाभ के लिए महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों में सिंचाई के सभी स्रोतों का उपयोग करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) लघु तथा सीमान्त कृषकों को लघु कृषक विकास अभिकरण, सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, समेकित आदिवासी कार्यक्रम तथा कमाण्ड क्षेत्र कार्यक्रम आदि केन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रमों के माध्यम से गैर-सरकारी व सामुदायिक लघु सिंचाई कार्यों के लिए राज सहायता दी जा रही है आगामी योजना की अवधि में ऐसे कार्यक्रमों को गतिमान करने का प्रस्ताव है।

(ख) तथा (ग) राज्यों की सामान्य योजनाओं के अन्तर्गत सभी सूखाग्रस्त व पिछड़े क्षेत्रों में उपलब्ध जल संसाधनों का उपयोग करके सिंचाई विकास पर अधिकाधिक बल दिया जा रहा है । जैसा कि नीचे दिया गया है सिंचाई कार्यक्रमों के लिए परिव्यय का सृजन अलग-अलग वर्षों के लिए होता रहा है :—

(रुपये करोड़ों में)

लघु सिंचाई	1975-76	1976-77	1977-78
1	2	3	4
1. सार्वजनिक क्षेत्र .	128.59	149.04	197.18
2. संस्थागत निवेश	175.00	215.00	260.00
3. वृहत मध्यम सिंचाई (सार्वजनिक क्षेत्र) .	498.00	694.00	988.00

इसके अतिरिक्त एस० एफ० डी० ए०, डी० पी० ए० पी० तथा आई० टी० डी० पी० आदि केन्द्रीय क्षेत्र के कायक्रमों के अन्तर्गत सिंचाई विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है, जिन्हें विशेषकर सूखा ग्रस्त व पिछड़े क्षेत्रों के लाभ के लिये शुरू किया गया है।

कृषि स्नातकों के लिए रोजगार-प्रधान योजनाएं

4422. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि स्नातकों के लिए लघु अथवा दीर्घावधि रोजगार प्रधान योजनाएं लागू करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि स्नातकों के लिये कोई विशेष लघु अथवा दीर्घावधि रोजगार उन्मुखी योजनाएं विचाराधीन नहीं हैं। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि स्नातकों के लिये रोजगार का सृजन करना सरकार की योजनाओं का एक महत्वपूर्ण घटक है।

(ख) इन योजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) "प्रशिक्षण तथा निरीक्षण" के अंतर्गत पुनर्गठित कृषि विस्तार के आधार पर एक आधुनिक, व्यवसायिक तौर पर सक्षम कृषि विस्तार सेवा के निर्माण में राज्यों की सहायता के लिए, भारत सरकार द्वारा राज्यों में कृषि विस्तार प्रशासन के दृढ़ीकरण और पुनर्गठन के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्वीकृत की गई है। इसे समस्त राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में परिचालित किया गया। योजना के अन्तर्गत अन्य घटकों के अतिरिक्त, कार्यक्रम के निम्नलिखित घटकों के लिये 75 प्रतिशत की सीमा तक केन्द्रीय सहायता उपलब्ध रहेगी :—

(क) कृषि विस्तार अधिकारी—8 ग्राम सेवकों की निगरानी के लिये एक कृषि विस्तार अधिकारी दिय गया है।

(ख) सब डिवीजन स्तर पर विषयगत विशेषज्ञ—विशेषतः सस्य विज्ञान और पौद्य-संरक्षण के क्षेत्र में एक प्रशिक्षण अधिकारी सहित।

(ग) जिला स्तर पर दो अतिरिक्त विषयगत विशेषज्ञ।

(2) निम्नलिखित उद्देश्यों से कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना के लिये विद्यमान योजना स्कीम को छठी योजना में भी जारी रखने का प्रस्ताव है :—

(क) तकनीकी कार्मिकों के अतिरिक्त कृषि स्नातकों को स्वतरोजगार के अवसर प्रदान करना।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषक समुदायों को महत्वपूर्ण तकनीकी सेवाएं और आपूर्ति प्रदान करना।

(3) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ग्रामीण शाखाओं की संख्या बढ़ायी जा रही है, जिससे कि कुछ क्षेत्रों में ग्रामीण शाखाओं के प्रबन्धकों और कृषि क्षेत्र अधिकारियों के तौर पर कृषि स्नातकों की रोजगार के लिए काफी मांग होगी। ऐसी शाखाओं की संख्या जून, 1969 में 1523 से (राष्ट्रीयकरण की तारीख) बढ़कर 31-3-1976 को 6163 तक पहुंच गई थी।

(4) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने कृषि विश्वविद्यालयों पर कृषि शिक्षा के समस्त विषयों में व्यावहारिक प्रशिक्षण को बढ़ाने की और पढ़ते हुए कमाओं परियोजनाओं पर उपयुक्त प्रशिक्षु योजनाओं की आवश्यकता पर बल दिया है जिससे कि कृषि स्नातकों में विश्वास पैदा करने में सहायता मिल सकती है। छठी योजना के प्रस्तावों में उपयुक्त प्रशिक्षु स्कीमों को शामिल किया जा रहा है।

(5) कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 50 मार्ग दर्शी परियोजनाएं स्थापित की गई हैं और प्रत्येक परियोजना के अन्तर्गत कई कृषि स्नातक कार्यरत हैं।

(6) संयुक्त कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिये 16 राज्यों में फैली हुई 61 सिंचाई परियोजनाएं अभिज्ञात की गई है। चुनी हुई सिंचाई परियोजनाओं में से 47 परियोजनाओं में कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित किये गये हैं। इस कार्यक्रम में मृदा सर्वेक्षण, स्थलाकृति सर्वेक्षण फार्म योजनाओं को तैयार करना, खेत की नालियों और नालों का निर्माण, भूमि विकास आदि पर विचार किया गया है। ये कार्य करने के लिये एक बड़ी संख्या में कृषि स्नातकों आदि को लगाया जा रहा है।

Harijan Students' Hostels

†4423. **Shri Ramji Lal Suman :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state : the number of Harijan students' hostels in the country and the efforts being made by him to bring about improvement therein ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : Information regarding the number of such hostels in the country is not available with this Ministry. However, there are no separate hostels specially for Harijans, with whom the Ministry or the University Grants Commission is concerned. Universities and colleges have been requested by the University Grants Commission to provide 20 per cent seats in hostels for Scheduled Castes and Scheduled Tribes students.

Functioning of Command Area Development Authorities

4424. **Shri Yuvraj :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether 36 Command Area Development Authorities consisting of 46 irrigation projects of 12 States are functioning in the country and similar authorities are also proposed to be set up for remaining irrigation command areas ; and

(b) if so, the names of those States and what impact of their work is having on the lives of the people ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) 37 Command Area Development Authorities covering 48 irrigation projects have been set up in 12 States so far. The programme is proposed to be extended to other irrigation command areas to be selected in consultation with the State Governments during the coming years.

(b) These authorities have been set up in the States of Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Haryana, Jammu and Kashmir, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Rajasthan, Uttar Pradesh and West Bengal. The integrated Command Area Development Programme has been initiated during the Fifth Five Year Plan, with a view to ensure better utilisation of irrigation potential created and to improve agricultural protection through implementation of modernisation of the irrigation system, improvement of drainage wherever necessary, on farm development works, agricultural extension, conjunctive use of surface and ground water etc. Although it is too early to assess the full impact of this programme, the reports received from a number of project authorities indicate that there is increase in agricultural production wherever this programme is being implemented.

रीजनल इंजीनीरिंग कालेज, दुर्गापुर में अनियमितताएं

4425. **श्री रोबिन सेन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, दुर्गापुर के बारे में 13 जून, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 45 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, दुर्गापुर के मुख्य कोषाध्यक्ष और रजिस्ट्रार के विरुद्ध हिसाब-किताब में गड़बड़ी करने का मामला था और पुलिस ने दोनों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया था तथा जिसके परिणामस्वरूप कालेज प्राधिकारी ने मुख्य कोषाध्यक्ष को मुअत्तल कर दिया था ; और

(ख) यदि, हां, तो रजिस्ट्रार को भी मुअत्तल न करने के क्या कारण हैं जबकि पुलिस ने उसके विरुद्ध भी आपराधिक मामला दर्ज किया था और वह धन तथा अन्य रिकार्ड का वस्तुतः संरक्षक है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) तथा (ख) पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि श्री पी० सी० चौधरी, मुख्य कोषाध्यक्ष रोकड़ को रखते थे तथा रोकड़ के प्रभारी भी थे। श्री एच० के० बनर्जी, रजिस्ट्रार ने 31-7-75 को रोकड़ अनुभाग का निरीक्षण किया तथा रोकड़ सारांश पर प्रति हस्ताक्षर किए। रजिस्ट्रार ने निरीक्षण के मामले में अपने कार्य की उपेक्षा की। रजिस्ट्रार द्वारा श्री पी० सी० चौधरी, मुख्य कोषाध्यक्ष से गबन का धन लेने का कोई साक्ष्य नही था। पुलिस की रिपोर्ट तथा मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड का विचार था कि क्योंकि रजिस्ट्रार प्रत्यक्ष रूप से रोकड़ के प्रभारी नही थे, अतः उन्हें मुअत्तल नहीं किया जाना चाहिए था। तथापि, बोर्ड ने रजिस्ट्रार को रोकड़ अनुभाग की देख-रेख के कार्य से 3-8-1977 से भार-मुक्त कर दिया। दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रगति पर है।

अध्ययन दल द्वारा हिमाचल प्रदेश के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा

4426. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के एक अध्ययन दल ने हिमाचल प्रदेश के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया है ;

(ख) यदि हां, तो दल के क्या निष्कर्ष हैं ;

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की है अथवा करने का विचार है ; और

(घ) हिमाचल प्रदेश में तथा विशेष रूप से राज्य के ऊना क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां। अक्तूबर, 1977 में एक केन्द्रीय अध्ययन दल ने, जिसमें योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, कृषि विभाग और सिंचाई विभाग के प्रतिनिधि शामिल थे, राज्य में कुछ बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया था।

(ख) केन्द्रीय दल की रिपोर्ट के अनुसार, अत्यधिक और निरन्तर वर्षों और कई वृष्टिस्फोटों के कारण उफनती हुई पहाड़ी नदियों और जलधाराओं ने घाटी और आस-पास के मैदानों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया, जिसके परिणामस्वरुप व्यापक भूमि-कटाव, भू-स्खलन, जन-सुविधाओं को क्षति, फसलों को हानि, कृषि भूमि का बह जाना और मानव तथा पशुओं के जीवन को हानि हुई।

(ग) केन्द्रीय दल की रिपोर्ट पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त, सरकार ने 2.70 करोड़ रुपये की एक अग्रिम योजना सहायता स्वीकृत की है। इसके अतिरिक्त, 10,000 मीटरी टन गेहूं (निःशुल्क राहत के लिये बिना लागत का 5,000 मीटरी टन गेहूं और काम के एवज में खाद्य कार्यक्रम के तहत 5,000 मीटरी टन गेहूं) स्वीकृत किया गया है।

(घ) अग्रिम योजना सहायता के 2.70 करोड़ रुपये में से 0.60 करोड़ रुपये की राशि ऊना क्षेत्र सहित राज्य में बाढ़ सुरक्षा उपायों के लिये निर्धारित की गई है।

केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षकों की शिकायतें

4427. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षकों ने उनसे अच्छे व्यवहार के लिए अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने हाल ही में उन्हें अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया है ;

(ग) यदि हां, तो उनकी शिकायतें क्या हैं ;

(घ) उनकी कठिनाईयों की जांच करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) इस बारे में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) और (ख) हाल ही में इस संबंध में कुछ एक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ग) आवासीय स्थानों, चिकित्सा सुविधाओं, पदोन्नति नियमों, स्थानान्तरणों, वेतनमानों के संशोधन एवं अन्य सेवा शर्तों इत्यादि की व्यवस्था के संबंध में कठिनाइयां व्यक्त की गई हैं।

(घ) और (ङ) इन में से अधिकांश कठिनाइयां पहले ही ज्ञात थीं और उन पर कार्रवाई की गई थी । इन शिक्षकों की सेवा-शर्तों में सुधार हेतु निरन्तर प्रयास किए जाते हैं और समग्र वित्तीय कठिनाइयों के अधीन भविष्य में भी ऐसे प्रयास हमेशा जारी रहेंगे ।

Reasons for Increasing the Price of D.D.A. Flats

4428. **Shri Rameshwar Patidar:** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Delhi Development Authority is not a profit making organisation in the constructon of flats now;

(b) if not, the reasons for increasing the cost of Prasad Nagar middle income group flats from Rs. 55,000 to Rs. 75,200 ;

(c) the basis for fixing the cost of these flats of Rs. 75,200 by previous Government, indicating the break-up thereof ; and

(d) if he feels that the previous Government have realised higher cost unreasonably, whether new Janta Government have any new scheme to refund the money, and if not, the reasons thereof ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a) It is not a profit-making organisation.

(b) & (c) The disposal cost of the MIG flats at Prasad Nagar ranged between Rs. 52,000 and Rs. 57,000. Certain flats in Prasad Nagar were, however, earlier sold to the Income Tax Department @ Rs. 75,000 per flat. In view of this, the disposal cost of the MIG flats in Prasad Nagar was raised. Simultaneously, cost of LIG and Janta category flats was reduced.

(d) The present completed houses are to be disposed of at the existing price. Thus, there is no proposal to refund the money.

चावल की वसूली का लक्ष्य

4429. **श्री समर गुह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खरीफ के मौसम में चावल के उत्पादन के बारे में कोई नवीनतम अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो चावल के अनुमानित उत्पादन के आंकड़ों का, राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) दक्षिण भारत में अभूतपूर्व समुद्री तूफान के कारण चावल के उत्पादन को कितनी क्षति हुई है।

(घ) विभिन्न राज्यों में चावल की वसूली का अनुमानित लक्ष्य क्या है ; और क्या लक्ष्यों के पूरा कर लिये जाने के बाद भी चावल की वसूली जारी रहेगी ;

(ङ) यदि हां, तो क्या ऐसी वसूली कृषकों को मिल-मालिकों अथवा अन्य एजेंटों को मजबूरी में की गई चावल की बिक्री से बचायेगी ; और

(च) यदि हां, तो खरीफ के मौसम के दौरान चावल की वसूली की योजना संबंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) विभिन्न राज्य सरकारों से खरीफ मौसम 1977–78 के लिए चावल के अधीन क्षेत्र और चावल के उत्पादन से संबंधित अन्तिम अनुमान के बारे में अभी सूचना प्राप्त नहीं हुई है । तथापि, उपलब्ध रिपोर्टों से पता चलता है कि चालू वर्ष के दौरान पिछले वर्ष के 397.4 लाख मिटरी टन के उत्पादन की तुलना में अच्छा उत्पादन होगा ।

(ग) तूफान के कारण दक्षिण भारत में चावल के उत्पादन में हुई क्षति का कोई ठीक-ठीक अनुमान लगाना कठिन है । धान के अधीन क्षेत्रों में हुई क्षति का अस्थायी रुप से जो अन्दाजा लगाया गया है उसका ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

राज्य का नाम	फसल	क्षेत्र
आंध्र प्रदेश	धान	7.38 लाख हैक्टर
तमिलनाडु	धान	
	(क) कुरवई	
	(1) कुल क्षति	8,400 हैक्टर
	(2) आंशिक क्षति	2,800 हैक्टर
	(ख) साम्बा	
	(1) कुल क्षति	22,940* हैक्टर
	(2) आंशिक क्षति	77,520 हैक्टर
पांडिचेरी	धान	5,400 हैक्टर
केरल	धान सहित कुल क्षेत्र	
	(क) क्षतिग्रस्त	21,000 हैक्टर
	(ख) नष्ट	15,360 हैक्टर

*इसके अतिरिक्त विभिन्न अवधियों के लिए जलमग्नताधीन साम्बा के अन्तर्गत 40,000 हैक्टर की पैदावार प्रभावित होगी ।

(घ), (ङ) और (च) मौजूदा खरीफ विपेणन मौसम 1977-78 के दौरान चावल की वसूली हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं । राज्य सरकारों और भारतीय खाद्य निगम द्वारा किसानों द्वारा पेश किए गए खरीफ के निर्धारिती विनिर्दिष्टियों के अनुरूप सभी खाद्यान्नों की खरीदारी करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। चालू विपणन मौसम के लिए वसूली कार्य मौसम भर में जारी रहेगा ।

नई दिल्ली में तीव्र गति से निर्माण कार्य

4430. **श्री डी० जी० गवई :**

चौधरी ब्रह्म प्रकाश :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नगरीय कला आयोग के भूतपूर्व सचिव तथा सुविख्यात शिल्पकार श्री हबीब रहमान द्वारा दी गई इस आशय की चेतावनी की जानकारी है कि लुटेन्स द्वारा निर्मित नई दिल्ली के अस्तित्व को जनता सरकार द्वारा तीव्र गति से निर्माण कार्य करने से खतरा बना हुआ है और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) 19 नवम्बर, 1977 के "टाइम्स आफ इण्डिया" (नई दिल्ली संस्करण) में इस बारे में एक विवरण छपा था।

(ख) मौजूदा सरकार के सत्ता में आने के बाद कोई अनियोजित निर्माण नहीं हुआ है । इस क्षेत्र के सभी पुनर्विकास प्लानों में इसके पर्यावरण के बनाये रखने का ध्यान रखा जायेगा ।

Repairs to the Slum Colonies of D.D.A.

4431. **Shri Shiv Narain Sarsonia :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of quarters in Chandrashekhar Azad Slum Colony, Swami Dayanand Slum Colony, Amba Bagh and Padam Nagar in Sarai Rohilla area which are under the D.D.A. Slum Department ;

(b) whether in these quarters repairs have not been carried out, drain pipes are not being replaced and construction work on lanes and roads is not being undertaken at all for the last 2 years and if so, the reasons therefor ;

(c) the action proposed to be taken by D.D.A. Slum Department for carrying out repairs and bringing about improvement in the quarters constructed in this area and when it is likely to be completed ; and

(d) whether drinking water is not available to the people residing in second and third floors of the quarters of Chandrashekhar Azad Colony and if so, the arrangements made in this regard ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) :

(a) Colony	No. of tenements
(i) Chandershekhar Azad Colony	448
(ii) Amba Bagh	232
(iii) Swami Dayanand Colony	352
(iv) Padam Nagar	72
Total	1104

(b) Day to day maintenance and repairs of the quarters are being carried out wherever considered necessary. A scheme for providing roads, lanes, etc., in these colonies is also being considered.

(c) Essential repairs are carried out as and when necessary. In addition a scheme for Environmental Improvement has been prepared and is being finalised. It will take about six months to implement the scheme after it is sanctioned.

(d) Drinking water is available to the people residing in the second and third floor of the tenements of Chandrashekhar Azad Colony.

Small and Cottage Industries in Hastinapur, Tarai and Pilibhit, U.P.

4432. **Dr. Kailash Prakash** : Will the **Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state whether it is a fact that after partition of the country refugees were rehabilitated in Hastinapur, District Meerut, and in Tarai area of Bareilly, Pilibhit and Nainital (U.P) and assurance was given that small and cottage industries will be set up to rehabilitate them fully and if so, the steps taken in this regard so far ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Ram Kinkar) : Displaced persons from former West Pakistan were rehabilitated in Hastinapur, District Meerut, and in Tarai area of Bareilly, Pilibhit & Nainital on agricultural land in business, trade and industry by advancing them loans. According to the report received from the State Government of Uttar Pradesh, all these displaced persons have been fully resettled long back.

New migrants from former East Pakistan have been resettled on agriculture in the Districts of Bareilly, Pilibhit and Nainital. One scheme of large-scale industry namely Madan Spinning Mills has been implemented for employment/training of new migrants and repatriates at Hastinapur.

फल परिष्करण संयंत्र

4433. **श्री सी०के० चन्द्रप्पन :**

श्री अहमद हुसैन :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन जनवादी गणतंत्र की वित्तीय सहायता से देश में एक फल परिष्करण संयंत्र की स्थापना करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिए किस स्थान का चयन किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, असम में सिल्चर या उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अन्य किसी उपयुक्त स्थान पर फल तथा सब्जी प्रोसेसिंग संयंत्र लगाने की संभावना पर विचार कर रहा है । जर्मन जनवादी गणतंत्र के विशेषज्ञों और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ द्वारा मिल कर एक टेक्नो-इकनामिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गयी है जिसमें अनानास, संतरा और टमाटर के विधायन पर विचार किया गया है। आशा है कि जर्मन जनवादी गणतन्त्र आयातित मशीनरी की लागत पूरी करने के लिए ऋण के रूप में वित्तीय सहायता देगा । यह मशीनरी जर्मन जनवादी गणतन्त्र या अन्य किसी समाजवादी देश से आयात की जाएगी ।

अखिल भारतीय केन्द्रीय भू-जल बोर्ड कर्मचारियों से ज्ञापन

4434. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय केन्द्रीय भू-जल बोर्ड कर्मचारी एसोसिएशन, फरीदाबाद की ओर से कोई ज्ञापन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ; और

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां । एसोसिएशन के एक उप-प्रधान से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था, लेकिन एसोसिएशन के एक अन्य उप-प्रधान ने पत्र भेजकर यह सूचित किया कि पहले वाले उप-प्रधान को कर्मचारियों की कठिनाइयों के विषय में सरकार को लिखने की अनुमति नहीं दी गई है, अतः उनसे प्राप्त पत्र पर विचार नहीं किया जाए । यह ज्ञापन एसोसिएशन के महामंत्री को भेज दिया गया है जिससे कि वे एसोसिएशन की केन्द्रीय कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव की एक प्रति उपलब्ध करा सकें ।

(ख) ज्ञापन में उल्लिखित मांगे इस प्रकार हैं :—

(1) 4 अधिकारियों के स्थानान्तरण को रद्द करना ।

(2) विभागाध्यक्ष के मुख्यालय को दिल्ली से फरीदाबाद को बदलना ।

(3) अनिवार्य बचत योजना की राशि का समयपूर्व भुगतान करना ।

(4) केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के मुख्यालय के रिकार्ड की छंटाई ।

(ग) उपरोक्त (क) को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न ही नहीं होता ।

सरकारी फार्म द्वारा अनुसंधान

4435. **श्री के० मालन्ना** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ऐसे सरकारी फार्म हैं जिनमें केवलमात्र कृषि अनुसंधान कार्य हो रहा है और यही कारण है कि वे घाटे पर चल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में उक्त फार्मों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा उनकी प्रगति के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भारत सरकार के कोई ऐसे फार्म नहीं हैं जिनमें केवल मात्र कृषि अनुसंधान कार्य हो रहा है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

"बल्लाल सेनेर धीपी" टीले की खुदाई

4436. **श्री रेणुपद दास** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल में "बल्लाल सेनेरे धीपी" जो कि बिना खोदा गया पुरातत्वीय टीला है और जो भारत सरकार द्वारा संरक्षित है, बहुत सीमा तक उसके कब्जे से निकल गया है ;

(ख) क्या यह जैन अथवा बौद्ध धर्मावलम्बियों की वस्तुशैली का है, यदि हां तो इस टीले को नवीन ढंग से और पर्याप्त रूप से खुदाई न करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को टीले की खुदाई करने की कोई योजना है ; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) सिवाय इसके कि स्थानीय लोगों के द्वारा कभी कभी ईंटों और पत्थरों को हटाया गया है, पश्चिम बंगाल के जिला नदिया में बल्लाल सेनेरे ढीपी का प्राचीन स्थल अक्षुण्ण है ।

(ख) से (घ) सर्वेक्षण द्वारा किये गये ऊपरी सतह के अन्वेषण से यह स्थल पालबंश के समय से संबद्ध प्रतीत होता है और हो सकता है कि उससे पूर्ववर्ती इतिहास भी वहां हो । इसके ठीक-ठीक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक क्रम को निर्धारित करने के लिये सर्वेक्षण ने आगामी वर्ष में इस स्थान पर सीमित उत्खनन कार्य आरम्भ करने का निश्चय किया है ।

नर्मदा जल से संबद्ध सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति

4437. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा जल से सम्बद्ध लघु अथवा मुख्य सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) प्रारम्भ की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उनकी अद्यतन स्थिति क्या है ; और

(घ) अन्य परियोजनाओं को प्रारम्भ न करने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है जिसमें यह बताया गया है कि नर्मदा बेसिन में कौन सी बृहद/मध्यम परियोजनाएं पूरी हो गई हैं, कौनसी निर्माणाधीन हैं, किन परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है और कौन-सी परियोजनाएं मंजूरी के लिए पेंडिंग हैं । इसके अलावा नर्मदा बेसिन में तालाबों सहित कई लघु सिंचाई वर्क्स भी हैं । इनका ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	बृहद/मध्यम परियोजना	लाभ हजार हेक्टेयर	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
क. पूर्ण हो गई परियोजनाएं				
	(क) मध्य प्रदेश			
1.	बोहारी बंध	मध्यम	2.72	पूर्ण
2.	धुकरो खेड़ा	मध्यम	2.67	पूर्ण
3.	धुआं धार	मध्रम	1.37	पूर्ण
4.	बोराड घाटी	मध्यम	5.05	पूर्ण
5.	चन्द्रकेश्वर	मध्यम	4.80	पूर्ण
6.	भंसखेड़ी	मध्यम	1.41	पूरी होने वाली है ।
	(ख) गुजरात			
7.	हेरन (हेरन नदो पर भद्रा)	मध्यम	2.23	पूर्ण
ख. निर्माणाधीन				
	(क) मध्य प्रदेश			
1.	तवा (संशोधित)	बृहद्	332.78	निर्माण प्रौढावस्था में है ।
2.	बर्ना (संशोधित)	बृहद्	60.485	

1	2	3	4	5
	3. सुक्ता (संशोधित)	बृहद्	18.583	लगभग 50 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है।
	4. बिछिया ताल	मध्यम	2.32	पूरी होने वाली है ।
	(ख) गुजरात			
	5. कर्जन .	बृहद्	61.97	प्रारम्भिक अवस्था (हाल ही में मंजूर की गई है)
	6. सुखी . .	बृहद्	21.25	प्रारम्भिक अवस्था
	7. रामी . . .	मध्यम	1.34	प्रौढ़ावस्था (अनुमोदित)
	ग. जिन पर विचार किया जा रहा है			
	(क) मध्य प्रदेश			
	1. बिचुआ लतिया	मध्यम	4.856	तकनोकी सलाहकार समिति (टी० ए० सी०) द्वारा स्वीकार्य समझी गई।
	(ख) गुजरात			
	2. हेरन	बृहद्	36.42	तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार्य समझी गई ।
	घ. पेंडिंग			
	(क) मध्य प्रदेश			
	1. ओमकारेश्वर	बृहद्	267.902 100 प्रतिशत भार अनुपात पर 94 मेगावाट विद्युत	अन्तर्राज्यीय पहलू निहित है । संबंधित राज्यों के बीच नर्मदा जल के बंटवारे के बारे में विवाद इस समय नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णयाधीन है तथा पंचाट के उपलब्ध होने तक इन परियोजनाओ को स्वीकृति नहीं दी जा रही है ।
	2. कोलार .	बृहद्	36.70	
	3. महगांव टोला ताल	मध्यम	2.834	
	4. सकालदा ताल	मध्यम	1.708	
	5. गुर्दा नाला ताल	मध्यम	1.376	
	6. माजलगांव ताल	मध्यम	1.70	
	7. मटियार	मध्यम	9.55	
	8. जोब नाला .	मध्यम	1.26	
	9. पारस ताल . .	मध्यम	1.39	
	10. चोरल नदी परियोजना	मध्यम	4.20	
	11. बारगी . . .	बृहद्	520	
	12. नर्मदा सागर . .	बृहद्	250	
	(ख) गुजरात			
	13. नवगाम (नर्मदा परियोजना) .	बृहद्	1627.00 281 मेगावाट	

वरुणा नहर पर कार्य का बन्द किया जाना

4438. **श्री के० लकप्पा:** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या प्रधान मंत्री की सलाह पर कर्नाटक सरकार ने वरुणा नहर बनाने का कार्य रोक दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) क्या यह मामला प्रधान मंत्री के समक्ष रखा गया था ;

(घ) क्या प्रधान मंत्री ने मामला निपटा दिया है ; और

(ङ) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या मुख्य कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ङ) : कर्नाटक सरकार ने अभी तक वरुणा नहर के बारे में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट ही भेजी हैं । केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है ।

लेकिन जब कर्नाटक सरकार ने वरुणा नहर पर काम शुरू किया था तो राज्य में इस स्कीम के विरुद्ध विरोध प्रकट किए गए थे और इसके परिणामस्वरूप शान्ति और व्यवस्था को गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई थी । तमिलनाडु सरकार ने भी सूचित किया था कि कर्नाटक द्वारा इस परियोजना को क्रियान्वित किये जाने से कावेरी नदी के जल से सम्बन्धित मामलों के बारे में किए जाने वाले विचार-विमर्श पर और इन मामलों के अन्तिम रूप से निपटाये जाने पर गम्भीर रूप से प्रभाव पड़ेगा ।

उपर्युक्त को देखते हुए प्रधान मंत्री ने कर्नाटक के मुख्य मंत्री से अनुरोध किया कि अन्तिम फैसला होने तक, जिसके लिए जल्दी ही बातचीत करने का प्रस्ताव है, इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि विद्यमान स्थिति में कोई परिवर्तन न हो ।

Rice Mills and Rice Bran Oil Mills with F.C.I.

4439. **Shri Dharmasinhbhai Patel:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the number of modern paddy pounding mills, rice mills and rice bran oil mills with the Food Corporation of India at present and the number of mills, out of them, working at present and when the rest of mills will start functioning indicating the number thereof ; and

(b) the additional quantity, in tonnes of rice and rice bran oil, likely to be produced by these mills every year ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh): (a) Food Corporation of India have set up 25 modern rice mills and 1 rice bran oil extraction plant, all of which are working at present.

(b) It is estimated that these mills turn out about 2.06 lakh tonnes of rice and 650 tonnes of rice bran oil during 1977-78.

Leaning of Taj

†4440. **Shri Keshavrao Dhondge:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether some foreign experts and newspapers have reported that Taj Mahal of Agra is leaning on one side ; and

(b) if so, whether Government have looked into the matter and if so, the outcome thereof ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) and (b) No, Sir. No report of foreign expert or newspaper to this effect has come to the Government's notice.

The Taj Mahal at Agra is not leaning on one side. The terrace of the high plinth of the mausoleum has a slope, on the river side, for easy drainage of rain water. The levels of different parts of the main building are periodically checked by the Survey of India and the last report of February 1975 has disclosed that there is no discernible change in the levels of the Taj.

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जामा मस्जिद क्षेत्र में पाइवाला में निर्माण परियोजना

4441. **चौधरी ब्रह्म प्रकाश :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जामा मस्जिद क्षेत्र में पाईवाला में बड़े पैमाने की निर्माण परियोजना पर अब तक क्या व्यय किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि पाईवाला की भूमि का अधिग्रहण जिस पर आठ बहुमंजिला खण्डों का निर्माण किया जा रहा है, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आपातस्थिति के दौरान उसमें विहित असाधारण शक्तियों के अन्तर्गत किया गया था ;

(ग) इस भूमि का मालिक कौन था और क्या मालिक ने इस बारे में कोई दावा पेश किया है; और

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण को इस कारण कितनी हानि होगी और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है।

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) तक : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी :

Less Procurement

4442. **Shri Surya Narain Singh :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the procurement of Kharif produce has been less than the procurement made during the previous years ; and

(b) if so, the details thereof and the arrangements being made by the Food Corporation of India to increase the procurement ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh : (a) Procurement of Kharif cereals in the current marketing season of 1977-78 will continue till the end of October, 1978. As per information received upto 15th December, 1977 a total quantity of 17.89 lakh tonnes has been procured as compared to 15.47 lakh tonnes in the corresponding period of the Kharif marketing season of 1976-77.

(b) Does not arise.

नेशनल स्कूल आफ ड्रामा में भाई-भतीजावाद के कथित मामले

4443. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "फोरम टू फाइट नेपोटिज्म" ने दिल्ली में नेशनल स्कूल आफ ड्रामा के अधीन फैकल्टी पदों पर गलत चुनावों, पक्षपात तथा भाई-भतीजावाद के कई मामलों के बारे में आरोप लगाया है ;

(ख) क्या सरकार ने नेशनल स्कूल आफ ड्रामा में कथित कुप्रशासन तथा कुप्रबन्ध के मामलों की जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इन आरोपों के बारे में क्या कार्रवाई की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) यह मामला राष्ट्रीय ड्रामा स्कूल, जिसका प्रबन्ध सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत एक सोसाइटी द्वारा किया जाता है, को भेजा गया था। स्कूल द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आरोप निराधार है ।

चितरंजन मेमोरियल सोसाइटी, नई दिल्ली को प्लाटों का आवंटन

4444. **श्री दिलीप चक्रवर्ती** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालका जी (दिल्ली) के निकट चितरंजन पार्क के अलाटियों को दिये गये प्लाटों के प्रीमियम में अन्य बातों के साथ पार्क स्थलों, सामुदायिक केन्द्रों तथा स्कूल के ग्राउंडों के अधिग्रहण की लागत शामिल है ; और

(ख) यदि हां, तो देशबंधु चितरन्जन मेमोरियल सोसाइटी से इसे एक सामुदायिक केन्द्र के आबंटन के लिए 1½ लाख रुपये की राशि वसूल करने के क्या कारण हैं, क्या इससे चितरंजन पार्क में प्लाट के आबंटन पर लागू होने वाला 'न लाभ, न हानि' के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) व्यक्तिगत अलाटियों से 30 रुपए प्रति वर्ग गज की दर से को जा रही प्रीमियम की वसूली अस्थायी है। अन्तिम रूप से जो प्रीमियम वसूल किया जाएगा, उसका निर्धारण, अधिग्रहण की लागत और समस्त क्षेत्र के विकास पर किए गए व्यय को शामिल करके और भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए पात्र विस्थापित व्यक्तियों के लिए उपलब्ध प्लाटों के क्षेत्र से भाग करके, किया जा रहा है ।

(ख) निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक, परोपकारी तथा धार्मिक संस्थाओं, जो लाभकारी प्रकार की नहीं हैं, के लिए निर्धारित की गई दर पर सोसाइटी से एक एकड़ भूमि के आबंटन के लिए एक लाख रुपए की राशि वसूल की जाएगी और इसके साथ भूमि के किराए के रूप में प्रिमियम पर 2½ तिशत की वार्षिक दर से वसूली की जाएगी। यह एक रियायती दर है और 1964 में निर्धारित की गई थी ।

गुजरांवाला हाउस बिल्डिंग कोआपरेटिव सोसाइटी को आबंटित अतिरिक्त भूमि के नक्शे

4445. **श्री इब्राहीम सुलेमान सेट** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरांवाला हाउस बिल्डिंग कोआपरेटिव सोसाइटी को आबंटित अतरिक्त भूमि के नक्शे का संशोधन किया गया था ;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संशोधित नक्शे को मंजूर करते समय सोसाइटी के शेष बचे मूल सदस्यों की आवश्यकताओं पर विचार किया गया था और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सोसाइटी अथवा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नक्शा तैयार करते समय सोसाइटी के शेष बचे सदस्यों को विश्वास में लिया गया था और यदि नहीं, तो क्यों ; और

(घ) क्या अतिरिक्त भूमि का नक्शा उन सदस्यों में परिचालित किया जाएगा और उनके सुझाव एवं टिप्पणियां आमंत्रित की जाएंगी, और यदि नहीं, तो क्यों ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) तक: सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में उपकुलपतियों को संरक्षण

4446. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अनेक उप-कुलपतियों पर अपने पद छोड़ने के लिये दबाव डाला जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार विद्यार्थियों अथवा शिक्षक संघों के राजनीतिक प्रभाव के विरुद्ध उन्हें यदि कोई संरक्षण प्रदान करेगी तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालय के किसी भी कुलपति पर पद छोड़ने के लिए दबाव नहीं है। तथापि, कुछ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापकों तथा छात्रों द्वारा कुलपतियों को हटाने की मांग की गई है । कुलपतियों की नियुक्ति की शर्तें केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में निर्धारित हैं । इन शर्तों में हस्तक्षेप करना न तो सरकार या किन्हीं संघों के लिए सम्भव हो है और न ही सरकार का कोई ऐसा इरादा है ।

मार्डन बेकरीज द्वारा गैर-प्राथमिकता वाली पदों का उत्पादन

4447. **श्री मल्लिकार्जुन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माडर्न बैकरोज की स्थापना मूलतः डबलरोटी जैसी आवश्यक पदों के उत्पादन तथा सप्लाई के लिये की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस उपक्रम को शीतल पेय जैसी गैर-प्राथमिकता वाली मदों का उत्पादन और विक्रय करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) माडर्न बैकरीज के मेमोरेंडम एण्ड आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन में कम्पनी द्वारा बेकरी और कन्फ़ैक्शनरी तैयार करने और कोई अन्य खाद्य उद्योग से संबंधित व्यापार करने की व्यवस्था है । कम्पनी का अब तक प्रमुख उद्देश्य उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर मानक किस्म की पोस्टिक डबलरोटी सुलभ करना रहा है। यह पीनट मक्खन का भी उत्पादन करती है ।

कम्पनी ने नये पेय के उत्पादन और विपणन का कार्य भी शुरू किया है ताकि राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित देशीय पेय को मुख्यतया वाणिज्यिक आधार पर बेचा जा सके और कोका-कोला के उत्पादन के समाप्त होने से जो रिक्तता पैदा हुई है उसको पूरा किया जा सके । यह इसलिए भी आवश्यक था ताकि कोका-कोला के बन्द होने के कारण कोका-कोला बाटलिंग यूनिटों के कर्मचारियों और उद्योग के थोक तथा खुदरा व्यापारियों को होने वाली कठिनाई को दूर किया जा सके ।

प्रेसीडेंट्स एस्टेट, नई दिल्ली स्थित सहशिक्षा उच्चतर माध्यमिक स्कूल के प्रिंसिपल के विरुद्ध शिकायतें/अभ्यावेदन

4448. **श्री सी० आर० महाटा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 1976-77 में तथा आज तक प्रेसीडेंट्स एस्टेट, नई दिल्ली स्थित सह-शिक्षा उच्चतर माध्यमिक स्कूल (दिल्ली प्रशासन के अधीन) के प्रिंसिपल के विरुद्ध वहां के छात्रों के अभिभावकों एवं अध्यापकों की ओर से कुछ शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार स्कूल के प्रिंसिपल के विरुद्ध स्कूल में काय कर रहे कुछ अध्यापकों तथा एक छात्र के अभिभावक से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। अध्यापकों से प्राप्त शिकायतें उनकी सेवा शर्तों से सम्बन्धित थीं और उनकी विधिवत जांच की गई है । छात्र के अभिभावक की शिकायत छात्र की उच्चतर कक्षा में उन्नति न देने से सम्बन्धित थी । जांच करने पर छात्र को कक्षोन्नति के लिए पात्र नहीं पाया गया ।

नई दिल्ली स्थित सरकारी क्वार्टरों की उप-किरायेदारी

4449. **श्री मुहम्मद हसन खान :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में चित्रगुप्त रोड, आराम बाग स्क्वेयर और चित्रगुप्त लेन पर स्थित सरकारी क्वार्टरों के कुछ आबंटियों ने अपने क्वार्टर प्रशासन की अनुमति के बिना सार्वजनिक लोगों को अत्यधिक किराये पर आगे दे रखे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस कदाचार को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) चालू वर्ष के दौरान कथित अनधिकृत उप-किरायेदारी के 44 मामले नोटिस में आये। उचित जांच करने के बाद 43 मामलों में उप-किरायेदारी के आरोप साबित नहीं हुए। एक मामले में जांच पड़ताल अभी चल रही है।

(ख) विभिन्न कालोनियों में सरकारी मकानों को अनधिकृत रूप से उप-किरायेदारी पर देने के मामलों का पता लगाने के लिए अकस्मात निरीक्षण करने की एक प्रणाली पहले ही लागू है। इसके अतिरिक्त, जब कभी उप-किरायेदारी की विशिष्ट शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उनकी जांच पड़ताल की जाती है। नियमों का उल्लंघन करके सरकारी मकान को उप-किरायेदारी पर देने के लिए दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ आबंटन नियमों के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जाती है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में इंजीनियरों के स्वीकृत पद

4450. **श्री हरि शंकर महाले :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के इंजीनियर विंग में 15 नवम्बर, 1977 को सभी संवर्गों में स्वीकृत पदों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से कितने पदों पर इंजीनियर काम कर रहे हैं;

(ग) क्या प्रतिनियुक्ति पर आये कुछ इंजीनियर अपने मूल विभागों में नये-नये पदोन्नत हुए व्यक्ति हैं और उनकी पदोन्नति केवल दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति के लिए ही हुई है;

(घ) क्या प्रतिनियुक्ति पर आये कुछ इंजीनियर केवल दिल्ली विकास प्राधिकरण में ही वरिष्ठ पदों पर आसीन हैं जब कि अपने मूल विभागों में उनके 'लियन' निचले पदों पर हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण संवर्ग के अन्तर्गत सभी श्रेणियों (सिविल तथा इलैक्ट्रिकल) के कितने इंजीनियर दिल्ली विकास प्राधिकरण में नियमों के अधीन पदोन्नति के पात्र हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ङ) तक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पौड़ी में वनस्पति विज्ञान संस्थान

4451. **श्री जगन्नाथ शर्मा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के गढ़वाल जिले में पौड़ी नामक स्थान पर एक वनस्पति विज्ञान संस्थान की मंजूरी दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा उसके कब तक पूरी होने की संभावना है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा पौड़ी, जिला गढ़वाल, उत्तर प्रदेश, में एक प्रयोगात्मक उद्यान स्थापित किया गया था न कि एक वनस्पति विज्ञान संस्थान।

(ख) अब तक की गई प्रगति में, फरवरी, 1975 में राज्य सरकार से भूमि का अधिकार लेना, पथ और सड़कें तैयार करना, तथा आर्थिक तौर पर महत्वपूर्ण एवं वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से रुचिकर 38 प्रकार के वृक्षों तथा अन्य पौधों का लगाना, शामिल हैं। अन्य 40 वानस्पतिक नमूने रोपने का कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है। आर्थिक तौर पर महत्वपूर्ण पौधों पर प्रयोग जारी रहेंगे।

चीनी उत्पादन का लक्ष्य

4452. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 के लिए विश्व का चीनी उत्पादन का कुल लक्ष्य कितना है; और

(ख) इसमें भारत का अंश कितना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय चीनी संगठन द्वारा संकलित सूचना के अनुसार 1977-78 के फसल वर्ष में चीनी का विश्व उत्पादन लगभग 890 लाख मीटरी टन "रा वैल्यू" होने का अनुमान है। इस आधार पर भारत का उत्पादन 56.4 लाख मीटरी टन होने का अनुमान है जो कि विश्व उत्पादन का 6.3 प्रतिशत बैठता है।

उड़ीसा में मत्स्य बीज फार्म की मंजूरी

4453. **श्री जेना बैरागी** : : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में कितने मत्स्य बीज फार्म हैं तथा उनके कितने-कितने हेक्टेयर में नर्सरी क्षेत्र हैं;

(ख) क्या उसमें से सभी फार्म कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या भारत सरकार ने अप्रयुक्त नर्सरी का सुधार करने के लिए उपयुक्त धनराशि मंजूर की है, अथवा नहीं; और

(घ) यदि नहीं, तो भारत सरकार धनराशि कब मंजूर करेंगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) 93 डिमपौना फार्म हैं जिनके अन्तर्गत 95 हैक्टर नर्सरी क्षेत्र आता हैं ।

(ख) 93 में से 13 कार्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तालाब उपयुक्त नहीं पाए गए हैं।

(ग) अनप्रयुक्त सीड फार्मों का सुधार करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोई योजना नहीं है, चूंकि यह समूचा कार्यक्रम राज्य योजना के अंतर्गत आता है ।

(घ) प्रश्न नहीं होता ।

Visit of Officers to Foreign countries

4454. **Shri Daulat Ram Saran** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the names of the officers in the Ministry who visited abroad during the last eight months indicating the purpose of their visit and the countries they visited ;

(b) whether there is any procedure or rules for foreign tours of the departmental officers ; and

(c) the expenditure incurred on such tours ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Communication received in Hindi in Food Corporation of India

4455. **Shri Ram Naresh Kushwaha** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the number of letters received in Hindi and English respectively in the headquarter of the Food Corporation of India under the Department of Food and its regional/zonal offices in Hindi speaking States during 1976-77 and the number of letters, out of them replied to in English or in Hindi only;

(b) whether there is laxity in making correspondence in Hindi in the offices of the Food Corporation of India and the provisions of the Official Language Act are not being implemented fully there ; and

(c) if so, the details of the steps being taken to ensure that such negligence is not shown to official language, Hindi andadequate number of Hindi Sections is created ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(b) It has not yet been possible to ensure full implementation of the provisions of the Official Languages Act in all the offices of the Corporation.

(c) Progressive use of Hindi is being made in the various offices of the Food Corporation of India according to a phased programme. Instructions have been given by the Head Office of the Corporation to its zonal/regional offices all over the country to reply in Hindi all communications received in Hindi. All the offices of the FCI in Hindi speaking States have been advised to initiate correspondence in Hindi. A Hindi Cell has been set up at the Head Office of the Corporation which is responsible for coordinating the Hindi implementation activities of various zones/regions besides implementing the official language policy and programmes in the Head Office. Hindi Cells are also being set up in the zonal/regional offices. FCI offices in all Hindi speaking States have been supplied copies of the hand-book of orders issued by the Department of Official Languages. Besides printing all the stationery items in English and Hindi, some of our important publications are brought out in Hindi as well as in English. Letters received in Hindi at the Headquarters are replied invariably in Hindi. In order to give Hindi training to non-Hindi knowing officials of the Corporation, Hindi classes are being run at the Head Office which are also attended by the officials from the zonal and regional offices of the Northern Zone based at Delhi.

Sugar Factories in U.P. and Bihar

4456. **Shri Ram Dhari Shastri** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the number of sugar mills in Uttar Pradesh and Bihar which have started crushing upto 30th November, 1977 and the number of mills which have yet to start; and

(b) the action being taken by Government to ensure that the remaining mills start functioning ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) Upto 30-11-1977, 57 sugar factories in Uttar Pradesh and 12 sugar factories in Bihar had gone into production for 1977-78 season. As per telegraphic information received upto 16-12-1977, in U.P. 21 more factories and in Bihar 10 more factories have gone into production. Only two mills in U.P. and six in Bihar are still to commence during the current season.

(b) With reference to cane availability and offerings to the Mills, maturity of cane etc. the State Governments are expected to ensure that the factories start at the appropriate time.

साहित्य अकादमी पुरस्कार

4457. **श्री के० डी० चेतरी** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साहित्य अकादमी प्रत्येक भाषा में प्रति वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार हेतु पुस्तकों का चयन करने के लिए किन मानदण्डों का अनुसरण करती है;

(ख) साहित्य अकादमी चयन समितियों तथा सलाहकार समितियों में कौन लोग होते हैं और इन समितियों के गठन के लिए किन मानदण्डों का अनुसरण किया जाता है;

(ग) नेपाली भाषा सम्बन्धी सलाहकार समिति के सदस्य कौन हैं और क्या वे निर्धारित मानदण्डों को पूरा करते हैं;

(घ) क्या किन्हीं नेपाली लेखकों को कोई साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो उन लेखकों के नाम क्या हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इनके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) इसका उल्लेख संलग्न विवरण (I) [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-1423/77] में किया गया है।

(ख) साहित्य अकादमी चयन निकायों का गठन गोपनीय रखा जाता है और इसको प्रकट करना लोकहित में नहीं है ।

भाषा सलाहकार बोर्डों के सदस्यों के नाम संलग्न विवरण (II) [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-1423/77] में दिये गये हैं ।

इन निकायों के सदस्य साहित्य अकादमी के कार्यकारी बोर्ड द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। चयन, सम्बन्धित भाषाओं के सुप्रसिद्ध लेखकों और विद्वानों में से किया जाता है।

(ग) नेपाली से संबंधित सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के नाम विवरण (II) [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1423/77] में शामिल हैं। वे सलाहकार बोर्ड में शामिल किए जाने के योग्य हैं ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) इस वर्ष श्री इन्द्र बहादुर राय को उनकी पुस्तक 'नेपाली उपन्यास का अधारहरू' के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

योग मूल्यांकन समिति

4458. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री योग मूल्यांकन के बारे में 1 अगस्त, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5544 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य समिति की बैठक एस०एन०आई०पी०ई०एस० बोर्ड आफ गवर्नर्स के निदेशानुसार हुई है;

(ख) क्या सिफारिशों पर पुनर्विचार कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, अभी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

जनपथ पर प्रदर्शनी

4459. **श्री कंवर लाल गुप्त:** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन व्यक्तियों से कोई धनराशि वसूल की है जिन्होंने जनपथ पर प्रदर्शनी का आयोजन किया था;

(ख) क्या यह मामला निर्माण तथा आवास मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच के लिए निर्देशित किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि इस प्रदर्शनी का आयोजन करने वाले व्यक्तियों ने बहुत अधिक धन का गबन किया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं। किन्तु अगस्त, 1977 में, इण्डियन क्राफ्ट्स सोसाइटी ने प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सहायता कोष में 55,026.59 रुपये का एक बैंक ड्राफ्ट भेजा था जो सोसायटी के अनुसार, प्रदर्शनी से प्राप्त बचत राशि है। यह ड्राफ्ट भुनाया नहीं गया है।

(ख) जी, नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सरकारी भूमि के अनधिकृत दखल के लिए सोसाइटी के खिलाफ कार्यवाही की है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) सरकार को इसकी जानकारी नहीं है।

तिरुचिरापल्ली में कालेजों को सहायता के लिए अनुरोध

446C. **श्री आर० बेंकटारमन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आई बाढ़ से तिरुचिरापल्ली में कालेजों को भारी क्षति पहुंची है;

(ख) क्या मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से उन कालेजों को उदारता से सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, तिरुचिरापल्ली के पांच कालेजों के पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं को गंभीर क्षति पहुंची थी। इस कारण अनुमानित हानि प्रति कालेज 10.00 लाख रु० से 1.00 लाख रुपये के बीच है।

(ख) जी, हां।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, तमिलनाडु तथा आन्ध्र प्रदेश के कालेजों को, जिन्हें हाल के चक्रवात से भारी नुकसान पहुंचा है, विशेष सहायता देने का निर्णय किया है। यह विशेष सहायता भवनों, उपकरणों और पुस्तकों के लिए अनुदानों के रूप में होगी। ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

नगरीय भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के नियमों से छूट का पुनरीक्षण

4461. **श्री चित्त बसु :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नगरीय भूमि के लिए अधिकतम सीमा कानून से छूट संबंधी नियमों का पुनरीक्षण करने के लिए हाल ही में कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो पुनरीक्षित नियमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे पुनरीक्षण के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) जी, हां ।

निर्माण कार्यों की गतिविधि फिर से चालू करने तथा कृषकों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाईयों को दूर करने के उपायों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में फसल को क्षति

4462. **श्री फिरंगी प्रसाद :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत खरीफ मौसम में वर्षा के अभाव और पानी की कमी के कारण उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में खरीफ की लगभग 75 प्रतिशत खड़ी फसल को क्षति पहुंची है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां भुखमरी की गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में अध्ययन करने के लिए एक केन्द्रीय अध्ययन दल ने भी उस राज्य का दौरा किया था जिसने केन्द्रीय सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(घ) केन्द्रीय अध्ययन दल तथा राज्य सरकार द्वारा कितनी-कितनी क्षति का अनुमान लगाया गया है ; और

(ङ) वहां जनता को राहत देने के लिए केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) राज्य सरकार द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार गत खरीफ के मौसम के दौरान राज्य के केवल 8 जिले अर्थात् गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, आजमगढ़, फैजाबाद, गौडा, जोनपुर और प्रतापगढ़ सूखे से प्रभावित हुए। बस्ती और फैजाबाद में 75 प्रतिशत खड़ी फसलों की क्षति पहुंची थी। शेष छः जिलों में फसलों को केवल 20 से 60 प्रतिशत तक हानि पहुंची थी।

(ख) राज्य में भुखमरी की कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है।

(ग) केन्द्रीय अध्ययन दल ने जिसने अक्तूबर 1977 में राज्य का दौरा किया था सूखे से उत्पन्न स्थित का भी जायजा लिया था।

(घ) तथा (ङ) राज्य सरकार ने रिपोर्ट दी है कि लगभग 28,868 ग्रामों, 149.69 लाख आबादी और 80.00 करोड़ रुपये की लागत का 36.47 लाख एकड़ बोया गया क्षेत्र सूखे से प्रभावित हुआ था। राज्य सरकार ने राहत संबंधी कार्यों के लिये 16.35 लाख रु० और परीक्षण संबंधी कार्यों के लिये 30 लाख रुपये की धन राशि आवंटित की गई थी। जहां फसलों की हानि 50 प्रतिशत अथवा अधिक हुई वहां सभी कृषि संबंधी देयों की वसूली स्थगित की गई। लघु कृषकों का जिनकी जोतें 1 एकड़ तक

है और जिनकी 50 प्रतिशत अथवा अधिक फसल को क्षति हुई थी, का रबी की बुवाई के लिये गेहूं, बीज और उर्वरकों का मुफ्त वितरण किरने का भी निर्णय किया गया था।

केन्द्रीय सरकार ने राज्य में बाढ़ और सूखे से उत्पन्न स्थिति के कारण राज्य योजना संबंधी व्यय में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए 10 करोड़ रुपये की अग्रिम योजना सहायता की मंजूरी दी है। यह भी निर्णय किया गया है कि बाढ़ तथा सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में मुफ्त राहत के रूप में वितरण करने के लिये 10,000 टन गेहूं अनुदान के रूप में सप्लाई किया जाए।

ठेका श्रमिकों की छटनी

4463. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्माण और आवास मंत्रालय के अधीन उन परियोजनाओं संबंधी पूर्व ब्यौरा क्या है जिनके निर्माण के लिए ठेके उत्तम सिंह दुग्गल एंड कम्पनी को दिए गए थे ;

(ख) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि इस कम्पनी ने बहुत से श्रमिकों की, उनकी बकाया राशि दिए बिना ही, छंटनी कर दी है; यदि हां, तो तत्संबन्धी पूरा ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है जो ठेका श्रमिकों को उनकी जीविका से वंचित कर रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) मुख्य इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली प्रशासन ने इस फर्म को निम्नलिखित निर्माण कार्य दिये थे :—

(i) एशिया 72 प्रदर्शनी में दिल्ली प्रशासन के मण्डप का निर्माण कार्य ।

(ii) शेरशाह रोड, नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय भवन का निर्माण कार्य ।

तथापि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने इस फर्म को हाल ही में निर्माण कार्य का कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया है ।

(ख) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Facilities of Forthcoming COMEX Expedition

4464. **Shri Ugrasen** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that COMEX propose to start its tour expedition of various Commonwealth Countries from India instead of England this time ; and

(b) the facilities to be provided to COMEX team and the details of selection, number of and expenditure on Indian youths participating therein ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) The Central Government are not aware of any tour expedition to be undertaken by COMEX.

(b) Does not arise.

Financial Assistance provided by World Bank for Rajasthan Canal

†4465. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the financial assistance provided by the World Bank for Rajasthan canal during the current financial year; and

(b) whether any proposal has been sent by the State Government for assistance from the World Bank in future for the purpose ?

The Minister of Agricultural and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) International Development Association have granted a credit of U.S. $ 83 million on 31-7-1974 for Rajasthan Canal Command Area Development for 2 lakh hectares under Stage-I. 10 million are expected to be drawn from the above credit during the current financial year. The utilization till 31-10-1977 is $ 28.11 million.

(b) The World Bank is considering the possibility of credit assistance for the remaining command area development in Stage-I of Rajasthan Canal Project as also for some engineering components of Stage-II, proposed by the State Government.

छोटे किसान विकास एजेंसी तथा सीमान्त किसान एवं कृषि श्रमिक योजनाओं के अधीन किसानों को राजसहायता

4466. **श्री अण्णासाहिब गोटखिण्ड** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छोटे किसान विकास एजेन्सी तथा सीमान्त किसान एवम कृषि श्रमिक योजनाओं के अधीन चालू वर्ष के पहले 6 माह के दौरान किसानों को राज्यवार पृथक-पृथक कितनी राशि की राज्य सहायता दी गयी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

राज्य का नाम	1-4-77 से 30-9-77 तक उपयोग में ली गई धन राशि (लाख रुपयों में)
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	165.90
2. असम	12.88
3. विहार	82.82
4. गुजरात	57.70
5. हरियाणा	28.65
6. हिमाचल प्रदेश	43.69
7. जम्मू तथा कश्मीर	15.55
8. कर्नाटक	33.13
9. केरल	38.61

1	2
10. मध्य प्रदेश	59.48
11. महाराष्ट्र	62.52
12. मणिपुर	2.15
13. मेघालय	3.43
14. नागालैंड	11.53
15. उड़ीसा	67.20
16. पंजाब	30.36
17. राजस्थान	34.64
18. तामिलनाडु	87.95
19. त्रिपुरा	5.03
20. उत्तर प्रदेश	171.29
21. पश्चिम बंगाल	60.83
22. दिल्ली	2.80
23. गोवा	8.54
24. पांडिचेरी	1.00
25. सिक्किम	--
योग	1087.68*

*ऊपर दर्शाये गये आंकड़ों में परियोजना इलाकों में प्रशासन, सहकारी सोसाटियों की जोखिम निधि, लघु तथा सीमान्त किसानों तथा कृषकों के अंशपूंजी ऋण तथा आधारभूत सुविधाओं के विकास से संबंधित व्यय शामिल हैं । तथापि ये कुल व्यय का छोटा सा भाग दर्शाते हैं, विपुल धनराशि विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित लाभभोगियों को दिए जाने वाले उपदान के लिए उपयोग में लाई जा रही है ।

दिल्ली के किसानों को केन्द्रीय सहायता

4467. **श्री राजकेशर सिंह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों के पुनर्वास के लिए और अपनी फसल की बुवाई करने में सहायता देने के लिए सरकार ने दिल्ली प्रशासन को आर्थिक सहायता दी है; और

(ख) उक्त सहायता राशि को किसानों में वितरित करने के लिए प्रशासन ने क्या मानदण्ड अपनाया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां ।

(ख) निम्नलिखित सिद्धांतों पर जोत की क्षति तथा आकार की सीमा को दृष्टिगत रखते हुए व्यक्तिगत आवश्यकता का निर्धारण किया जा रहा है :—

1. चारा खरीदने के लिए तकावी

300 रुपये प्रति पशु, बशर्ते कि वह प्रत्येक मामलों में अधिक से अधिक 1000 रुपये तक हो ।

	रुपये
2. नलकूपों की मरम्मत करने के लिए तकावी ऋण	
(क) मोटर का पुर्नसमापन	500
(ख) पम्प हाउस की मरम्मत	1000
(ग) बिजली का तार तथा उसकी फिटिंग	1000
(घ) विविध	500
कुल	3000

(छोटे किसानों को वरीयता दी जा रही है)

3. आदानों की खरीद के लिए तकावी	
(क) उर्वरक	250 रु० प्रति एकड़
(ख) बीज	105 रु० प्रति एकड़
(ग) कीटनाशी औषधियां	30 रु० प्रति एकड़

स्मारकों की सुरक्षा पर व्यय

4468. **श्री डी०बी० चन्द्र गोडा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों और देवालयों में मूर्तियों की सुरक्षा पर पुरातत्व विभाग द्वारा प्रति वर्ष कितनी धनराशि खर्च की जा रही है ; और

(ख) इस विभाग के कुल वार्षिक बजट की तुलना में इस मद पर हुए खर्च की प्रतिशतता क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बजट का लगभग 5·6 प्रतिशत धन-राशि देवालयों की मूर्तियों सहित ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों की सुरक्षा और रखरखाव के लिए प्रयोग की जाती है। पिछले तीन वर्षों में औसतन वार्षिक व्यय 350 रुपये लाख के क्रम में है।

मध्य प्रदेश में केले का उत्पादन

4469. **श्री सुखेन्द्र सिंह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य ने उस राज्य में केला उत्पादन का विकास करने के बारे में केन्द्रीय सरकार के पास कोई योजना अनुमोदन के लिये भेजी है ; और

(ख) यदि हां, तो, इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक करने की सम्भावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) मध्य प्रदेश राज्य से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सम्पूर्ण पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए केले के विकास की केन्द्र द्वारा प्रायोजित

एक योजना मध्य प्रदेश के लिए अक्तूबर, 1974 में स्वीकृत की गई थी। 1977-78 के दौरान 1.31 लाख रुपये के परिव्यय के साथ योजना की स्वीकृति भी भेजी जा चुकी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

विदेशों में संस्थाओं को वित्तीय सहायता

4470. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनको भारत सरकार वित्तीय सहायता देती है ;

(ख) यदि हां, तो उन संस्थाओं के तथा उन देशों के नाम क्या हैं ; और

(ग) भारत सरकार द्वारा उन्हें दी जा रही वित्तीय सहायता के बारे में तथा उनकी व्यवस्था के बारे में ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) विवरण संलग्न है [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल०टी०-1424/77]

Smuggling of Foodgrains to Nepal and Bangladesh

4471. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government will enquire into the alleged smuggling of Foodgrains worth more than Rs. 20 crores to Nepal and Bangladesh every year; and

(b) the Government's policy and future plan to check it ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) and (b) The Government of U.P., West Bengal and Meghalaya have informed us that they have no reports about the smuggling of foodgrains to Nepal and Bangladesh and that they have established check posts allong the border which are keeping constant vigil on smuggling of foodgrains. Reports from Assam, Bihar, Tripura and Sikkim are yet to be received.

मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी घाटी में खोज

4472. **श्री रूपमानन्द गोविन्दजीवाला** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में स्थित ताप्ती नदी घाटी में सरकार ने खोज अथवा खुदाई अथवा सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने स्थानों पर खोज की गई खुदाई की गई, और सर्वेक्षण किया गया तथा क्या सरकार को केवल रिपोर्ट अथवा रिपोर्टें ही प्रस्तुत की गई हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) ताप्ती नदी की घाटी में आंशिक या सम्पूर्ण रूप से आने वाले मध्य प्रदेश के जिला पूर्व निमाड, महाराष्ट्र के धूलिया और अहमदनगर तथा गुजरात के सूरत में प्राचीन अवशेषों का गांव-गांव सर्वेक्षण हो चुका है, जिसके परिणामस्वरूप पाषाण युग से ऐतिहासिक कालों तक के अगणित स्थल प्रकाश में आए हैं। गुजरात के मालवन, वेरवी, धतवा और जोखा तथा महाराष्ट्र के प्रकाश, स्वल्दा बहुरूप और भडने में उत्खनन कराये गये हैं।

उत्खनन तथा अन्वेषण के विवरण समय-समय पर एंसियेन्ट इंडिया' एवं इंडियन आर्केओलोजी ए-रिव्यू में प्रकाशित हो चुके हैं।

हरसूल जिले (मध्य प्रदेश) में खुदाई कार्य

4473. **श्री परमानन्द गोविन्दनोवाला :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री 14 नवम्बर, 1977 को अतारांकित प्रश्न संख्या 156 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह कहा गया है कि मध्य प्रदेश के पूर्व निमाढ़ (खलना) जिले की हरसूल तहसील में खोज से वहां कोटा, खलना तथा पुनघाट कोलार गांवों में पत्थरयुगीन स्थलों तथा मध्य-कालीन मन्दिरों के स्थलों का पता चला है, और क्या सरकार ने उन स्थलों पर खुदाई कार्य करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिये कोई निधियां आवंटित की गई हैं ; और

(ग) यदि सरकार ने खुदाई के लिये कोई योजना निश्चित नहीं की है तो क्या हरसूल तहसील का बड़ा क्षेत्र नर्मदा नदी पर बनने वाले पुनासा बांध के नीचे डूब जायेगा और इस प्रकार इस तहसील में उपलब्ध सभी पुरातत्वीय प्रमाण नष्ट हो जायेंगे ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डॉ० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) सर्वेक्षण द्वारा पूर्वी निमाढ़ जिले में अन्वेषित पाषाण कालीन स्थलों और मध्य युगीन मन्दिरों की विद्यमानता का विवरण पहले ही दिया जा चुका है । पुनासा बांध बनने पर इस क्षेत्र का डूब जाना संभावित होने से यहां बचाव के कुछ कार्य करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । यदि उत्खनन कार्य आवश्यक समझा जाता है तो इस उद्देश्य के लिये धन राशि उपलब्ध की जायेगी ।

नई दिल्ली में गोल मार्केट के आस पास सरकारी क्वार्टरों का निर्माण

4474. **श्री नवाब सिंह चौहान :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोल मार्केट के आसपास डी० आई० जैड० क्षेत्र में नये सरकारी क्वार्टर बनाये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी टाइपवार संख्या कितनी है ;

(ग) इन क्वार्टरों के आवंटन का कार्य सम्भवतः कब तक आरम्भ होगा; और

(घ) आवंटन के आधार क्या हैं और बदले (चेंज) में क्वार्टर किस प्रकार दिये जायेंगे ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख)

टाइप I	टाइप II	टाइप III	टाइप IV
304	820	245	62

(ग) ज्यों ही मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा उन्हें आवंटन के लिए सौंप दिया जायेगा और उनका आवंटन कर दिया जायेगा।

(घ) मकानों को बदले (चेंज) के लिये एक प्रतीक्षा सूची बनाई जाती है और उक्त प्रतीक्षा सूची के अनुसार आवंटन किया जाता है । किन्तु डी०आई० जैड० क्षेत्र का पुर्नविकास किया जा रहा है । इसलिए पुर्नविकास के लिए गिराये जाने वाले मकानों को खाली करने वाले कर्मचारियों को इन इन नये मकानों को जहां तक संभव होगा, दिया जायेगा ।

Grants to Universities in Bihar

†4475. **Shri Surendra Jha Suman** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state the break up of the grants allocated to the six Universities of Bihar and the colleges affiliated thereto by the University Grants Commission during the years 1974-75, 1975-76 and 1976-77.

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : According to the information furnished by the University Grants Commission, the following grants were paid by the Commission during 1974-75 to 1976-77 to the Universities in Bihar and Colleges affiliated to them :—

Sl. No.	Name of the University	1974-75		1975-76		1976-77	
		Universities	Colleges	Universities	Colleges	Universities	Colleges
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1.	Bihar . .	12,46,000	5,53,202	11,09,407	2,08,685	6,27,570	2,02,440
2.	Bhagalpur . .	15,28,025	4,40,014	9,32,812	1,03,002	21,78,975	1,71,519
3.	Magadh . .	14,77,801	5,76,858	3,45,604	3,32,136	16,47,027	6,50,383
4.	Patna . .	15,19,715	84,226	14,13,821	30,718	47,92,213	1,15,999
5.	Ranchi . .	17,84,455	5,82,621	35,32,640	2,01,178	22,21,510	2,35,316
6.	Mithila . .	..	63,625	..	2,09,752	81,245	4,21,226
7.	K.S.D. Sanskrit .	10,500	..	1,35,000	..	5,34,500	..

सहकारी खेती के बारे में पैनल

4476. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी खेती (फार्म कोआपरेटिव) को बढ़ावा देने के लिये एक पैनल नियुक्त करने का सरकार से अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं । सहकारी खेती सोसाइटियों के संबंध में ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

इन्द्रपुरी कालोनी को सड़क द्वारा रिंग रोड़, नई दिल्ली से मिलाना

4477. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्द्रपुरी कालोनी को सड़क द्वारा रिंग रोड से मिलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव को कार्यरूप सम्भवत: कब तक दिया जायेगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय उर्वरक पूल के पास उर्वरक की मात्रा

4478. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस समय केन्द्रीय उर्वरक पूल के पास कितना उर्वरक है; और

(ख) राज्यों को उर्वरक का बंटवारा किस आधार पर किया जाता है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) 31-10-77 को केन्द्रीय उर्वरक पूल के पास 15.1 लाख टन उर्वरकों की मात्रा उपलब्ध थी ।

(ख) प्रत्येक फसल के मौसम के लिये राज्यों को उर्वरकों की आवश्यकताओं का निर्धारण उनके परामर्श से दो मुख्य फसल मौसमों अर्थात् खरीफ और रबी के शुरू होने से पहले किया जाता है । राज्यों और देशीय उर्वरक विनिर्माताओं के परामर्श से आवश्यकताओं के आधार पर एक समन्वित आपूर्ति योजना तैयार की जाती है । इस योजना में देशीय विनिर्माताओं द्वारा की जाने वाली आपूर्तियां पहले आवंटित की जाती हैं और शेष आवश्यकतायें आयातित उर्वरकों के केन्द्रीय पूल को आबंटित की जाती है । तथापि, कभी कभी राज्य सरकारें मौसम के दौरान अतिरिक्त मांग करती हैं । आयातित पोटाश रहित, उर्वरकों का आवंटन राज्यों को इस योजना पर और समय समय पर राज्यों द्वारा की गई अतिरिक्त मांग के आधार पर किया जाता है ।

Sale of Levy Quota of Sugar in Black Market

4479. **Shri Y. P. Shastri:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government have received reports that a larger portion of the quota of levy sugar released for the rural or the urban areas is sold in the black market to the confectioners and other traders and the levy sugar does not reach the poor consumers for whom it is released; and

(b) if so, the steps taken to check the widespread corruption prevailing in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh): (a) and (b) The State Governments to whom monthly levy sugar is allotted, are responsible for its proper and equitable distribution through the fair price shops. The following State Governments/Union Territories/Administrations from whom specific replies have been received have denied that large portion of the quota of levy sugar released for the rural or urban areas is sold in the black market to the confectioners and other traders :—

1. Andhra Pradesh
2. Bihar
3. Gujarat
4. Karnataka
5. Kerala
6. Madhya Pradesh
7. Maharashtra
8. Punjab
9. Sikkim
10. Uttar Pradesh

11. West Bengal
12. Andaman and Nicobar Islands
13. Chandigarh
14. Dadra and Nagar Haveli
15. Delhi
16. Lakshadweep
17. Goa, Daman and Diu
18. Mizoram
19. Pondicherry

Some of the State Governments have, however, mentioned that there have been some cases of malpractice in the distribution of levy sugar and on receipt of specific complaints in this regard necessary corrective action has been taken.

2. In accordance with the decision taken on 27-10-1977 the Statewise monthly levy sugar quotas have been increased by 66,000 tonnes per month (by 32 per cent) and all the State Governments have been advised to gear up the distribution machinery to ensure distribution at the enhance level and also to treat the rural and urban population in a similar manner for the purpose of distribution of levy sugar.

फसल बीमा

4481. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार फसलों का बीमा करने के बारे में किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सामान्य बीमा निगम ने इस बारे में कोई पुनरीक्षित योजना प्रस्तुत की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सामान्य बीमा निगम ने अभी तक संशोधित योजना नहीं भेजी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Enforcement of Prohibition by States

4482. **Shri Chaturbhuj :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the statement of the Excise Minister of Uttar Pradesh wherein he has stated that 50 per cent of revenue loss worth Rs. 75 crores on account of complete prohibition in the State will be made up by the Central Government for five years; and

(b) the policy of the Central Government in regard to the efforts to be made by the States to enforce prohibition and towards the loss caused thereby ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) Yes, Sir.

(b) The Central Government have approved the policy of introducing total prohibition in the country within a period of four years. However, the modalities of implementing this decision, including the question of policy to be adopted towards the loss caused to the States, are yet to be worked out.

Extinction of Lion Species

4483. **Shri Chaturbhuj :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the lion species in the sanctuaries of Sirsaka and Sawai-Madhopur of Rajasthan are facing extinction ;

(b) if so, whether steps are being taken to save them from extinction ; and

(c) the measures being taken by Government to ensure the increase in the number of lions in the country ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) Lion species are not available in Sanctuaries of Sirsaka and Sawai-Madhopur of Rajasthan.

(b) Does not arise.

(c) Lions are not found any where in India except in the Gir Wildlife Sanctuary in Gujarat. Taking into consideration the endagnered status of this species, the Gujarat Government have declared a portion of the Sanctuary as a National Park. The Central Government had issued administrative approval of about Rs. 15.84 lakhs, out of which a sum of about Rs. 12.86 lakhs has been released so far, to be utilised for various measures in the National Park and Sanctuary for the preservation of this species, conservation of the habitat and rehabilitation of the Maldharies living within the Park to suitable areas outside the park limits. As a result of these conservation measures the population of the lions has steadily increased.

कृषि मूल्य स्थिरीकरण बोर्ड की स्थापना

4484. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि मूल्य स्थिरीकरण बोर्ड की स्थापना पर विचार किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) खाद्यान्नों की बफर स्टाक नीति सहित कृषि मूल्य नीति तैयार करने तथा क्रियान्वित करने के लिये समुचित संस्थागत व्यवस्थाएं पहले ही विद्यमान हैं । कृषि जिंसों के मूल्य संबंधी नीति पर सरकार को सलाह देने के लिये 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी । कृषि मूल्य संबंधी नीति के क्रियान्वयन के लिये भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम, भारतीय पटसन निगम, भारतीय कपास निगम स्थापित किये हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में क्रय तथा विक्रय के कार्य करते हैं । इसके अतिरिक्त, अधिकांश राज्यों में इस प्रयोजन के लिये उनकी अपनी संस्थागत व्यवस्थाएं भी हैं । इसे दृष्टि में रखते हुए सरकार ने कृषि मूल्य स्थिरीकरण बोर्ड की स्थापना करना आवश्यक नहीं समझा है ।

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत तालाब बनाने के लिए ऋण

4486. **श्री एस० एस० सोमानी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत तालाब बनाने के लिये ऋण देने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्हें ऋण मंजूर किये गये हैं, विशेषकर राजस्थान राज्य को ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) (क) में उल्लिखित स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

Increase in Fee for Entry into Historical Places

†4487. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether there was exorbitant increase in the entry fees for the tourists to visit historical and worth seeing places in various parts of the country during emergency ; and

(b) if so, whether Government propose to review the matter ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) So far as centrally protected monuments are concerned during emergecy there has been no increase in the rate of entrance fee charged by the Archaeological Survey of India. However, in respect of four centrally protected monuments in Agra, the State Government has been collecting a levy of Rs. 1.50 under the Uttar Pradesh Urban Development Authorities (Toll) Act, 1976 with effect from 15-7-1976. The State Government has also been collecting a similar levy from visitors in respect of a centrally protected monument namely Model Room in Residency Building, Lucknow, with effect from 25-7-1976.

(b) The matter is under correspondence with the State Government.

नवगांव में बांध

4488. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के अतिरिक्त गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ मंत्रियों ने विशेषकर नवगांव में बांध की ऊंचाई के बारे में परस्पर मैत्रीपूर्ण ढंग से तथा स्वीकार्य समझौता कराने के लिये पेशकश की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरे तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि नर्मदा के जल के इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करने के लिये गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच मंत्रियों के स्तर पर 19 अक्तूबर, 1977 को गांधीनगर में और 26 अक्तूबर, तथा 28 नवम्बर, 1977 को नई दिल्ली में विचार विमर्श हुआ था । यह बताया गया है कि ये विचार विमर्श प्रारम्भिक किस्म के थे और इनमें कोई निर्णय नहीं लिये गये ।

बोलशोई नृत्य-नाटिका दल

4489. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ के बोलशोई थियेटर के आये बोलशोई दल ने हाल ही में भारत का दौरा किया था और यहां अपने कार्यक्रम पेश किये थे ।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरे तथ्य क्या हैं ?

(ग) क्या उक्त कार्यक्रम निःशुल्क दिखाये गये थे अथवा टिकट लगाकर और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या इस नृत्य नाटिका दल के कार्यक्रम अहमदाबाद में ही दिखाये जाने थे; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत सोवियत सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम, 1976-78 के अन्तर्गत अक्तूबर की महान् समाजवादी क्रांति की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत में 15 नवम्बर से 3 दिसम्बर, 1977 तक एक सोवियत कला और संस्कृति समारोह आयोजित किया गया । यह समारोह, भारत की स्वतंत्रता की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोवियत रूस में (15 सितम्बर से 5 अक्तूबर, 1977 तक) आयोजित भारतीय कला और संस्कृति समारोह के सदृश्य था ।

बोलशोई मण्डली, सोवियत समारोह का भाग था, जिसमें तीन अन्य प्रदर्शन मण्डलियां शामिल थीं अर्थात् एक लोकनृत्य मण्डली, उजबेक कठपुतली थियेटर और एकल कलाकारों (सोलोइस्टों) का एक दल ।

15 नवम्बर के उद्घाटन समारोह और 27 के विशेष प्रदर्शन के अलावा बोलशोई मण्डली ने दिल्ली में तीन सार्वजनिक प्रदर्शन, 28, 29 और 30 नवम्बर को एक एक, किये । इसने बम्बई, कलकत्ता और मद्रास प्रत्यक में दो-दो सार्वजनिक प्रदर्शन किये ।

(ग) इन प्रदर्शनों को देखने के लिये आम जनता को अधिकतम अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रवेश टिकटों द्वारा किया गया था और किसी भी सार्वजनिक प्रदर्शन में सम्मानार्थ आमन्त्रितों की कुल संख्या कुल सीटों के 10 प्रतिशत तक सीमित थी ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) अन्य बातों के साथ-साथ, समारोह की अल्प-अवधि, एक नये स्थान में मण्डली के पहुंचने के बाद मण्डली द्वारा स्टेज की तैयारियां और पूर्वाभ्यास पूरा करने हेतु अपेक्षित अतिरिक्त समय तथा एक स्थान से दूसरे स्थान को माल और कलाकारों के समय पर संचलन के लिये संभार-तन्त्र (लाजिस्टिक) को ध्यान में रखकर बोलशोई प्रदर्शन के लिये दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास का का चयन किया गया था ।

नई दिल्ली स्थित रवीन्द्र रंगशाला के आयातित ध्वनि तथा प्रकाश उपकरण

4490. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि नई दिल्ली स्थित रवीन्द्र रंगशाला में आयातित ध्वनि तथा प्रकाश उपकरण लगे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरे तथ्य क्या हैं और उक्त उपकरणों की लागत कितनी है तथा वे किन देशों से आयातित किये गये हैं;

(ग) क्या रवीन्द्र रंगशाला में उक्त उपकरणों पर जंग लगता जा रहा है तथा उनका उचित अथवा पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन उपकरणों को चलाने के लिये प्रशिक्षित कर्मचारी ड्यूटी पर उपलब्ध हैं, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इन उपकरणों के बेहतर उपयोग के लिये किसी अन्य स्थान पर लगाया जायेगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

National Award by U. G. C. to Regional Language Text Books

†4491. **Shri O. P. Tyagi:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that with a view to encourage the use of Hindi and other regional languages Government had made an announcement that the University Grants Commission will give national award every year to the best original text-books ;

(b) if so, the number of authors of Hindi and other regional language books given national award during the last three years; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture: (Smt. Renuka Devi Barkataki): (a) to (c): The Govenment of India initiated a scheme for National Award of Prizes to Indian authors for writing original standard works of University level in Indian languages and entrusted its implementation to the University Grants Commission. The University Grants Commission received 930 entries in response to the announcement made in 1973, but due to various administrative and technical difficulties it has not yet been possible for the Commission to finalise the awards.

Historical facts about Aryans in Text Books for Delhi Schools

† 4492. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Aryans came to India from outside or went out of India and whether Aryans used to eat beef or not and whether these historical facts are controversial ;

(b) whether a book 'Pracheen Bharat' being taught to the students of the 11th Class in the Delhi Schools, contains that Aryans came to India from outside and they used to eat beef ; and

(c) if so, whether Government propose to ban the book, if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder : (a) Yes, Sir.

(b) A Statement giving the relevant portions of the book 'Ancient India' (Pracheen Bharat) is attached.

(c) The expert opinion from some eminent historians has been invited on the academic validity and desirability of considering the question of banning the book 'Ancient India' (Pracheen Bharat).

STATEMENT

Historical Facts about Aryans in Text Book for Delhi Schools

(Extracts from 'Ancient Indian' which is English version of 'Pracheen Bharat') :

(i) "The people living in the stone-copper age in south-eastern Rajasthan, western Madhya Pradesh and western Maharashtra domesticated animals and cultivated foodgrains. They kept cows, sheep, goats, pigs and buffaloes, and hunted deer. Remains of the camel have also been found. It is not clear whether they were acquainted with the hores. Some animal remains are identified as belonging either to the horse or donkey or wild ass. People certainly ate beef, but they did not take pork on any considerable scale." (p. 26).

(ii) "Originally the Aryans seem to have lived somewhere in the area east of the Alps, in the region known as Eurasia." (p. 43).

(iii) "On their way to India the Aryans first appeared in Iran." (p. 43).

(iv) "Some Aryan names mentioned in the Kassite inscriptions of 1600 B. C. and the Mitanni inscriptions of the fourteenth centrury B. C. found in Iraq suggest that from Iran a branch of the Aryans moved towards the west." (p. 43).

(v) "The Aryans came to India in several waves. The earliest wave is represented by the Rig Vedic people, who appeared in the subcontinent in about 1500 B. C." (p. 44).

(vi) "Towards the end of the later Vedic period, around 600 B. C. the Aryans spread from the doab further east to Kosala in eastern Uttar Pradesh and Videha in north Bihar." (p. 50).

(vii) "Sacrifices involved the killing of animals on a large scale and especially the destruction of cattle wealth. The guest was known as goghna or one who was fed on cattle." (p. 55).

(viii) "The cattle wealth slowly decimated because the cows and bullocks were killed in numerous Vedic sacrifices. The tribal people living on the southern and eastern fringes of Magadha also killed cattle for food. But if the new agrarian economy had to be stable this killing had to be stopped." (p. 58).

(ix) "The non-Aryans slaughtered animals for food, and the Aryans in the name of religion." (p. 64).

विश्व संगठनों और केन्द्र से अमूल को उपहार अनुदान तथा ऋण

4493. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अमूल तथा इसके सहयोगी निकायों को विश्व संगठनों, केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों की ओर से उपहार के रूप में अथवा ऋणों/अनुदानों/रियायतों के माध्यम से क्या क्या उपकरण तथा कितनी पूंजी प्रदान की गई तथा तत्सम्बन्धी प्रत्येक योजना की रूप रेखा क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को उपरोक्त योजनाओं के कार्यकरण के सम्बन्ध में कोई लेखा परीक्षा प्रतिवेदन मिलता रहा है तथा प्रत्येक लेखा परीक्षा में संक्षिप्त टिप्पणियां मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो पिछले वर्ष के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में क्या टिप्पणियां हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) अमूल तथा इसकी सहयोगी संस्थाओं को केन्द्रीय व राज्य सरकारों, अन्तर्राष्ट्रीय व अन्य संगठनों द्वारा रुपये, संयंत्रों मशीनरी तथा अन्य सामग्री आदि के रूप में जो सहायता दी गई है उसे संलग्न विवरण में दे दिया गया है।

(ख) सरकार को अमूल की कार्य पद्धति के विषय में सहकारी समितियों के विशेष लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परिक्षित वार्षिक रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं जिनसे पता चलता है कि इन संगठनों का कार्य निष्पादन काफी अच्छा है।

(ग) अमूल से प्राप्त हुई 1976-77 की वार्षिक रिपोर्ट व लेखे से पता चलता है कि लेखा-जोखा लेखा परीक्षकों से पास किया हुआ तथा उनकी सन्तुष्टी के अनुसार है।

विवरण

सहायता देने वाली संस्था	अनुदान (रु०)	ऋण (रु०)	जिस योजना के लिये सहायता दी गई है उस की रूपरेखा
1	2	3	4
1. बम्बई सरकार	600000	1023000	संयंत्र मशीनरी, ग्रामीण समितियों के लिये जल पम्पों, डेरी क्षमता का विस्तार, नई डेरियों का निर्माण तथा विस्तार।
2. भारत सरकार	2520000	—	बाल आहार व पनीर संयंत्रों की स्थापना।
3. कोलम्बो योजना के अन्तर्गत न्यूजीलैंड सरकार	157477.50	157477.50	डेरी उपकरणों की सप्लाई।
4. यूनिसेफ		941690.30	आनन्द में डेरी संयंत्र की स्थापना हेतु मशीनरी व उपकरण।
5. टी० सी० एम० अमेरिका	49728.51	33152.01	बल्क फार्म कूलिंग टैंकों के तीन यूनिट।
6. गुजरात सरकार	—	83825	डेरी के लिये भूमि अधिग्रहण
7. भारत सरकार	2000000	7200000	दूसरे मिल्क ड्राइंग प्लांट की स्थापना
8. अपारेशन फ्लड के अन्तर्गत भारतीय डेरी निगम .	6320070	14746830	आपरेशन फ्लड के अन्तर्गत दूध संभालने की क्षमता का विस्तार।
9. भारत सरकार	70000	—	सूर्य से प्राप्त होने वाली शक्ति का अनुसन्धान।
10. आक्सफाम .	1203792	—	पशु चारा फैक्टरी के लिए उपकरण
11. गुजरात सरकार के माध्यम से विश्व खाद्य कार्यक्रम	4959887.13	—	पशु आहार की तैयारी हेतु चरी व मक्का आदि की कच्ची सामग्री की सप्लाई।

1	2	3	4
12. गुजरात खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, अहमदाबाद	9700	—	कंजारी पशु आहार फैक्टरी में गोबर गैस प्लान्ट की स्थापना।
13. यूनिसेफ	—	6950093.80	मोंगर में हाई प्रोटीन फूट फैक्ट्री की स्थापना हेतु मशीनें व उपकरण।
14. भूख से मुक्ति अभियान के अन्तर्गत एफ० ए०ओ०	802691.94	—	तारापुर में चावल मिल की स्थापना।
योग (रु०) . .	18693347.08	31136068.70	

उपहारों के रूप में आयातित दुग्ध उत्पाद

4494. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, दुग्ध उत्पादों का वर्षवार तथा देशवार और वस्तुवार कितनी मात्रा में आयात हुआ अथवा वे उपहार रूप में प्राप्त हुये; और

(ख) वर्ष 1977–78 में उनकी कितनी मात्रा प्राप्त हुई तथा 31 मार्च, 1978 तक कितनी मात्रा प्राप्त होने की आशा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित या उपहार के रूप में प्राप्त हुए दुग्ध उत्पादों की मात्रा नीचे दी गई है :

वर्ष	स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण (मीटरी टन)	बटर आयल (मीटरी टन)	मक्खन (मीटरी टन)	देश
1	2	3	4	5
(1) विश्व खाद्य कार्यक्रम				
1974-75	10,557	8,212	—	प्रश्न ही नहीं होता, क्योंकि
1975-76	26,861	7,165	—	आपूर्ति विश्व खाद्य कार्यक्रम
1976-77	17,634	1,782	—	द्वारा की गई थी।
(2) अन्य स्रोत				
1974-75	17,750	2,590	500	आयरलैंड, बेल्जियम, हंगरी, यूरोपीय आर्थिक समुदाय।
1975-76	765			आस्ट्रेलिया
1976-77	2,000			यूरोपीय आर्थिक समुदाय

(ख) 1977-78 के दौरान प्राप्त हुई और 31 मार्च, 1978 तक प्रत्याशित मात्रा इस प्रकार है :—

1	2	3	4	5
(1) विश्व खाद्य कार्यक्रम				
1977-78				
(नवम्बर, 77 तक)	7,820	4,673		प्रश्न ही नहीं होता, क्योंकि आपूर्ति विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा की गई थी।
मार्च, 78 तक प्रत्याशित	4,876	800	—	
(2) अन्य स्रोत				
1977-78 (नवम्बर, 77 तक)	3,000	3,000		यूरोपीय आर्थिक समुदाय
मार्च, 78 तक प्रत्याशित	7,500	..	..	यूरोपीय आर्थिक समुदाय

चीनी की उत्पादन लागत

4495. **श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री चीनी की उत्पादन लागत में 25 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4621 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 215 रुपये 24 पैसे प्रति क्विंटल बताये गये चीनी की अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के आंकड़े और 168 रुपये 10 पैसे प्रति क्विंटल बताये गये लेवी चीनी के अखिल भारतीय भारित औसत लेवी मूल्य के आंकड़े 1975-76 के मौसम से संबंधित हैं; और

(ख) यदि हां, तो 1976-77 के मौसम के आंकड़े क्या हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 1976-77 के दौरान उत्पादित चीनी के लेवी मूल्यों की अखिल भारतीय भारित औसत 170.03 रुपये प्रति क्विंटल बैठती है और 1976-77 के दौरान उत्पादित चीनी पर गन्ने के वास्तविक मूल्यों पर आधारित अखिल भारतीय औसत उत्पादन लागत 216.63 रुपये प्रति क्विंटल बैठती है। इसमें उत्पादन शुल्क शामिल नहीं है।

1976-77 के मौसम के लिये चीनी की औसत प्राप्ति तथा उत्पादन लागत

4496. **श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लेवी और लेवी मुक्त दोनों प्रकार की चीनी से 1976-77 से अब तक चीनी उद्योग को अखिल भारतीय औसत प्राप्ति के आंकड़े क्या हैं; और

(ख) 1976-77 के मौसम के लिए लेवी और लेवी मुक्त चीनी के उत्पादन की अखिल भारतीय औसत लागत क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) 1976-77 के उत्पादन से लेवी और लेवी मुक्त चीनी से चीनी उद्योग को अखिल भारतीय औसत प्राप्ति 208.39 रुपये प्रति क्विंटल निकलती है । यह राशि फैक्ट्रियों से अक्टूबर, 1977 तक खुली बिक्री की चीनी से प्राप्ति के बारे में प्राप्त सूचना पर आधारित है ।

(ख) 1976-77 मौसम के लिए गन्ने के वास्तव में दिये गये मुल्य पर आधारित लेवी और लेवी मुक्त चीनी की अखिल भारतीय उत्पादन लागत 216.63 रुपये प्रति क्विंटल निकलती है ।

महाराष्ट्र तथा आन्ध्र प्रदेश में रबी की फसल सम्बन्धी संभाव्यतायें

4497. **श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र में औसत वर्षा की तुलना में सितम्बर तथा अक्टूबर महीनों में कितनी कम वर्षा हुई ; और

(ख) क्या इस कम वर्षा का रवि की खड़ी फसल की सम्भाव्यताओं पर बुरा प्रभाव पड़ा है, और यदि हां, तो कितना ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) : सितम्बर और अक्तूबर, 1977 के महीनों के दौरान आन्ध्र प्रदेश के तीन क्षेत्रों अर्थात् तेलंगाना, रयाला सीमा और तटीय आन्ध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र के चार क्षेत्रों अर्थात् कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा और विदर्भ में हुई सामान्य वर्षा की तुलना में वास्तविक वर्षा की अधिकता (+) अथवा कमी (—) को प्रतिशतता को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है । यह देखा गया है कि सितम्बर में कोंकण और गोवा के अतिरिक्त समस्त क्षेत्रों में वर्षा कम हुई थी । जबकि अक्तूबर में कोंकण और गोवा और विदर्भ क्षेत्रों में ही वर्षा कम हुई थी । अन्य क्षेत्रों में वर्षा सामान्य अथवा सामान्य से अधिक थी । अक्तूबर में महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश के क्षेत्रों में सामान्य अथवा सामान्य से अधिक वर्षा बुवाई कार्यों के लिये साधक सिद्ध होगी।

विवरण

मास	आन्ध्र प्रदेश			महाराष्ट्र			
	तटीय आन्ध्र प्रदेश	तेलंगाना	रायाला सीमा	कोंकण और गोवा	मध्य महाराष्ट्र	मराठा-वाड़ा	विदर्भ
सितम्बर, 1977	—43	—65	—51	+7	—50	—29	—37
अक्तूबर, 1977	—7	—	+65	—47	+26	+44	—48

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में स्नातक इंजीनियरों की आवश्यकता

4498. **श्री राजकेशर सिंह** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को विभिन्न कामों के लिए श्रेणी-III के इंजीनियरी स्नातकों की आवश्यकता है जो डिप्लोमा धारियों द्वारा नहीं किए जा सकते हैं चाहे उन्हें कितना ही अनुभव प्राप्त हो ;

(ख) क्या पदोन्नति प्रोत्साहन समाप्त करने से ओ०ई० के स्तर पर आने वाले इंजीनियरी स्नातकों की संख्या बहुत कम हो गई है, यदि हां, तो पर्याप्त संख्या में इंजीनियरी स्नातक रखने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या ओ० ई० स्तर पर इंजीनियरी स्नातकों की भारी कमी के कारण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में स्नातक जूनियर इंजीनियरों को 'बन्धक श्रमिक' के रूप में काम करने पर मजबूर किया जाता है तथा उन्हें प्रतिनियुक्तियां और संवर्गेतर पदों जैसे अन्य लाभों से वंचित रखा जाता है ;

(घ) क्या लगभग सभी केन्द्रीय तथा राज्य इंजीनियरी विभागों में स्नातकों की पदोन्नति का कोटा होता है क्या इन स्नातकों को उसी संवर्ग में डिप्लोमा धारियों के रूप में भर्ती किया जाता है और उन्हें वही वेतनमान और उसी प्रकार के कर्तव्य सौंपे जाते हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो 1954 की वर्तमान नियमावली के अन्तर्गत केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के स्नातक जूनियर इंजीनियरों के लिए कोटा निर्धारित करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) :(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को डिजाइन के कार्य के लिए श्रेणी-III के स्तर पर कुछ इंजीनियरी स्नातकों की आवश्यकता होती है जिस कार्य को डिप्लोमाधारी सामान्यतया नहीं कर सकते ।

(ख) भर्ती किए जाने वाले इंजीनियरी स्नातकों की संख्या कम हो गई थी परन्तु यह संख्या पुनः बढ़ गई है । जून 1977 में कनिष्ठ इंजीनियरों के लिए हुई अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा में लगभग 400 पदों की भर्ती के लिए लगभग 1500 स्नातकों ने परीक्षा पास की है ।

(ग) जी, नहीं । किसी व्यक्ति के साथ बंधक श्रमिक के रूप में व्यवहार किए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । इंजीनियरी स्नातकों की अस्थायी तौर पर कमी थी, इसलिए डिजाइनों से संबंधित कार्यालयों में कार्य कर रहे व्यक्तियों का तबादला नही किया जा रहा था । किन्तु अब बारी-बारी से तबादला करने की हिदायतें दे दी गई हैं ।

(घ) सभी राज्य तथा केन्द्रीय काडरों की स्थिति के बारे में मालूम नहीं है । किन्तु कुछ में शैक्षणिक अर्हता के आधार पर कोटे हैं और कुछ अन्यों में ये कोटे नहीं हैं । इनमें से कुछ में, एक श्रेणी से अधिक पदों से भर्ती की जाती है ।

(ङ) जूनियर इंजीनियरों के ग्रेड में काफी अवरोध है और अधिकांश वरिष्ठ जूनियर इंजीनियर गैर स्नातक हैं । स्नातकों के लिए कोटा निर्धारित करने से उनकी स्थिति और भी खराब हो जाएगी । सरकार उपयुक्त तथा योग्य जूनियर कनिष्ठ इंजीनियरों की पदोन्नति के हक में है । सरकार के विचार के अनुसार पदोन्नति के लिए शैक्षणिक अर्हता के बजाय गुणों को महत्व दिया जाना चाहिए ।

ताजमहल में अच्छे कीमती पत्थरों का निकाल लिया जाना

4499. **श्री अनन्त दवे :**
श्री शिव सम्पत्ति राम :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 अक्तूबर, 1977 को शरद पूर्णिमा के दिन ताजमहल की निचली मंजिल में से अनेक अच्छे कीमती पत्थर निकाल लिए गए थे ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) और (ख) जी हां। 26 अक्तूबर, 1977 की रात जब हजारों लोग ताज देखने आये तो लगभग तीस जड़ाऊ खण्ड ताजा निकाले हुए पाये गये। इस बात की सूचना तुरन्त पुलिस को दे दी गई और अब इस मामले की छान-बीन की जा रही है। इस प्रकार की क्षति की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों के परामर्श से आवश्यक कदम उठाए जाएंगे

ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते तथा टिकाऊ मकान

4500. **श्री रुद्र सेन चौधरी**: क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते तथा टिकाऊ मकान बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) जी, हां।

(ख) यद्यपि आवास तथा नगर विकास निगम की ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते और टिकाऊ मकानों का स्वयं निर्माण करने की कोई योजना नहीं है तथापि इसने ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के निर्माण के लिए अभिकरणों को ऋण देने की एक योजना आरम्भ की है। इस योजना के अन्तर्गत, उन निम्न लागत के मकानों के निर्माण के लिए ऋण दिया जाएगा जिनकी लागत 4000 रु० से अधिक न हो। निगम परियोजना की लागत के 50 प्रतिशत तक ऋण देगा, शेष निर्माण अभिकरणों द्वारा अपने साधनों से जुटाया जाना होगा जो अलाटियों के अपने योगदान नकद या सामग्री के रूप में, राज्य सरकार से सहायता और या ऋण के रूप में प्राप्त हो सकता है। सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे इस योजना से लाभ उठायें।

पर्यावरणीय सुधार के साथ प्रदर्शन मकानों का समूह बनाने की एक योजना पांचवीं प्लान योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण आवास के उन 7 बिंगों को जो राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन के तत्वाधान में कार्य कर रहे हैं प्रदर्शन मकान बनाने के लिए जिनकी प्रति मकान कीमत 3000 रुपये से कम होगी, सहायक अनुदान दिया जाता है। निर्माण किए जाने वाले मकान ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे ग्रामीण मजदूरों और समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए उद्दिष्ट हैं।

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन के उन ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों के लिए एक मकान का टाइप डिजाइन तैयार किया गया है जिन्हें आवास स्थल आबंटित किए गए हैं। यह साधारण मकान जिसमें एक कमरा, खाना बनाने के लिए पृथक कमरा और एक प्लेटफार्म है। अपने ही प्रयत्नों से कच्ची ईन्टों की दीवारें, जलरोधक मिट्टी का प्लस्तर और अग्निरोधक छप्पर की छत से 1500 रुपये की कम लागत से तैयार किया जा सकता है। यदि दीवारें पक्की ईन्टों की बनाई जातीं हैं और छतों में टाइलें लगाई जातीं हैं तो स्वयं सहायता के जरिये इस मकान की लागत 2000 रुपये से अधिक नहीं आती।

पुस्तकालय तथा अभिलेखागार से सम्बन्धित सांस्कृतिक आदान-प्रदान का कार्यक्रम

4501. **श्री के० राममूर्ति**: क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संग्रहालय तथा पुस्तकालय से संबंधित सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों को भेजे गए दो पुस्तकाध्यक्ष, दो अभिलेखपाल और दो संग्रहालय पाल के नाम क्या हैं;

(ख) हमारा किन देशों के साथ ऐसा आदान प्रदान का कार्यक्रम है ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आदान-प्रदान की यात्रा पर कुल व्यय कितना हुआ ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) 1975 से 1977 तक तीन वर्षों के दौरान सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अन्तर्गत निम्नलिखित पुस्तकाध्यक्षों, अभिलेखपालों और संग्रहालयविदों को विदेश भेजा गया था ।

(1) पुस्तकाध्यक्ष

1. श्री डी० आर० कालिया, निदेशक,
   केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय, नई दिल्ली ।
2. श्री धनीराम, पुस्तकाध्यक्ष, ग्रेड-I,
   केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय, नई दिल्ली ।

(2) अभिलेखपाल

1. डा० एस० एन० प्रसाद, निदेशक,
   भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली ।
2. श्री पी० एस० मोइद्दीन, अभिलेखपाल,
   भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली ।
3. श्रीमती ए० वर्मा, अभिलेखपाल,
   भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली ।

(3) संग्रहालयविद्

1. डा० पी० बनर्जी, सहायक निदेशक,
   राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली ।
2. डा० वी० पी० द्विवेदी, उपाध्यक्ष (डिपुटी कीपर),
   राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली ।
3. डा० एन० आर० बनर्जी, निदेशक,
   राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली ।
4. डा० नरेन्द्र नाथ, उपाध्यक्ष, (डिपुटी कीपर),
   राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली ।
5. श्री ओ० पी शर्मा, उपाध्यक्ष, (डिपुटी कीपर),
   राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली ।
6. श्री बी० एन० टंडन, रसायनज्ञ,
   राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली ।
7. डा० जी० एन० पंत, वरिष्ट तकनीकी सहायक,
   राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली ।
8. श्री एन० के० ओगले, मुख्य मूर्तिकार,
   राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली ।

(ख) सोवियत रूस, अफगानिस्तान, फ्रांस, ईरान, जर्मन संघीय गणतंत्र और मैक्सिको ।

(ग) उपरोक्त (क) में उल्लिखित व्यक्तियों की यात्रा पर 65,484 रुपये का खर्च हुआ ।

केन्द्रीय मत्स्य निगम का बन्द होना

4502. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य :**

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय मत्स्य निगम लिमिटेड, हावड़ा को घाटे के कारण बन्द करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि निगम ने संगठन के ज्ञापन में उल्लिखित 24 उद्देश्यों, जैसे गहरे समुद्र में मछली पकड़ना, प्रशीतागार के लिए संयंत्र लगाना, मछली को शुद्ध करना तथा डिब्बा बन्द करना आदि कार्य वास्तव में कभी शुरू नहीं किए थे;

(ग) यदि निगम बन्द होता है तो फालतू हुए कर्मचारियों को खपाने के लिए क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किए जाएंगे; और

(घ) क्या यह सच है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के स्थान पर सेवा निवृत्त मेजर जनरल वी०एम० भट्टाचार्य को आपातकाल में केन्द्रीय मत्स्य निगम के प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था, जो कि पहले पश्चिम बंगाल के मत्स्य निदेशालय में उप निदेशक थे ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं। अभी तक कोई ऐसा निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) जी हां।

Report of Narmada Tribunal

† 4503. **Shri Sharad Yadav** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether any interim report has been submitted by the Narmada Water Disputes Tribunal ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Conversion of Jabalpur University into Central University

†4504. **Shri Sharad Yadav:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the Ministry has received a proposal regarding conversion of Jabalpur University into a Central University ;

(b) Government's reaction thereto ; and

(c) when a decision is likely to be taken thereon ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) No, Sir.

(b) & (c) Do not arise.

Nehru Youth Centres

†4505. **Shri Sharad Yadav:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) the time upto which the Nehru Youth Centres will continue to run as Government Department ;

(b) whether any assessment of the utility of these centres has been made; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Ministry to wind up these centres ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) At present there is no proposal to change the administrative arrangements for Nehru Yuvak Kendras.

(b) An informal group headed by Lt. General K. P. Candeth (Retd.) was set up to evaluate the major youth programmes including Nehru Yuvak Kendras and to recommend measures for an integrated and coordinated implementation of these programmes. The group, which submitted its report in June, 1975 was of the opinion that, although it was too early to evaluate the working of Nehru Yuvak Kendras, it was a useful programme and the Nehru Yuvak Kendras were doing good work.

(c) No, Sir.

पूर्वी निमाड़ जिले के खंडवा और बुरहानपुर तहसीलों की खोज

4506. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला:** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के पूर्वी निमाड़ जिले (खंडवा) में खंडवा और बुरहानपुर तहसीलों की कोई खोज, खुदाई अथवा पुरातत्वीय सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को उस पर क्या प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है; और

(ग) क्या उपरोक्त तहसीलों में पुरातत्वीय दृष्टि से महत्वपूर्ण खोज का नष्ट हो जाने का खतरा है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) जी हां । उपलब्धियों का विवरण इण्डियन आर्केऑलॉजी—ए रिव्यू, 1957-58 और 1958-59 में दिया गया है।

(ग) असाधारण पुरातत्वीय उपलब्धियों के नष्ट होने का कोई विवरण अभी तक नहीं मिला हैं।

विश्वविद्यालयों में कला-विषयों संबंधी पाठ्यक्रम

4507. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि विश्वविद्यालयों में कला संबंधी पाठ्यक्रम बहुत पुराने हैं तथा स्तर के अनुरूप ही नहीं हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार विश्वविद्यालयों को यह सलाह देने का है कि वे इन पाठ्यक्रमों को अद्यतन बनायें ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मानविकी और सामाजिक विज्ञानों के सभी महत्वपूर्ण विषयों में आयोग द्वारा संबंधित विषयों में, अध्यापन तथा अनुसंधान की स्थिति का पुनरीक्षण करने हेतु विशेषज्ञ पेनल स्थापित किए गए थे। इन पेनलों ने विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों में पाठ्यचर्या को आधुनिक व नवीनतम बनाने के लिए सिफारिशें की हैं। ये सिफारिशें आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों और कालेजों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

चावल के लाने ले-जाने को नियमित करने हेतु तमिलनाडु सरकार को मध्यवर्ती शक्तियां

4508. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने चावल के लाने ले-जाने को नियमित करने के उद्देश्य से तमिलनाडु सरकार को कुछ मध्यवर्ती (इन्टरमीडेयरी) शक्तियां देने के बारे में सहमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो ये शक्तियां कब तक जारी रहेंगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानू प्रताप सिंह) : (क) और (ख) तमिलनाडु सरकार से चावल के संचलन का विनियमन करने के लिए शक्तियां प्रदान करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है और इसलिए केन्द्रीय सरकार की सहमति देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली के बूचड़खाने का स्थानान्तरण

4509. **श्री एस० एस० सोमानी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली में वर्तमान बूचड़खाने को, जिससे उसका आसपास का वातावरण दूषित होता है दिल्ली बृहद योजना में निर्धारित स्थान पर स्थानान्तरित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्थानान्तरण कब किया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न हां नहीं उठता।

Citizenship to Refugees from Pakistan Settled in Rajasthan

4510. **Shri S. S. Somani :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the Central Government are aware that in rehabilitating Pakistani refugees in the Rajasthan State, the question of granting them citizenship will be of great importance ;

(b) if so, whether the Rajasthan Government have requested the Central Government for solving this problem ; and

(c) if so, the reaction of Central Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Ram Kinkar) : (a) to (c) The Chief Minister of Rajasthan wrote

to the Prime Minister on 29th July, 1977 on this subject. In his reply the Prime Minister agreed that it was time that we had a fresh look at this problem in its various aspects with a view to finding a lasting solution of the problem. Currently, the matter is engaging the attention of Government.

Closure of Training Centre for Blind in Dehra Dun

4511. **Shri Y. P. Shastri:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether the only national level Vocational Training Centre for Blinds in Dehra Dun was closed three years ago and admission of blind students was stopped while equipment worth lakhs of rupees were there, the teachers were there and they had been receiving their salaries; and if so, the reasons for closing this Centre;

(b) whether he had ordered its reopening in August, 1977;

(c) the number of students now given admission for training in different trades in this Centre; and

(d) whether in view of the fact that the number of blinds in India is about one crore, Government propose to open such centres at other places also?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) A number of trainees who had completed their training by January 1975 refused to leave the Training Centre for the Adult Blind in Dehra Dun, unless provided with jobs of their choice although there was no commitment on the part of the Government to provide jobs to the successful trainees. However, even when jobs were offered to some of them, they declined to accept these jobs as they did not come up to their expectation. The overstaying persons and those under training resorted to a number of strikes, disturbances and demonstrations disrupting the normal functioning of the Centre. It was therefore not possible to admit fresh trainees, after January 1975, till all the overstaying persons had left. The staff was deployed on other jobs in the various units of the National Centre for the Blind, Dehra Dun.

(b) Yes, Sir.

(c)

Trade	Number of Trainees
Light Engineering	14
Caning	39

(d) As the National Institutes for various categories of handicapped being set up by the Government of India are only in the nature of demonstration projects, Government do not propose to set up more Centres of the nature. However, education and rehabilitation is the concern of the State Governments.

Overdrawal of Cheque by National Seeds Corporation

4512. **Shri Mahi Lal:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether National Seeds Corporation had to draw an overdraft of rupees four crores from State Bank of India because of the withdrawal of its original functions of production of seeds and this Corporation which was having a sound position, is now running in loss with the result that its existence is in danger and the farmers are not getting seeds in adequate quantity this year; and

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government for safeguarding the existence of the Corporation?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) & (b) No, Sir. The National Seeds Corporation has been operating upon a Cash Credit Limit with the State Bank of India even before the implementation of the National Seeds Programme under which production of certified seeds of certain crops was partly taken over by State Seeds Corporations. For instance, in the year 1975-76 when it had its production programmes in tact, it had a cash credit limit of Rs. 3.95 crores. This limit has not been increased in subsequent years. The Corporation made a profit of Rs. 90.21 lakh in all (Rs. 28 lakhs after tax) in 1975-76. The accounts of 1976-77 are still being finalised; it is, therefore, not possible to say at this stage if the Corporation has run into any losses. There is no danger to the existence of the Corporation.

The Corporation is going through a transitional phase and is gradually adapting itself to the role prescribed for it under the National Seeds Programme. No shortage of seed availability to the farmers has resulted on this score.

दिल्ली के स्कूलों में + 2 अवस्था में विज्ञान का शिक्षण

4513. **श्री मही लाल** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में, जिनमें 10+2+3 प्रणाली के +2 पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में 10 से कम विज्ञान के विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रशिक्षण के लिये उचित व्यवस्था है;

(ख) इन स्कूलों में शिक्षा का माध्यम क्या है और ऐसे स्कूलों में जहां 10+2+3 प्रणाली के 10वें स्टेन्डर्ड तक विज्ञान का विषय हिन्दी के माध्यम से पढ़ाया गया, वहां विज्ञान का शिक्षण अंग्रेजी माध्यम से देने का क्या औचित्य है; और

(ग) क्या इस प्रश्न पर अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है कि कुछ ऐसे स्कूलों में इस स्तर के लिए विज्ञान का विषय रखा जाये अथवा नहीं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि विज्ञान के विषय में, शिक्षण अंग्रेजी में मुख्यतः इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि अधिकांश छात्र विज्ञान विषयों को अंग्रेजी माध्यम, जो कि विश्वविद्यालय स्तर पर भी विज्ञान विषयों की शिक्षा का माध्यम है, से ही पढ़ाया जाना ज्यादा पसन्द करते हैं।

(ग) ऐसे स्कूलों में, जिन्होंने 1977-78 शैक्षिक सत्र के दौरान 10+2 पद्धति को अपना लिया है, विज्ञान को एक विषय के रूप में रखने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है।

मिलावटी बीज

4515. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि मिलावटी बीजों से किसानों को भारी हानि हो रही है; और

(ख) क्या एन०एस०सी० लेबल वाले बीज भी विश्वसनीय नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार अपनी नर्सरी स्वयं तैयार करने और बीजों के स्थान पर किसानों को पौधे बेचने पर विचार करेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं ।

(ख) राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा विपणन किए जाने वाले बीजों को प्रायः विश्वसनीय पाया गया है । इसके अलावा बीज अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को कानून को लागू करने वाली एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होता है कि झूठे लेबल लगाकर अथवा अन्य तरीकों से कोई नकली बीज न बेचा जाए ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

Soyabean Production

4516. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the percentage of increase in the production of Soyabean during the last two years and the States where its production is more ;

(b) whether Soyabean is in great demand in foreign countries; and

(c) if so, the steps taken by Government to promote the export thereof so as to encourage farmers to grow more soyabean?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) :

(a) Estimates of production of soyabean in the country are, at present, not available. However, the estimates of area covered under the Centrally Sponsored Scheme for Soyabean during the last three years and the percentage of increase in area during the last two years are indicated below :—

Year	Area covered ('000 hectares)	Percentage increase over the previous year
1974-75	67	
1975-76	93	39
1976-77	133	43

The major soyabean producing States are Madhya Pradesh and Uttar Pradesh.

(b) Demand for soyabean exists in the foreign markets.

(c) The cultivation of soyabean in the country has been taken up primarily to supplement the availability of edible oils and protein for domestic consumption. Accordingly, export of soyabean is, at present, not allowed. Export promotion measures will, however, be taken if and when there is an exportable surplus.

संग्रहीत वस्तुओं की रक्षा के लिए "बेलून तकनीक"

4517. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का संग्रहीत वस्तुओं को नमी तथा कीड़ों, चूहों आदि से बचाने के लिये "बैलून तकनीक" को, जिसका केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, मैसूर ने विकास किया है, लोकप्रिय बनाने के लिए कार्यवाही करने का विचार है;

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रक्रिया की जानकारी वाणिज्यिक उपयोग के लिए दे दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) से (ग) केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित की गई बैलूनिंग तकनीक मुख्यतया कॉफी जैसी हाइड्रोस्कोपिक जिन्सों के लिए है और इसे काफी बोर्ड के लिए निर्मुक्त किया गया है। इस तकनीक को खाद्यान्नों के भण्डारण के लिए व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

बीज, उर्वरक, सिंचाई और श्रम के उपयोग पर प्रति एकड़ औसत लागत व्यय

4518. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1976-77 के दौरान गेहूं, धान और गन्ने की फसलों पर पृथक-पृथक बीज, उर्वरक, सिंचाई और श्रम के उपयोग पर किसानों द्वारा किए जाने वाले औपचारिक औसत लागत व्यय का सरकार ने आकलन किया है;

(ख) गत वर्ष और इस समय इन फसलों की सरकारी वसूली दरों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है और खेती की लागत व्यय कम करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) कृषकों द्वारा गेहूं, धान और गन्ने की खेती के लिए बीज, उर्वरक सिंचाई और श्रम पर व्यय की गयी लागत के संबंध में प्रमुख फसलों को खेती की लागत का अध्ययन करने के लिए एक बृहत योजना के अन्तर्गत चुनिन्दा राज्यों से एकत्र किए जा रहे नवीनतम उपलब्ध आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं। बाद के वर्षों के लिए आंकड़ों की संवीक्षा/संकलन किया जा रहा है

(ख) गत वर्ष और इस समय गेहूं और धान (मोटा) के निर्धारित अधिप्राप्ति मूल्य निम्न प्रकार हैं :—

(रु० प्रति क्विंटल)

	1977-78	1976-77
गेहूं	110	105
धान	77	74

गन्ने के मामले में सरकार द्वारा सीधी अधिप्राप्ति नहीं की जाती, लेकिन चीनी के कारखानों द्वारा दिए जाने वाले न्यूनतम सांविधिक मूल्य निर्धारित किए गए हैं। 1976-77 तथा 1977-78 के मौसमों के लिए गन्ने का न्यूनतम मूल्य 8.50 रु० प्रति क्विंटल था जो 8.5 प्रतिशत की वसूली के साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ ही उपरोक्त आधारभूत स्तर में वृद्धि होने पर प्रति 0.1 प्रतिशत के लिए 10 पैसे का प्रीमियम देने की व्यवस्था है। कृषकों द्वारा प्राप्त किए गए वास्तविक वसूली मूल्य इससे अधिक हैं।

(ग) कृषकों को उचित मूल्य सुनिश्चित कराने के लिए सरकार प्रति वर्ष गेहूं और धान की अधिप्राप्ति/समर्थन मूल्य और गन्ने के न्यूनतम मूल्य कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर घोषित करती है। अधिप्राप्ति और समर्थन मूल्य के बारे में सरकारी साधनों एवं प्रेस के माध्यम से विस्तृत प्रचार किया जाता है। अनेक क्रय केन्द्र खोलने के अतिरिक्त अधिकांश महत्वपूर्ण बाजारों में भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा गेहूं और धान की खरीद करने के लिए व्यवस्था की गयी है।

कृषकों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सरकार, यदि आवश्यक हो तो विभिन्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं, बीजों आदि जैसे अनेक आदानों की लागत पर साहाय्य प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, उर्वरकों के मूल्यों की निरन्तर संवीक्षा की जाती है और अभी हाल ही में इस आदान के मूल्यों में कई बार कमी की गयी है। विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न फसलों के लिए पानी की दरों में भी साहाय्य प्रदान की जाती है।

विवरण

कृषकों द्वारा गेंहूं, धान और गन्ने की खेती के लिए बीज, उर्वरक, सिंचाई और श्रम के उपयोग पर व्यय की गयी प्रति हैक्टर औसत लागत

(प्रति हैक्टर रु० में)

राज्य	वर्ष	बीज	उर्वरक	सिंचाई	मानव श्रम	बैल श्रम	मशीन श्रम
			गेहूं				
हरियाणा	1975-76	129.93	104.20	224.52	436.45	317.54	127.36
पंजाब	1975-76	108.53	430.96	129.66	487.14	249.49	174.55
राजस्थान*	1975-76	173.23	186.37	307.56	432.37	239.51	117.22
			धान				
आंध्र प्रदेश	1975-76	100.28	321.39	82.57	488.66	157.01	30.77
असम	1975-76	97.99	1.51	—	352.06	144.53	0.17
पश्चिम बंगाल*	1974-75	87.74	21.57	—	471.35	366.59	—
बिहार	1974-75	57.00	26.95	0.03	311.35	268.55	—
उत्तर प्रदेश*	1975-76	71.24	133.72	60.97	488.61	249.37	7.81
पंजाब*	1975-76	110.34	387.67	395.85	881.64	211.81	44.44
कर्नाटक	1975-76	173.23	186.37	307.56	432.27	239.51	117.22
			गन्ना				
महाराष्ट्र	1974-75	341.07	962.14	1161.34	1398.06	255.10	33.77
पंजाब	1975-76	266.15	373.87	268.99	1236.47	127.65	41.77
तमिलनाडु	1974-75	405.81	861.80	637.85	1527.36	164.41	120.17
उत्तर प्रदेश	1975-76	230.62	123.87	220.15	660.41	239.94	25.99

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

Drinking Water Scheme in Rajasthan under 'Indo-Danish Bilateral Programme'

4519. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 520 on 18th July, 1977 and state :

(a) whether Government have concluded an agreement regarding drinking water scheme in Rajasthan under "Indo-Danish Bilateral Programme"; and

(b) if so, the salient features of the agreement and the progress made so far in this regard?

The Minister of Works and Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Sanskrit Vidyapeeth at Kerala

†4520. **Shri Natvarlal B. Parmar**: Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether Government propose to given financial assistance for the setting up of a Sanskrit Vidyapeeth in Kerala; and

(b) if so, the details in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Smt. Renuka Devi Barakataki) : (a) and (b) It has been decided in principle to take over Shri Guruvayoor Sahitya Deepika Sanskrit Vidyapeetha in Kerala as Kendriya Sanskrit Vidyapeetha under the Rashtriya Sanskrit Sansthan, an autonomous body fully financed by the Ministry of Education and Social Welfare. The Sansthan would be responsible for running the Graduate and Post-graduate courses of study. The entire annual recurring expenditure of the Vidyapeetha will be borne by the Sansthan from within its budgetary allocations.

The buildings of the Vidyapeetha will be constructed in due course by the Sansthan for which purpose, the Devasthan of Guruvayoor has agreed to donate land measuring 13 acres. The Government of Kerala has also decided to contribute 50 per cent of the capital expenditure for the purpose subject to a maximum of Rs. 10 lakhs.

A Committee is being constituted to evaluate its requirements in respect of physical facilities such as Library etc. for converting the Institution into a regular Kendriya Sanskrit Vidyapeetha and to assess the suitability or otherwise of the existing staff of the Institute before the take over by the Sansthan.

धान की वसूली

4521. **श्री नरेन्द्र सिंह**: क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नवम्बर, 1977 के अन्त तक भारतीय खाद्य निगम ने कुल कितने धान की वसूली की थी और विभिन्न राज्यों में की गई वसूली का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि यह वसूली पूर्ववर्ती दो वर्षों के दौरान की गई वसूली से कम है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह): (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा नवम्बर, 1977 तक 1975 तथा 1976 की तदनुरूपी अवधि की तुलना में राज्यवार वसूल की गयी धान की मात्रा बताने वाला एक विवरण संलग्न है । इससे यह विदित होगा कि इस वर्ष नवम्बर के अन्त तक 1976 और 1975 की तदनुरूपी अवधि में वसूल किये गये क्रमशः 5.15 लाख मीटरी टन और 4.97 लाख मीटरी टन की तुलना में कुल 9.33 लाख मीटरी टन धान की वसूली की गई है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

(आंकड़े हजार मी० टन में)

	1977	1976	1975
आन्ध्र प्रदेश	—	0.5	3.5
असम	—	5.4	14.2
हरियाणा	108.7	64.0	95.0
जम्मू तथा कश्मीर	—	37.2	37.0
मध्य प्रदेश	नग०	—	0.8
पंजाब	818.9	381.5	283.5
राजस्थान	—	0.1	3.7
तमिल नाडु	—	10.8	50.2
उत्तर प्रदेश	0.2	15.1	4.4
पश्चिमी बंगाल	4.4	0.3	3.0
मणिपुर	0.6	0.6	—
पांडिचेरी	नग०	—	1.6
हिमाचल प्रदेश	0.1	—	—
केन्द्र शासित प्रदेश			
चंडीगढ़	0.1	—	—
जोड़	933.0	515.5	496.9

नग० = 50 मी० टन से कम

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा "स्वयं वित्त पंजीकरण योजना" आरम्भ किया जाना

4522. **श्री कवरलाल हेमराज जैन :**

श्री डी० जी० गवई :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने फ्लैटों तथा मकानों के भावी क्रेताओं के लिये "स्वयं वित्त आवास पंजीकरण योजना" आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इस योजना से निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के लोगों को कहां तक लाभ होगा तथा क्या वे दिल्ली विकास प्राधिकर में धन जमा करने की स्थिति में होंगे जैसी योजना में व्यवस्था है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) यह योजना सभी आय वर्गों के व्यक्तियों के लिये है । इस योजना के अधीन बनाये गये फ्लैट विभिन्न आकारों के होंगे जिनका कुर्सी क्षेत्रफल लगभग 65 वर्गमीटर से 112 वर्गमीटर तक भिन्न-भिन्न है ।

इस योजना के अधीन पंजीकृत व्यक्तियों को पंजीकरण के समय 10,000 रुपये देने होंगे तथा बाद में फ्लैट की कीमत निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार अदा करनी होगी :—

(i) 25% (पंजीकरण के समय जमा रकम सहित) संबंधित योजना के लिये आवेदन स्वीकार करने के समय ।

(ii) छः महीने के बाद 20%

(iii) एक वर्ष के बाद 25%

(iv) डेढ़ वर्ष के बाद 20%

(v) 10% कब्जा लेने के समय।

जब कभी विशिष्ट योजनायें तैयार हो जायेंगी तो फ्लैटों के स्थान, विशिष्टियों, डिजाइन तथा निर्माण और अन्य संबंधित तत्वों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मंजिल के फ्लैटों की अनुमानित लागत घोषित की जायेगी ।

(ग) प्राधिकरण के पास सीमित निधियों तथा दिल्ली में मकानों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में मकानों की संख्या बढ़ाने के लिये अतिरिक्त निधियां जुटाने हेतु एक विशेष प्रयत्न के रूप में योजना आरम्भ करने का निर्णय किया ।

दयाल सिंह कालेज, नई दिल्ली को अधिकार में लिया जाना

4523. **श्री कचरुलाल हेमराज जैन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोदी रोड, नई दिल्ली में स्थित दयालसिंह कालेज को अधिकार में लेने के लिये कोई कार्यवाही चल रही थीं;

(ख) यदि हां, तो इसको अपने नियंत्रण में लेने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) इसको अपने नियंत्रण में लेने के मार्ग में क्या रुकावटें आ रही हैं ; और

(घ) इस कालेज को अपने नियंत्रण में कब लिया जायेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) :(क) से (घ) सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 19 नवम्बर, 1975 को दिल्ली विश्वविद्यालय को इसके द्वारा दयालसिंह कालेज की कुछ शर्तें पूरी करने की शर्त पर अपने अधिकार में लेने हेतु अपनी सहमति की सूचना दी ।

दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार कालेज की भूमि को अभी तक दिल्ली विश्वविद्यालय के नाम पर हस्तांतरित नहीं किया गया है तथा कालेज की स्थायी निधि भी विश्वविद्यालय को स्थानान्तरित करने में भी कालेज का शासी निकाय अनिच्छुक है और इसलिये विश्वविद्यालय ने कालेज को अभी तक अपने अधिकार में नहीं लिया है ।

Allotment of plots/houses to displaced persons in the country

4524. **Shri Chhabiram Argal** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of economically backward people of society who were given upto November, 1977 possession of the houses/plots on the spot under the housing scheme and the number of families who were allotted houses or plots only on papers but physical possession was not given;

(b) the policy of Government in regard to allotting of houses to the economically backward sections of society; and

(c) the action proposed to be taken or the reaction of the Central Government in regard to allotting of houses to these backward sections of society ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a) About 73 lakh families have been alloted house-sites as on 31-8-77 under the scheme for Provision of House-Sites to Land-less Workers in Rural Areas. Out of these, more than 48 lakh families have been given physical possession of the house-sites.

(b) & (c) The following Social Housing Schemes, introduced by this Ministry, provide for housing facilities to the persons belonging to the economically weaker sections of society.

(i) Integrated Subsidised Housing Scheme for Industrial Workers and Economically Weaker Sections of Community;

(ii) Village Housing Projects Scheme ;

(iii) Scheme for provision of House-sites to Landless Workers in Rural Areas.

2. Besides, under the programme for backward classes in the State Sector, there is a scheme for giving subsidy for construction of houses for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

3. All the Housing Schemes referred to above are in the State Sector and are being implemented by the concerned State Governments and Union Territories Administration. Central financial assistance for all the State Sector Plan Schemes. including housing, is being released by the Ministry of Finance in the shape of 'block loan' and 'block grants' without their being tied to any particular scheme or head of development. The State Governments are free to earmark funds for various State Sector Schemes including housing according to the requirements and priorities to be determined by them.

4. In recent years Housing and Urban Development Corporation has laid great emphasis on the construction of low cost houses. The Schemes which have been sanctioned by the Housing and Urban Development Corporation so far would, on completion, provide 1,93,240 houses and 39,442 developed plots to house over 2.30 lakh families, over 80 per cent of which belong to the low income group and economically weaker sections of the society.

देश में विस्थापित लोगों की राज्यवार संख्या

4525. **श्री छबिराम अर्गल** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय विस्थापित की राज्यवार संख्या क्या है; और

(ख) ऐसे परिवारों की राज्यवार संख्या कितनी है जिन्हें 21 नवम्बर, 1977 तक मकान दे दिये गये तथा उनकी संख्या कितनी है जिन्हें आवासीय प्लाट दे दिये गये हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

Financial Assistance to Madhya Pradesh for Irrigation

4526. **Shri Chhabiram Argal** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the State-wise percentage of irrigated land to the total acreage of cultivable land ;

(b) whether Madhya Pradesh is a backward State and only 8.1 per cent of the total acreage of cultivable land is irrigated land; and

(c) if so, whether the Central Government will provide financial assistance to Madhya Pradesh to bring more area under irrigation keeping in view the bad financial condition of the State ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) Land utilisation statistics are available upto the year 1974-75, which are provisional. Based on these state-wise detail of cultivable area, net irrigated area and the percentage of net irrigated area to the cultivable area are given in the attached Statement.

(b) According to the land utilisation statistics of 1974-75 (Provisional) the percentage of net irrigated area to the cultivable area in respect of Madhya Pradesh was 7.3.

(c) Irrigation is a State subject and irrigation projects are financed by the State Governments. The Central assistance is given in the form of block loans and grants which is not related to any specific sector of development or any scheme. Advance Plan assistance of Rs. 13.00 crores is proposed to be given to Madhya Pradesh during the current year to accelerate progress of certain on-going and new schemes.

STATEMENT

Percentage of net area under irrigation (State-wise) at the end of 1974-75 to cultivable area

('000' ha.)

S. No.	Name of State	Total cultivable area	Net irrigated area	Percentage of net irrigated area to cultivable area
1.	Andhra Pradesh	15837	3346	21.1
2.	Assam	3223	572(a)	17.7
3.	Bihar	11696	2523	21.6
4.	Gujarat	12653	1371(b)	10.8
5.	Haryana	3777	1779	47.1
6.	Himachal Pradesh	776	91	11.7
7.	Jammu & Kashmir	1065	295	27.7
8.	Karnataka	12784	1267	9.9
9.	Kerala	2424	465	19.2
10.	Madhya Pradesh	22356	1635	7.3
11.	Maharashtra	21117	1511	7.2
12.	Manipur	164	65	39.6
13.	Meghalaya	1191	48(c)	4.0
14.	Nagaland	112	37	33.0
15.	Orissa	8029	927	11.5
16.	Sikkim	N.A.	N.A.	..
17.	Punjab	4287	3183	74.2
18.	Rajasthan	24920	2647	10.6
19.	Tamil Nadu	8553	2438	28.5
20.	Tripura	337	30(d)	8.9
21.	Uttar Pradesh	21086	7774	36.9
22.	West Bengal	7220	1489(e)	20.6
23.	Union Territories	1475	122	8.3
	All India	185082	33615	18.2

(a) relates to the year 1953-54.
(b) estimated on the basis of TRS figures.
(c) relates to the year 1972-73.
(d) relates to the year 1973-74.
(e) relates to the year 1967-68.

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इंजीनियरिंग स्नातकों की नियुक्ति

4527. **श्री रामानन्द तिवारी :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1972 के पश्चात् केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियर श्रेणी दो के पदों पर इंजीनियरिंग स्नातकों की न नियम (3)क के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती की गई है और न नियम 3(ख) के अन्तर्गत नियुक्ति की गई है जबकि लगभग 600 डिप्लोमाधारियों को सहायक इंजीनियरों के उन पदों पर पदोन्नत कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इंजीनियरिंग स्नातकों की भर्ती की जो 1971 तक 75 प्रतिशत होती थी बन्द करने से इस विभाग की कार्यकुशलता और सुचारू कार्यकरण पर क्या प्रभाव पड़ा है ;

(ग) विभाग के सुचारू रूप से कार्य करने के लिये सहायक इंजीनियर स्तर पर इंजीनियरिंग स्नातकों की निम्नतम प्रतिशतता क्या है ;

(घ) 1971 के पश्चात् सहायक इंजीनियरों के स्तर पर कितने इंजीनियरिंग स्नातक भर्ती किये गये, और

(ङ) सहायक इंजीनियर स्तर पर्याप्त संख्या में इंजीनियरिंग स्नातक नियुक्त करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) सरकार ने 1972 में सात वर्ष के लिये नियम 3(ए) के अधीन सीधी भर्ती रोक दी है । जहां तक नियम 3(बी) के अधीन भर्ती का प्रश्न है, ऐसा 1972 से पहले भी नहीं किया जा रहा था । 1972 से सहायक इंजीनियरों के 541 पद तदर्थ आधार पर भरे गये हैं ।

(ख) तथा (ग) : 1971 तक, भर्ती उस कोटे के अनुसार की गई थी जिसमें सहायक इंजीनियरों की 75 प्रतिशत रिक्तियां स्नातकों द्वारा भरे जाने की व्यवस्था है । एक न्यायालय के निर्णय के कारण यह कोटा अवैध हो गया । तथापि, जब कोटा भी लागू था तो काडर में स्नातकों की वास्तविक उपलब्धता 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत के बीच थी । अब यह प्रतिशतता घटकर 40 प्रतिशत हो गई है । इसका विभाग की कार्यकुशलता तथा सुचारू रूप से कार्य संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । सहायक इंजीनियर के स्तर पर कार्य करने के लिये स्नातकों की कोई न्यूनतम प्रतिशतता निर्धारित नहीं की गई है ।

(घ) 1971 के बाद, सहायक इंजीनियरों के भरे गये 541 पदों में से 61 पद स्नातकों को मिले हैं ।

(ङ) सहायक इंजीनियरों के ग्रेड में 50 प्रतिशत रिक्तियां सेवा रिकार्ड के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरी जाती हैं तथा 50 प्रतिशत रिक्तियां विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भरी जाती हैं । दोनों प्रकार की रिक्तियां स्नातकों व गैर-स्नातकों दोनों के लिये है । 50 प्रतिशत रिक्तियां विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भरे जाने से सरकार अपेक्षाकृत अधिक योग्य लोगों को चुन सकेगी ।

Compartmental Examination for Class X Students

†4528. **Shri Ramanand Tiwary :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the students of 10th class placed in compartment in the examination held in 1977 under the 10+2 system were allowed by the Cntral Board of Secondary Education Delhi to take admission in the 11th class with the condition that in case they are unable to clear the compartmental examination they will have either to take compartmental examination as private candidates in 1978 or to seek re-admission in the 10th classes ;

(b) the reasons for not allowing them to clear both the compartmental examination as well as the regular examination for 11th class simultaneously as is allowed by other education Board and Universities and thus making them the victim of new education system ; and

(c) whether Government propose to issue instructions to allow these students to take compartmental as well as regular examination for 11th class simultaneously under the existing rules and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) Yes, Sir.

(b) A student is not allowed to take two examinations of different classes in a calender year.

(c) No, Sir.

Coordination of Industrial Policy with Education

†4529. **Shri Ramanand Tiwary** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the effective measures adopted by Government to coordinate the industrial policy declared by Government with education particularly with the technical education made available by I.I.Ts. and Regional Engineering Colleges;

(b) whether Government are taking some steps to ensure uniformity and co-ordination in the various fields of education such as general education, technical education, medical education and agriculture education; and,

(c) whether it is not desirable to make the education policy comprehensive ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) to (c) The All India Council for Technical Education, set up by the Government of India, and consisting of representatives of the State Governments, concerned Departments/Ministries of the Union Government and other academic and professional interests, ensures coordination to the extent necessary and also takes into account the declared industrial policy of the Government from time to time.

The Government have undertaken a review of the national policy on education framed in 1968, in consultation with the State Governments and after this review is over, it is hoped to announce a comprehensive policy.

Bank Loan Facility in Rural Area

4530. **Shri Ramanand Tiwary** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the Ministry has had negotiations with Commercial Banks to systematically fill the vacuum created in the matter of loan facilities as a result of abolition of money lending business in rural areas, and if so, the outcome thereof ; and

(b) whether any difficulty is being faced in recovery of loans given to landless labourers while allotting cultivable land to them, and if so, the concrete steps being taken to overcome the difficulty ?

The Miniser of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) The Government of India in the Ministry of Finance holds periodical discussions with the public sector banks with a view to ensuring larger flow of credit to the rural areas and for periodical review. For ensuring larger proportion of credit, the public sector banks have been advised to earmark 33.3 per cent of their total credit to he priority and neglected sectors including agriculture. Banks have also been advised to ensure that 60 per cent of their total deposits mobilised by their rural and semi-urban branches are deployed in these areas. The branch licensing policy of the Reserve Bank of India has also been given a larger rural bias.

(b) No special difficulty in recovery of loans given to landless labourers while allotting cultivable land to them has been reported.

Survey of Places connected with Civilization and Culture of India

†4531. **Shri Ramji Lal Suman :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether all over the country there are many such places, connected with the civilization and culture of the country about which Government of India and the country have no information and if so, whether a survey thereof would be conducted; and

(b) whether Government propose to collect information in regard to all such historical spots of ancient Kings and the buildings of Mughal period near Agra as have been neglected so far ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) and (b) Considerable information on places connected with the civilization and culture of the country is already available. A Scheme of village to village survey is already under operation to assess the archaeological wealth of the country. The places connected with the Mughal period will also be covered under this Scheme.

Children's Park in Sector 'D' and DIZ Area, New Delhi

4532. **Shri Chaturbhuj** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether a children's park has to be developed by CPWD (Horticulture) between Type II Type III quarters of Sector 'D', DIZ Area, New Delhi;

(b) if so, whether it has been developed as per the approved plan; and

(c) if not, when it is likely to be completed ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) According to the Re-development Scheme prepared by the New Delhi Re-development Advisory Committee, the open space between Type II and Type III quarters in Pocket 'D' of DIZ Area (abutting Mandir Marg) is earmarked as a 'Park' and not specifically as a Children's Park.

(b) and (c) Yes, Sir. It has already been developed as a park.

Construction Work on Bhimsagar Dam

†533. **Shri Chaturbhuj:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that construction work on Bhimsagar dam in Jhalawar district in Rajasthan is closed at present ;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the time by which this work will be completed ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) to (c) The Advisory Committee of the Planning Commission, while considering the revised project for Bhimsagar Dam of Rajasthan estimated to cost Rs. 4.37 crores against the earlier cost of about Rs. 18 lakhs, in April, 1977, had **inter-alia** observed that no expenditure on this project be incurred by the State till the revised project was approved by the Planning Commission. As such, the work on the project had been stopped by the State Government. A revised project report has recently been received and is under examination in the Central Water Commission, The Statae Government have indicated that the work was likely to be completed within four years of its restarting.

डॉ० रमेश चन्द्र मजूमदार की राष्ट्रीय प्रोफेसर पद पर नियुक्ति

4534. **श्री समर गुह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविख्यात अस्सी वर्षीय इतिहासकार डा० रमेश चन्द्र मजूमदार को राष्ट्रीय प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करके उनका सम्मान करने के लिये अनेक अवसरों पर केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया था ;

(ख) क्या भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास के लेखन सम्बन्धी दृष्टिकोण के बारे में पिछली सरकार के साथ उनके मतभेद होने के कारण, उन्हें इस सम्मान से वंचित किया गया था; और

(ग) क्या छठे दशक में उनके सभापतित्व में गठित समिति को भी उपर्युक्त कारण से भंग कर दिया गया था ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डॉ० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति हेतु डॉ० आर० सी० मजूमदार का नाम केवल जून, 1977 में ही सुझाया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्नों की क्षति

4535. **श्री समर गुह**: क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974—77 के दौरान (1) विभिन्न राज्यों में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्य की क्षति, (2) माल ढुलाई के दौरान क्षति, और (3) विभिन्न राज्यों को भारतीय खाद्य निगम के खाद्य भण्डार को ले जा रहे रेल माल डिब्बों के गुम हो जाने सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ख) भारतीय खाद्य निगम के स्वामित्व वाले गोदामों और उनके द्वारा किराये पर लिये गये गोदामों की संख्या कितनी है और उक्त अवधि के दौरान गोदाम किराये पर लेने के लिये कितनी धनराशि किराये के रूप में दी गई;

(ग) वर्ष 1974—77 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्य की विभिन क्षतियों और बरबादी के बारे में सरकार ने कोई प्राक्कलन तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ङ) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपने अधिकार में लिये गये खाद्यान्नों की क्षतियों और उनकी बरबादी को, जिनका पिछले वर्षों में पता चला है, कम करने के लिये सरकार ने कार्यवाही की है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) 1974—77 के दौरान भारतीय खाद्य निगम को समुद्री मार्ग, देश के अन्दर लाने ले जाने और भाण्डारण में खाद्यान्नों की जो क्षति हुई है वह इस प्रकार है :—

वर्ष	समुद्री मार्ग में हुई कमी	मार्ग में हुई कमी	भण्डारण में हुई कमी	जोड़
			(लाख मीटरी टन में)	
1974–75	0.76	1.26	0.58	2.60
1975–76	0.35	1.71	0.26	2.32
1976–77	0.22	1.53	0.68	2.43

भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न क्षेत्रों में मार्ग तथा भण्डारण में हुई क्षति के ब्यौरे को बताने वाला एक विवरण संलग्न है (अनुबन्ध-1) [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1425/77]

30 नवम्बर, 1977 को 1974—77 तक की अवधि के 3663 वैगन "गुमशुदा" के रूप में बाकी थे। उसी अवधि के दौरान रेलवे ने 3534 "असम्बद्ध" वैगनों को सुपुर्द किया था।

"गुमशुदा" बताया गया वैगन वास्तव में गुम नहीं हो जाता है। भारतीय खाद्य निगम, राज्य सरकारों और रेलवे से संबंधित परिचालानात्मक कारणों से खाद्यान्नों से लदे वैगनों को मार्ग में रहते समय कभी कभी बुक किये गये गन्तव्य स्थानों के बजाय अन्य स्थानों को भेज दिया जाता है और वे "असम्बद्ध" वैगन के रूप में सुपुर्द किये जाते हैं। उसके बाद "गुमशुदा" और "असम्बद्ध" वैगनों का समायोजन किया जाता है।

(ख) विभिन्न राज्यों में भारतीय खाद्य निगम के निजी/किराये पर लिये गये गोदामों की संख्या 31-3-1977 को 2181 थी। वर्ष 1976-77 के दौरान इन गोदामों को किराये पर लेने के लिये दिये गये किराये की धनराशि 23.25 करोड़ रुपये थी।

राज्यवार ब्यौरे बताने वाला एक विवरण संलग्न है (अनुबन्ध-2) [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1425/77]

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा बताई गई क्षति इस प्रश्न के भाग (क) में बताई गई है।

(ङ) और (च) भारतीय खाद्य निगम द्वारा सम्भाले गये खाद्यान्नों की क्षतियों तथा उनकी बर्बादी को कम करने के लिये किये गये उपायों को बताने वाला एक विवरण संलग्न है (अनुबन्ध-3) [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1425/77]

दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम में संशोधन

4536. **श्री. डी० जी० गवई:** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान मकान मालिकों को अधिकार दिये गये हैं कि वे किराये पर दिये हुए मकान दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के खण्ड 25(ख) में किये गये संशोधन के आधार पर अपनी सही आवश्यकताओं के आधार पर खाली करवा सकते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इस संशोधन से किरायेदारों की स्थिति बहुत कमजोर हो गई है।

(ग) न्यायालयों में मकान खाली कराने के कितने मुकदमें विचाराधीन पड़े हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या गरीब किरायेदारों की हितों की रक्षा करने के लिये दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम में अग्रेतर संशोधन करने का विचार है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) संशोधन अधिनियम, 1976 के द्वारा दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 में शामिल की गई धारा 25 ख में धारा 14 की उपधारा (क) के उपबन्ध के खण्ड (ङ) में उल्लिखित आधारों पर या इस अधिनियम की धारा 14-क के अन्तर्गत दायर या याचिकाओं को निपटाने के लिये एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। मकान मालिकों की अपनी वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर किराये में दिये गये परिसरों को खाली करवाने के उनके अधिकारों की व्यवस्था इस अधिनियम में पहले ही विद्यमान है।

(ख) मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिये प्राथमिक रूप से इस संशोधन से प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है जहां मकान मालिकों को अपने वास्तविक व्यक्तिगत उपायों के लिये अपने आवासों की आवश्यकता है।

कुछ हद तक, उन किरायेदारों को जिन्हें मकान मालिकों द्वारा अपनी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर दायर याचिकाओं का विरोध करने में कामयाबी नहीं मिलती। उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ती है।

(ग) तथा (घ) 1721; दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम में और संशोधन करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

Medical and Travelling Facilities to Teachers of Delhi Schools

†4537. **Shri Shiv Narain Sarsonia :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether all the teachers working in the Government and aided schools under Delhi Administration are being provided medical facilities as also the facility to travel anywhere in the country after three years and if so, since when it has been introduced; and

(b) whether it is a fact that this facility is not being provided in the aided schools and if so, the time by which it will be provided ?

The Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Smt. Renuka Devi Barkataki) : (a) Yes, Sir. While teachers employed in Government schools are entitled to medical facilities and leave travel concession from the same date as applicable to other Government servants working in Delhi Administration, these two concessions were extended to teachers working in aided schools under the provisions of the Delhi School Education Act, 1973 which came into operation with effect from 31st December, 1973. Detailed rules regulating the grant, inter-alia, of the two concessions were notified by the Delhi Administration on 29th Oct., 1974.

(b) Does not arise.

अनधिकृत कब्जे में वक्फ की सम्पत्ति

4538. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह सिफारिश मिली है कि दिल्ली में वक्फ की सम्पत्ति बड़ी मात्रा में अनधिकृत कब्जे में है;

(ख) क्या दिल्ली वक्फ बोर्ड के बार बार अनुरोध करने के बावजूद वक्फ की सम्पत्ति का अनधिकृत कब्जा और प्रबन्ध जारी है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) सरकार को वक्फ सम्पत्तियों के अनधिकृत दखल के बारे में कतिपय शिकायतें मिली हैं;

(ख) तथा (ग) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का यह वक्फ बोर्ड एक स्वायत्त निकाय है जो वक्फ अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापित किया गया है और उसके अन्तर्गत इसका संचालन होता है । वक्फ बोर्ड को कानूनन पुन: कब्जा करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करनी है और इस प्रकार पुन: कब्जा करने के लिये समय अवधि संसदीय कानून के द्वारा समय समय पर बढ़ाई गई है। कुप्रबन्ध की शिकायतों पर दिल्ली प्रशासन द्वारा विचार किया जाता है और उसे दूर किया जाता है ।

पंचायत वित्त निगम

4539. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कुटीर उद्योगों और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिये पंचायत वित्त निगम बनाने का परामर्श दिया है; और

(ख) क्या किसी राज्य ने ऐसा निगम बनाया है और यदि हां, तो इसमें हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) उत्तर प्रदेश तथा बिहार की राज्य सरकारों ने क्रमशः 50 लाख रुपये तथा 100 लाख रुपये की अंशपूंजी से पंचायत वित्त निगमों की स्थापना की है। इन निगमों का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को उनके वाणिज्यिक उद्यमों तथा जनता के उत्थान हेतु निर्माण कार्यों में उपयोग के लिए वित्त प्रदान करता है।

Excesses Committed during Emergency in the Allotment of Government Accommodation

4540. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Works & Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether during the emergency, market rent was charged in an illegal manner from the Government employees for the quarters allotted to them legally; and

(b) if so, whether Government propose to provide relief to such Government employees who become victim of bureaucracy and emergency in this matter ?

The Minister of Works & Housing Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) No Sir.

(b) Does not arise.

Government Accommodiation Allotment Rules

4541. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of days within which the Government employee should take possession of the house allotted to him as a change for the previous one;

(b) the steps taken by Government in case the allotted house is not ready and also this fact is brought to the notice of the Director of Estates ;

(c) the rule under which house-rent is charged for the previous house i.e. whether market rent or normal rent is charged in case the date of taking possession of the house is extended; and

(d) whether there is a rule to charge only normal rent for the previous house, if the allotted house is not ready ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) Normally, an officer can take possession of the house within eight days of the receipt of allotment letter.

(b) In case the house allotted is certified unfit for occupation by the Central Public Works Department, the Director of Estates may extend the date of taking possession of the house.

(c) & (d) Normal rent is charged in respect of the previous house, upto the date of taking possession of the new house, provided that the allotment of the previous house has not been cancelled or no earlier date was fixed for vacating the previous house in occupation of the officer.

Criteria for Flood-wise Allotment of Quarters in Delhi

4542. Shri Nawab Singh Chauhan: Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is justified to allot a quarter to any person in the upper storey as a change if he has been allotted a quarter on the ground floor on medical grounds earlier;

(b) whether the request of an employee for allotment of a ground floor quarter stands or is cancelled if he is granted a change of quarter on the ground floor on medical grounds but is allotted a quarter in the upper storey instead of ground flood which he does not accept;

(c) the criteria for allotment of quarter on a particular floor to a person; and

(d) the criteria for according priority in the allotment of quarters?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikandar Bakht): (a) & (b) An allotment in change is made normally on the request of an allottee in accordance with the preferences indicated by him. In case an allottee wants to continue in a ground floor quarter in his occupation, he has the option not to apply for a higher type to which he may be entitled. If he applies for the higher type, he would be allotted a residence of that type without restriction of floor or locality in accordance with the rules.

(c) For initial allotment, normally no restriction of floor is permissible.

(d) Priority in regard to the allotment is generally considered only on medical grounds, where the officer or any member of his family is suffering from Tuberculosis (in active phase) or cancer, or if the Government servant himself is physically handicapped.

गेहूं में अधिक प्रोटीन तत्व के लिये प्रोत्साहन

4543. श्री बे० झा: क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खेती वाले विभिन्न प्रदेशों में भारतीय गेहूं की किस्म और अमरीकी तथा आस्ट्रेलिया की किस्मों से अधिक या कम प्रोटीन होने के बारे में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) क्या गेहूं के भडारों की जांच करने के लिये रूस का कोई दल भी भारत आया है और यदि हां, तो उस पर रूसी दल की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) देश में अधिक गेहूं उगाने के लिये इस सम्बन्ध में भारतीय किसानों को क्या प्रोत्साहन देने का सरकार का विचार है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां, श्रीमान । अखिल भारतीय समन्वित गेहूं सुधार प्रायोजना के अन्तर्गत भारत में गेहूं के सुधार के काम के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है, गेहूं के दानों की क्वालिटी पर अध्ययन । गेहूं की किस्मों का देश के विभिन्न कृषि जलवायु वाले क्षेत्रों में परीक्षण किया जाता है। विभिन्न क्वालिटी के गुणों के लिये इन

विभिन्न क्षेत्रों से लिये गये दानों का विश्लेषण किया जाता है। नीचे तालिका में दिखाए गये आंकड़ों में देश के पांच क्षेत्रों में गेहूं में प्रोटीन अंश की विभिन्न मात्रा दी गई है:—

गेहूं क्षेत्र	धुले हुए गेहुं में प्रोटीन तत्व
उत्तर पश्चिमी मैदान	10.87—13.85%
उत्तर पूर्वी मैदान	10.85—12.7%
उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र	10.95—12.15%
केन्द्रीय क्षेत्र	12.29—15.56%
प्रायद्वीपीय क्षेत्र	13.89—15.01%

महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक की काली मिट्टियों में उत्पन्न गेहूं में प्रोटीन अंश प्रायः उत्तरी भारत में पाये जाने वाले प्रोटीन अंश से अधिक होता है।

अमेरिका, कनाडा और आस्ट्रेलिया से आयातित गेहूं में निम्नलिखित प्रोटीन अंश बताये जाते हैं:-

व्यावसायिक नमुन	प्रोटीन श्रेणी
(1) जाड़ों वाला अमेरिकी सख्त गेहूं	9.07—12.9%
(2) अमेरिकी नरम सफेद गेहूं	9.37—11.20%
(3) कनाडा का बसन्त ऋतु का लाल गेहूं	13.00—13.80%
(4) कनाडा का बसन्त ऋतु का सफेद गेहूं	12.80—15.26%
(5) आस्ट्रेलिया का सफेद गेहूं	10.00—11.00%

गेहूं में प्रोटीन के अंश पर सस्य सम्बन्धी, जलवायु के और दूसरे पहलुओं का प्रभाव पड़ता है और इस कारण संसार के विभिन्न भागों से प्राप्त होने वाले गेहूं की किस्मों में प्रोटीन अंश की तुलना करना कठिन है।

(ख) जी हां, श्रीमान्। रूस के गेहूं के ऋण की बाकी मात्रा को गेहूं में ही वापस करने के सम्बन्ध में, रूस के विशेषज्ञों का एक दल वापस किये जाने वाले गेहूं के तकनीकी पहलुओं पर विचार विमर्श करने के लिये जुलाई 1977 में भारत पहुंचा। इस दल ने उन बन्दरगाहों को देखा जहां से अनाज को जहाजों में भर कर लादना था और साथ ही कुछ भण्डार केन्द्र भी देखे। इस दल ने गेहूं के लदान के लिये दी जाने वाली सुविधाओं, माल के रख-रखाव, भण्डारण की स्थिति और वापस किये जाने वाले आयातित तथा भारतीय दोनों किस्म की गेहूं की क्वालिटी पर सन्तोष व्यक्त किया।

(ग) गेहूं की उपज और उत्पादकता को बढ़ाने के लिये किसानों को जो प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं, वे हैं:—

(1) 12-10-77 से यूरिया के रिटेल (खुदरा) दामों में प्रतिटन 100 रु० की कमी।

(2) गेहूं के वसूली दामों को प्रति क्विंटल 105 रु० से बढ़ाकर 110 रुपये कर देना।

(3) गेहूं के मिनीकिट कार्यक्रम का कार्यान्वयन जिससे किसानों को विभिन्न स्थितियों के लिये अधिक उपज देने वाली नवीनतम उपर्युक्त किस्मों को छांटने में मदद मिलती है; और

(4) पहाड़ी क्षेत्रों में रतुवा ग्राही गेहूं की किस्मों की जगह दूसरी किस्म को अपनाने की योजना का कार्यान्वयन, जिसके अन्तर्गत किसानों को बीज मुफ्त दिया जाता है।

पश्चिम बंगाल में "आपरेशन फ्लड" कार्यक्रम

4544. **रेणुपद दास** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के "आपरेशन फ्लड" कार्यक्रम के बारे में जानकारी है ;

(ख) इस कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) इस में अब तक कितना धन लगाया गया है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा मूलतः प्रस्तावित आपरेशन फ्लड परियोजना का कार्यान्वयन भारतीय डेरी निगम के माध्यम से किया जा रहा है । पश्चिम बंगाल में जो कार्यक्रम है वह सम्पूर्ण परियोजना का ही एक भाग है।

(ख) कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

1. बैलगाछिया (कलकत्ता) में विद्यमान नगर डेरी का विकास करना ।
2. दनकुनी (कलकत्ता) में प्रतिदिन 400,000 लिटर क्षमता की एक नयी नगर डेरी की प्रस्थापना करना।
3. कलकत्ता के दुग्ध क्षेत्रों मे अर्थात दार्जिलिंग, मुर्शिदाबाद, और मिदनापुर के जिलों में, फीडर बैलेसिंग डेरी प्रशीतन केन्द्रों की स्थापना करना ।
4. दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने जिसमें पशु आहार संयंत्र की स्थापना करना भी शामिल है, के लिए तकनीकी आदानों की व्यवस्था करना ।
5. शहरी पशुओं का पुनर्वास करना ।
6. बुल मदर फार्मों की स्थापना करके उन्नत दुधारु पशुओं का विकास करना।
7. दुग्ध को ग्रामीण अधिप्राप्ति के लिए कृषक संगठनों की स्थापना करना।

उपरोक्त मदों में से (1) से (5) तक मदों का पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन किया जा रहा है, मद (6) और (7) पर भारतीय डेरी निगम द्वारा सीधा व्यय किया जा रहा है ।

(ग) मद संख्या (1) से (7) पर भारतीय डेरी निगम द्वारा निम्न प्रकार परिव्यय किया जा रहा है :--

1. 86.03 लाख रुपये
2. 320.02 लाख रुपये
3. 226.49 लाख रुपये
4. 177.47 लाख रुपये
5. 11.79 लाख रुपये
6. 10.08 लाख रुपये
7. 18.65 लाख रुपये

उपरोक्त परिव्यय के निम्नलिखित परिणाम निकले हैं :--

1. बैलगाछिया में कलकत्ता दुग्ध योजना का विस्तार पूर्ण हो चुका है जोकि प्रतिदिन 1.5 लाख लिटर से प्रतिदिन 3 लाख लिटर है।

2. दनकुनी में मदर डेरी की स्थापना की गयी है जिसकी दूध संभालने की क्षमता 4 लाख लिटर है । डेरी चालू होने वाली है

3. फीडर बैलेंसिंग डेरी, जिसकी प्रतिदिन 5 टन स्किम दुग्ध चूर्ण बनाने की क्षमता है और एक लाख लिटर संभार क्षमता है, की स्थापना की गई है तथा मतीगढ़ में चालू की गई है । ऐसी योजना है कि मुर्शिदाबाद और मिदनापुर जिले में आप्रेशन फ्लड के अंतर्गत अधिक फीडर बैलेंसिंग डेरी खोली जाए।

4. दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए तकनीकी आदान की प्रगति की एक रिपोर्ट संलग्न विवरण में दी गयी है। सिलीगुड़ी में पशु आहार संयंत्र के लिए सार्वजनिक कार्य पूरा हो चुका है और उसकी स्थापना का कार्य प्रगति पर है। .

5. यह बताया गया है कि पुनर्वास के लिए पशु स्वामियों का पता लगाने के लिए कलकत्ता के कुछ हिस्सों में सर्वेक्षण किया गया है ।

6. दो बुल मदर फार्मों की स्थापना की गयी है। एक पश्चिम बंगाल की परियोजना कक्ष द्वारा चलाया जाता है और दूसरे की व्यवस्था भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर द्वारा की जाती है।

7. सहकारी डेरी संगठन की स्थिति निम्न प्रकार है :—

दुग्ध क्षेत्र	संघ के पंजीकरण की तिथि	संगठित की गयी समितियां	उत्पादक सदस्यों की संख्या	औसतन दुग्ध अधिप्राप्ति (लिटर प्रतिदिन)
1. दार्जिलिंग	. जनवरी, 1973	203	5260	16,775
2. मुर्शिदाबाद	. अक्तूबर, 1974	169	6520	5,524
3. मिदनापुर	. अगस्त, 1977	29	684	दुग्ध अधिप्राप्ति अभी शुरू नहीं हुई है।

विवरण

आप्रेशन फ्लड परियोजना के अंतर्गत दुग्ध उत्पादन वृद्धि के लिये तकनीकी आदानों के कार्यक्रम की प्रगति

दुग्ध क्षेत्र	रखे गये जर्सी प्रजनक सांड	स्थापित अखिल भारतीय केन्द्र	1976 के दौरान पैदा हुए संकर प्रजनित मादा	कार्यरत चल पशु चिकित्सक एकक	कार्यरत आपाती एकक	1976 के दौरान उपचारित मामले	पशु स्वास्थ्य व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम	पशु आहार संयंत्र का स्तर	खरीफ 1977 के दौरान चारा बीजों की आपूर्ति (कि० ग्रा०)	1976 के दौरान पशु आहार की आपूर्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
दार्जिलिंग	8	114	92	6	6	3544	170	निर्माणाधीन	मक्का-750 लोबिया-150	38.5
मुर्शिदाबाद	10	92	128	3	1	13754	117	योजनाधीन	मक्का-750 लोबिया-150 गोण उत्पाद-250 चारा	301.5

डी० आई० जैड० क्षेत्र में सैक्टर 'डी' में टाइप II के क्वार्टरों की सफेदी

4545. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी० आई० जैड० क्षेत्र में सेक्टर 'डी' में टाइप-II के क्वार्टरों की संख्या कितनी है ;

(ख) इन क्वार्टरों में सफेदी का काम पूरा कराने का ठेकेदार को कितना समय दिया गया था;

(ग) एक दिन में कितने क्वार्टरों की सफेदी होती है;

(घ) क्या सफेदी के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं कि सफेदी का काम ठीक नहीं हुआ है; और

(ङ) सफेदी का काम तेज करने और उसे करार के अनुसार कराने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) 192 क्वार्टर।

(ख) दो महीने ।

(ग) औसतन 2 से 3 क्वार्टर ।

(घ) 3 शिकायतें प्राप्त हुई थीं और उन पर तुरन्त ध्यान दिया गया।

(ङ) क्योंकि कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई थी, इसलिए कार्य की प्रगति तेज करने और करार में विशिष्टियों के अनुसार कार्य का निष्पादन करने के लिए ठेकेदार को एक नोटिस जारी किया गया था ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बर्खास्त किए गए दैनिक मजदरी वाले कर्मचारी

4546. **श्री शिव सम्पत्ति राम** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1977 के दौरान अब तक दैनिक मजूरी वाले कितने कर्मचारियों को बर्खास्त किया है ;

(ख) वे दिल्ली विकास प्राधिकरण में दैनिक मजूरी वाले कर्मचारियों के रूप में कब से काम कर रहे थे ;

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण में वर्ष 1977 में कितने नये कर्मचारी दैनिक मजूरी पर अथवा नियमित आधार पर भर्ती किए गए ; और

(घ) उन दैनिक मंजूरी वाले कर्मचारियों को न रखने के क्या कारण हैं जो वहां काफी समय से काम कर रहे थे ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

New Plough Kubora in Kerala

4547. **Shri Dharmasinhbhai Patel** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the Agriculture Implements Corporation has developed an electric 'Kubora Plough' in Kerala; and if so, when developed and the percentage of indigenous material used in its manufacture and the percentage of material required to be imported;

(b) the utility of the newly developed 'Kubora Plough'; and

(c) the names of the states where it is being sold and since when it is being sold ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Branala): (a) to (c) The Kerala Agro Machinery Corporation has not developed any electric 'Kubora Plough'. It is, however, manufacturing a diesel engine fitted Kubota power tiller in technical collaboration with M/s. Kubota Ltd. of Japan. This power tiller has an indigenous content of 72.5 per cent and the remaining 27.5 per cent has to be imported. On account of its easy manoeuvrability, it is useful for farming operations on small fields particularly in the paddy areas. It is being sold from 1972 and most of its sale so far has been in Kerala, Tamilnadu, Karnataka, West Bengal, Manipur, Meghalaya, Tripura, Bihar and Orissa.

Rice, Wheat and Sugar to Gujarat

4548. **Shri Dharmasinhbhai Patel:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the quota of rice, wheat and sugar prescribed for Gujarat for the years 1976-77 and 1977-78;

(b) the quantity thereof supplied in 1976-77 and the quantity to be supplied during the period from December, 1977 to March, 1978; and

(c) the quota thereof to be prescribed for 1978-79 ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh): (a) & (c) The following quantities of Wheat and Sugar were allotted to Government of Gujarat.

(Figures in thousand tonnes)

Year	Wheat	Sugar
1976-77	102.0	172.8
1977-78		
(April 1977 to December 1977)	219.93	133.5

No rice was allotted to the Govt. of Gujarat during the above period. The allocations of foodgrains and sugar are made on a monthly basis and it is not possible at this stage to indicate precisely the allocations that will be made during the remaining part of 1977-78 and 1978-79.

(b) The off-take of wheat and sugar against the allocations for 1976-77, was as under :

(Figures in thousand tonnes)

Wheat	Sugar
87.2	172.7

It is not possible to indicate the quantity that would be supplied during December, 1977 to March, 1978 as this would depend on the monthly allocations and the off-take by the State Government, against the allocations.

Allocation of Funds for Construction of Approach Roads in Gujarat

4549. **Shri Dharmasinhbhai Patel:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the amount allocated to Gujarat State during the current financial year i.e. 1977-78 for construction of approach roads in rural areas and the amount out of it, given so far and when the remaining amount will be given;

(b) whether Gujarat State is lagging behind in the country in the matter of construction of approach road, and if so, whether there is any proposal to give more money to Gujarat, and if so, the details thereof; and

(c) the length, in kilometers, of rural approach roads constructed in Gujarat so far and the length of approach roads yet to be constructed and the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh): (a) The State Government of Gujarat has been allocated Rs. 65.00 lakhs during 1977-78 for the construction of link roads in rural areas. Against this allocation, a sum of Rs. 32.50 lakhs (i.e. 50 per cent of the total allocation) has already been released. The balance will be released in two instalments. The first instalment will be released on receipt of information along with technical and other details of roads identified for being taken up under this scheme and the final instalment on receipt of completion certificate.

(b) According to the statistics available, Gujarat does not seem to lag behind in the country in the matter of roads.

(c) No information has so far been received about progress of rural link roads in Gujarat during the current year. However, length of Zila Parishad Roads in Gujarat is 26,766 kms. Future programmes for construction of these roads are part of State Plans of Gujarat.

Cost of Production of Hybrid Cotton

4550. **Shri Dharmasinbbhai Patel:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that according to the survey made by Ahmedabad Institute of Cooperating Management in 1975, 1976 and 1977 on behalf of Gujarat State Cooperative Cotton Marketing Federation, the cost of production of hybrid-4, Digvijay, V-797 and C.O.2 cotton produced in Gujarat was more than its selling price and if so, the cost of production of one quintal cotton and the price thereof received by the farmers;

(b) the action taken so far or proposed to be taken now by the Ministry to ensure that farmers growing cotton do not suffer loss; and

(c) the time by which the country will become self-sufficient in the matter of cotton ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) The requisite information has been called for and will be placed on the table of the Sabha, when received.

(b) Minimum support prices of cotton are fixed to ensure that market prices do not fall unduly in the event of glut in supplies resulting from higher production. Besides, programmes for stepping up agricultural production help in increasing the yield per hectare and reducing the cost per quintal. Subsidies are also being given to the farmers to meet the cost of aerial spraying operational charges for the control of cotton pests and also on certified cotton seeds.

(c) The production of cotton fluctuates from year to year; while the total production falls short of the requirements in some years, it is adequate to meet the requirements in others. On the whole, even now the country is more or less self-sufficient in long staple and short staple cotton. Programmes for increasing cotton production are currently being implemented and are proposed to be further intensified with a view to achieving self-sufficiency during the next Five Year Plan (1978—83).

रोजगार-प्रधान उच्च शिक्षा

4551. **श्री गणनाथ प्रधान :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की सभी संस्थाओं में रोजगार-प्रधान उच्च शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने कोई नई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) ऐसी संस्थाओं की संख्या कितनी है, जहां उक्त कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) सरकार की बराबर यही नीति रही है, कि उच्च शिक्षा, विशेष कर तकनीकी शिक्षा को, जहां तक संभव हो सके रोजगारोन्मुख बनाया जाए । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों के पुनर्निर्माण के लिए एक योजना तैयार की है ताकि उनको समाज की विकासात्मक आवश्यकताओं के और अधिक अनुरूप बनाया जा सके तथा शिक्षा को कार्य और व्यावहारिक तथा क्षेत्र अनुभव के साथ भी जोड़ा जा सके।

जन-जातियों के लिए देवनागरी में साहित्य तैयार करना

4552. **श्री ईश्वर चौधरी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन जनजातियों के लिए, जिनकी भाषा अपनी भाषा होते हुए भी कोई लिपि नहीं है; देवनागरी लिपि में साहित्य तैयार करने हेतु व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी): (क) से (ग) स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं को वित्तीय सहायता की योजना में संस्थाओं को जनजातीय भाषाओं सहित सभी भाषाओं के लिए देवनागरी में साहित्य निर्माण हेतु वित्तीय सहायता की व्यवस्था है। स्वीकृत खर्चे की 75 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता रजिस्टर्ड संस्थाओं को दी जाती हैं। विभिन्न जनजातीय भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि में शिक्षण सामग्री तैयार करने की एक योजना केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा के भी विचाराधीन है।

Autonomy to Universities in Madhya Pradesh

4553. **Shri Narmada Prasad Rai :**
Shri Y. V. Shastri :

Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Central Government are implementing their policy of power decentralisation, if so, the scheme in regard to implementing their policy in the universities;

(b) whether Government are aware that the Madhya Pradesh Government have done away with the autonomy of all the Universities of the State and have assumed all their powers through the Governor (the Chancellor) under Madhya Pradesh University (Amendment) Act, 1972; and

(c) whether as per their policy of power decentralisation the Central Government propose to advise the Madhya Pradesh Government to give full autonomy to the Universities soon by repealing the said Act and reviving the Acts which were in force before it was passed ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) Universities are autonomous bodies set up by an Act of Central or State Legislature and they function according to provisions of such Acts and statutes framed thereunder. It is the policy of the Central Government not to interfere in their administration.

(b) & (c) Government are aware of the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973, but would not say that the autonomy of the universities in that State has been eroded. If, however, there be any offending provisions in the said Act of 1973, it would be a matter to be raised in the State Legislature.

राष्ट्रीय बीज निगम

4554. **श्री महीलाल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज परियोजना की क्रियान्विति के कारण राष्ट्रीय बीज निगम के सामने उसकी सेवाओं में सभी स्तरों पर कर्मचारियों के फालतू हो जाने की समस्या है और विधियों की कमी तथा ह्रास के कारण उसे अपने सभी कर्मचारियों की सेवा में रखने में भारी कठिनाई हो रही है ; और

(ख) क्या निगम ने फालतू हुए कर्मचारियों की एक सूची मंत्रालय को भेजी है, यदि हां, तो क्या उक्त सूची सभा पटल पर रखी जाएगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय बीज निगम का कार्य क्षेत्र बदल गया है । इस संबंध में राज्य बीज निगम द्वारा अपने हाथों में लिये गये कार्यों/कार्यक्रमों के कारण कुछ कर्मचारी आवश्यक रूप से अधिशेष हो जायेंगे। साथ ही साथ नये कार्यक्रमों के संदर्भ में कार्यकलापों के कुछ नये क्षेत्रों के संबंध में कर्मचारियों की मांग बढ़ जाएगी । राष्ट्रीय बीज निगम ने अभी अधिशेष पदों के बारे में अंतिम निर्णय नहीं किया है। राष्ट्रीय बीज निगम ने परियोजना संबंधी व्यवस्था तथा मोनीटरिंग समिति के सम्मुख अधिशेष होने वाले कर्मचारियों की जो सूची प्रस्तुत की थी वह अनन्तिम थी और उसमें उन्होंने नये क्षेत्रों में या उन क्षेत्रों में (जहां प्रयत्नों को तीव्र करने की आवश्यकता होगी) होने वाली अपनी आवश्यकताओं पर पूर्ण ध्यान नहीं दिया है । अतः इस स्थिति में सभा पटल पर एक निश्चित सूची प्रस्तुत करना संभव नहीं है।

यद्यपि राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा वर्ष 1976-77 के खातों का रूप दिया जा रहा है तथापि उससे पिछले वर्ष अर्थात 1975-76 में निगम को लाभ हुआ था ।

भारतीय संविधान में पंचायती राज विषयक संशोधन के बारे में ज्ञापन

4555. **श्री कोंडाजी वासप्पा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भूतपूर्व सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री एस०के० डे और डा० एल०एम० सिंघवी की ओर से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें भारतीय संविधान में पंचायती राज विषयक संशोधन का मसौदा भी शामिल है और ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) व (ख) श्री एस०के० डे से प्रधान मंत्री को पंचायती राज के सम्बन्ध में भारतीय संविधान के संशोधन के लिए सुझावों के साथ एक पत्र प्राप्त हुआ था। तथापि, डा० एल०एम० सिंघवी से इस प्रकार का कोई पत्र-व्यवहार नहीं था। सुझाव पंचायती राज संस्थाओं को प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां सौंपने तथा समय पर उनके चुनाव कराने से सम्बन्धित है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जे० डी० टाइटलर स्कूल, नई दिल्ली को भूमि के आवंटन के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच

4556. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जे० डी० टाइटलर स्कूल को लगभग 1.84 एकड़ भूमि आवंटित करने के मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच करने का आदेश दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा एक गुमनाम शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें जे० डी० टाइटलर स्कूल, नई दिल्ली को मुनीरका ग्रुप हाउसिंग स्कीम में 5000 रुपये प्रति एकड़ की दर से भूमि का अनियमित आवंटन किए जाने का आरोप लगाया गया था। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सूचित किया है कि इस मामले की जांच की जा रही है।

कानपुर स्थित राष्ट्रीय चीनी संस्थान के निदेशक के बारे में ज्ञापन

4557. **श्री समर गुह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर स्थित राष्ट्रीय चीनी संस्थान के निदेशक द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के बारे में कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है ;

(ख) क्या बिहार स्थित श्याम शुगर फैक्टरी के संयंत्र तथा मशीनों के लिए राष्ट्रीय चीनी विशेषज्ञ दल द्वारा निर्धारित किये गये मूल्य से दुगना मूल्य इस कारखाने को दिया गया था;

(ग) क्या इसी निदेशक ने चेलाथान कोआपरेटिव फैक्टरी, गुजरात के लिए मशीनों की खरीद हेतु कम से कम मूल्य के टेंडर की उपेक्षा करके ऊंचे मूल्य के टेंडरों की सिफारिश की थी;

(घ) यदि हां, तो ऐसी शिकायतों संबंधी सभी मामलों के बारे में तथ्य क्या हैं; और

(ङ) क्या सरकार उक्त निदेशक तथा उसके सहयोगियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें राष्ट्रीय शकर्रा संस्था, कानपुर द्वारा की गई कुछेक तथाकथित अनियमितताओं के बारे में शिकायत की गई है और सरकार उसकी जांच कर रही है।

(ख) बिहार सरकार ने चीनी फैक्टरी का अधिग्रहण कर लिया है। वास्तव में दी गई धनराशि और जिस आधार पर भुगतान किया गया उसके बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) गुजरात सरकार से चेल्थन सहकारी चीनी फैक्टरी के लिए संयंत्र और मशीनरी की खरीदारी करने के से संबंधित एक रिपोर्ट मांगी है और प्राप्त होने पर उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा ।

(घ) ऊपर उल्लिखित (ख) और (ग) के अनुसार ।

(ङ) इस मामले में जिस प्रकार की कार्यवाही करना अपेक्षित है, उसके बारे में केवल राज्य सरकार तथा संस्थान से रिपोर्टें प्राप्त होने और उनकी जांच करने के बाद ही निर्णय किया जा सकता है ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा वित्तीय अनुदानों का उपयोग

4558. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के धातु विज्ञान विभाग में बहुत से उपकरण बेकार पड़े हैं तथा अनुदानों को वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पूर्व खर्च करने के उद्देश्य से अनावश्यक कार्यों पर खर्च किया गया है ;

(ख) क्या एक डीजल जेनेरेटर को रखने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रयोगशाला को खाली कराया गया जिसके परिणामस्वरूप बहुत से उपकरण और वस्तुएं क्षतिग्रस्त/नष्ट हो गईं ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संकाय की पांचवीं पंचवर्षीय योजना की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त की गई निरीक्षण समिति (विजिटिंग कमेटी) ने अप्रैल, 1977 में आयोग को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा है कि संरचनात्मक और यांत्रिक परिसम्पत्तियों की जांच के लिए अब तक प्राप्त उपस्करों का पूरा उपयोग किया गया है और काफी अच्छा कार्य किया गया है । समिति ने यह भी सिफारिश की है कि उक्त विभाग को अपने सुपरिभाषित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्रमिक तौर पर कुछ और उपस्कर प्राप्त करने चाहिए । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार विभाग द्वारा धन के दुरुपयोग के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार डीजल जेनेरेटर का उसी प्रयोगशाला में, जहां यह रखा हुआ है, लगाना तत्वत: उसी के निर्बाध कार्यकरण के लिए था और परिणामी स्थान परिवर्तन से किसी भी प्रकार का कोई नुक्सान नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

डायरेक्टर आई० आई० टी० कानपुर द्वारा लिया गया यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता

4559. **श्री मनोहर लाल :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० ए० भट्टाचार्य, डायरेक्टर, आई० आई० टी०, कानपुर एक महीने में 25 दिन की अवधि के लिये दौरे पर रहते हैं ;

(ख) चालू वर्ष तथा वर्ष 1976-77 में उन्होंने यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता के रूप में कितनी राशि ली ; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) निदेशक ने संस्थान का कार्य-भार 1 मई, 1976 को संभाला । संस्थान के कार्य के संबंध में उनके द्वारा लिया गया यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता निम्नलिखित है :—

1 मई से 31 दिसम्बर, 1976 तक :	3,622.85 रुपये
1 जनवरी से 15 दिसम्बर, 1977 तक :	11,371.60 रुपये

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में समुद्री तूफान के कारण प्रभावित विद्यार्थियों के लिए सहायता

4560. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश और केरल राज्यों में अनेक शैक्षिक संस्थान समुद्री तूफान से नष्ट हो गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों को कुल हानि कितनी हुई है ;

(ग) क्या केन्द्रीय मंत्रालय ने इस संबंध में राज्य सरकारों को सहायता देने के लिए योजनाएं बनाई हैं ;

(घ) क्या अनेक विद्यार्थियों के माता-पिता इस समुद्री तूफान में मारे गए हैं और वे अब पढ़ाई जारी रखने में असमर्थ हैं ;

(ङ) क्या मंत्रालय इन विद्यार्थियों को भविष्य में उनकी शिक्षा जारी रखने में सहायता देने पर विचार करेगा ; और

(च) केन्द्रीय सरकार उन्हें किस प्रकार की मदद देगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) से (च) संबंधित राज्य सरकारों तथा विभिन्न एजेंसियों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दक्षिणी राज्यों में समुद्री तूफान के कारण हुई हानि

4561. **श्री बी० सी० काम्बले** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा केरल राज्यों और अन्य राज्य में समुद्री तूफान से हुए विनाश के परिणामस्वरूप कुल कितने कस्बे, नगर तथा गांव पूरी तरह से अथवा आंशिक तौर पर नष्ट हुए हैं तथा उनके नाम क्या हैं ;

(ख) उपरोक्त राज्यों में अनुमानतः कितने पुरुष, स्त्री, बच्चे तथा जानवर मारे गए हैं ; और

(ग) उपरोक्त राज्यों में फसलों तथा अन्य सम्पत्ति की अनुमानतः कितनी हानि हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

किसानों को पटसन की काश्त की तकनीकी जानकारी देना

4562. **श्री दया राम शाक्य** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसानों को पटसन की काश्त की तकनीकी जानकारी देने के बारे में कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है जिससे अच्छी किस्म के पटसन का उत्पादन नहीं होता; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार पटसन उत्पादन के लिए एक पृथक् सैल खोलने की व्यवस्था करेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) जी नहीं । जूट तथा मेस्ता के उत्पादकों को आधुनिक उत्पादन तकनीकें मुहैय्या करने के लिए पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश व आंध्र प्रदेश के 20 चुनींदा जिलों में सघन जिला पटसन विकास कार्यक्रम के विषय में एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चालू है । कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय का जूट विकास निदेशालय जूट उत्पादन में सुधार लाने व रेशे की क्वालिटी के सुधारने के लिए जूट व मेस्ता उत्पादक राज्यों में योजना बनाने, उसे कार्यरूप देने व समन्वय करने के प्रयासों को प्रोत्साहन दे रहा है ।

भारत को यूरिया की सप्लाई

4563. **डा० हेनरी आस्टिन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस सरकार ने इस वर्ष भारत को यूरिया सप्लाई करने के बारे में अपने ठेके संबंधी दायित्वों को पूरा नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो समझौते के अधीन इस वर्ष भारत को कुल कितना यूरिया सप्लाई किया जाना था ;

(ग) यूरिया की सप्लाई में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या भारत सरकार ने उनको यूरिया सप्लाई करने के लिए कहा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) मार्च, 1977 में यूरिया के आयात के लिए रूस से साथ दो करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे । इनमें से एक करार फरवरी—15 जून, 1977 के दौरान 55,000 मीटरी टन की डिलीवरी करने और दूसरा करार जून—दिसम्बर, 1977 के दौरान 1,60,000 मीटरी टन की डिलीवरी करने के विषय में था । इनकी तुलना में क्रमशः अप्रैल—जुलाई, 1977 के दौरान 54,999.95 मीटरी टन और जुलाई—नवम्बर, 1977 के दौरान 66,656.60 मीटरी टन यूरिया भेजा गया था । रूस ने दिसम्बर 1977 के दौरान अन्य 50,000 मीटरी टन यूरिया भेजने का आश्वासन दिया है ।

(ग) देरी का मुख्य कारण अच्छे स्तर के थैलों का उपलब्ध न होना था, जिसके परिणाम-स्वरूप थैलों के नमूनों के संबंध में बातचीत चलने के कारण मूल्य के संबंध में समझौता करने में देरी हुई ।

(घ) जी हां ।

आई० आई० टी०, कानपुर में दुकानों का निर्माण

4564. **श्री मनोहर लाल :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० आई० टी०, कानपुर के निदेशक ने 20,000 रुपये से अधिक की लागत की इमारत गिराने और 50,000 रुपये की लागत से विभिन्न स्थानों में दुकानों का निर्माण करने का आदेश दिया था जिससे सरकार को 70,000 रुपये की हानि हुई;

(ख) क्या उसने आई० आई० टी० के निर्धारित नियमों तथा विनियमों तथा प्रक्रियाओं का पालन किए बिना अपने पुत्र को आई० आई० टी० कानपुर में दाखिला दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) संस्थान के शासक मण्डल ने जुलाई, 1976 में निदेशक को साईकिल शैड को बदलकर बनाए गए गन्दे से और टूटे-फूटे बाजार केन्द्र को गिराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्राधिकृत किया तथा संस्थान की मास्टर प्लान की शर्तों के अनुसार उपयुक्त स्थानों पर छोटे बाजार केन्द्रों के निर्माण की स्वीकृति दी।

(ख) निदेशक के पुत्र को निर्धारित नियमों तथा विनियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार संस्थान की सीनेट की सिफारिशों पर दाखिल किया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

आई०आई०टी०, कानपुर द्वारा ठेकेदार को न निकाला जाना

4565. **श्री मनोहर लाल :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ठेकेदार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर से लगभग 200 एकड़ भूमि केवल एक वर्ष के लिये ठके पर ली थी;

(ख) क्या सरकार ने गत 15 वर्षों से उक्त संस्थान की भूमि से ठेकेदार को नहीं निकाला ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, कानपुर द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, ठेकेदार ने जुलाई, 1972 में गैर-कानूनी तौर से तथा बिना प्राधिकार संस्थान की 43.58 एकड़ भूमि घेर ली थी । अपेक्षित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार उन्हें 24 जून, 1977 को निकाल दिया गया।

समुद्री तूफान में लापता मां-बापों के बच्चे

4566. **श्री के० लकप्पा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में दक्षिण राज्यों में आए समुद्री तूफान के कारण अनेक ऐसे बच्चे पाए गए है जिनके मां-बाप लापता हो गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय मंत्रालय ने सहायता हेतु तथा मौके पर अध्ययन करने के लिये इन राज्यों में अपने प्रतिनिधियों को भेजा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या उन्होंने सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनको क्या सहयोग तथा सहायता दी जायेगी तथा अब तक उन्हें कितनी सहायता दी गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) जी हां।

(ख) समुद्री तूफान से उत्पन्न हुई स्थिति का मौके पर जायजा लेने के लिये जिस केन्द्रीय दल ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा केरल का दौरा किया था उसके साथ शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय (समाज कल्याण विभाग) के प्रतिनिधि गए थे।

(ग) जी हां, केन्द्रीय दलों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी।

(घ) आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु सरकारों को सूचित किया गया है कि अनाथ बच्चों के लिये अनाथालय चलाने के लिये अतिरिक्त धन राशि स्वैच्छिक संगठनों को उपलब्ध की जाएगी। उनसे वित्तीय सहायता के लिये प्रस्ताव को भेजने का अनुरोध किया गया है। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड भी अनाथ, निराश्रय बच्चों आदि का पता लगाने का प्रत्यन कर रहा है जिससे कि समाज कल्याण केन्द्रों में उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जा सके। आंध्र प्रदेश में अनाथालयों का विस्तार करने के लिये 0.20 करोड़ रुपये की अग्रिम योजना सहायता की मंजूरी भी दी जा चुकी है

स्थगन प्रस्ताव के बारे में
RE. MOTION FOR ADJOURNMENT

नेशनल हेराल्ड के दिल्ली संस्करण का प्रकाशन बन्द होना

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : मैंने 'नेशनल हेराल्ड' के बन्द होने के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव को सूचना दी है। प्रबन्धकों ने कल से इसका प्रकाशन बन्द कर दिया है। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। सैकड़ों कर्मचारी कठिनाई में पड़ गए हैं। मैं चाहता हूं कि इस विषय पर चर्चा हो।

अध्यक्ष महोदय : इसे अस्वीकार कर दिया गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरकार इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दे।

अध्यक्ष महोदय : सरकार उचित समय पर एक वक्तव्य अवश्य देगी।

श्री चित्त बसु : (बरासाट) : स्थिति में परिवर्तन आया है। 'नेशनल हेराल्ड' ने आज से प्रकाशन बन्द कर दिया है। प्रकाशन बन्द होने से 500 कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। इस अवैध, अनौचित्यपूर्ण और मनमाने तरीके से प्रकाशन बन्द करने को रोकने के लिए कुछ किया, जाना चाहिए।

श्री कृष्ण कान्त (चण्डीगढ़) : उस दिन सूचना और प्रसारण मंत्री ने विशेष रूप से कहा था कि यदि प्रबन्धकों ने प्रकाशन बन्द किया तो कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाएगी। सरकार के पास कम्पनी विधि और औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत पर्याप्त अधिकार है कि प्रकाशन बन्द न हो और कर्मचारियों को निकाल बाहर न किया जाए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत एक मालिक को उद्योग बन्द करने पर.....

अध्यक्ष महोदय : आप ही सारा समय नहीं ले सकते । इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल न किया जाए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : * *

Shri Vijay Kumar Malhotra (South Delhi) : Other day the Minister informed that they have not stopped the publication and they have not given any notice to stop it. But now when the publication has been stopped, what action is being taken by the Government ?

अध्यक्ष महोदय : इन सब बातों पर उस दिन चर्चा हो चुकी है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

पशु प्रयोग नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण संबंधी समिति, बम्बई के वर्ष 1974-75 के लेखा परीक्षित लेखे, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के कृषि उद्योग निगमों के विवरणों समेत क्रमशः वर्ष 1974-75 और 1975-76 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): मैं निम्नलिखित सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) पशु प्रयोग नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण संबंधी समिति (प्रशासन) नियम, 1965 के नियम, 24 के उपनियम (4) के अन्तर्गत पशु प्रयोग नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण संबंधी समिति, बम्बई, के वर्ष 1974-75 के लेखा-परीक्षित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 1393/77]

(2) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) पश्चिम बंगाल कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड कलकत्ता के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) पश्चिम बंगाल कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड कलकत्ता का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा इन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 1394/77]

(ख) (एक) कर्नाटक कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड बंगलौर के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) कर्नाटक कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

**कार्यवाही वृतान्त में शामिल न किया गया ।
Not recorded.

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 1395/77]

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के लेखा परिक्षित लेखों और विवरणों समेत वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1975-76 के प्रमाणित लेखे, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई की वर्ष 1975-76 की समीक्षा समेत वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन और विवरणों समेत सालार जंग संग्राहलय का वर्ष 1976-77 का प्रतिवेदन

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1975–76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन से सरकार की सहमति दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली, के वर्ष 1975–76 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०–1396/77]

(3) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1975–76 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी* संस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 1397/77]

(4) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई के वर्ष 1975–76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी** संस्करण) की एक प्रति।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई के वर्ष 1975–76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा। (हिन्दी** संस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 1398/77]

(5) (एक) सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद के वर्ष 1976–77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जिसमें निम्नलिखित ब्यौरा दिया गया है :—

(क) कि सरकार उपर्युक्त प्रतिवेदन से सहमत है और इस लिए समीक्षा सभा पटल पर नहीं रखी जा रही है।

*दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण 4 जुलाई, 1977 को सभा पटल पर रखा गया था।

**दस्तावेजों का अंग्रेजी संस्करण 31 अगस्त, 1976 को सभा पटल पर रखा गया था।

(ख) लेखा परीक्षित लेखे सभा पटल पर न रखे जाने के कारण । [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 1399/77]

भारी विद्युत उद्योग विकास परिषद् का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन और उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : श्री जार्ज फर्नान्डीज की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारी विद्युत उद्योग विकास परिषद् के वर्ष 1976–77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 1400/77]

(2) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) मैसर्स कार्टर पुलर एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबंध पर नियंत्रण जारी रखने संबंधी सां० आ० 620 (ङ) जो 19 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) मैसर्स इंडिया मशीनरी कम्पनी लिमिटेड, हावड़ा के प्रबंध पर नियंत्रण जारी रखने संबंधी सा० आ० 784 (ङ) जो दिनांक 24 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 1401/77]

आय-कर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) :

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सां० आ० 3753 जो दिनांक 10 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) सां० आ० 3754 जो दिनांक 10 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 1402/77]

दो विवरणों समेत रामपुर रजा पुस्तकालय का वर्ष 1975-76 का प्रतिवेदन

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका बड़कटकी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) (एक) रामपुर रजा पुस्तकालय अधिनियम, 1975 की धारा 21 की उपधारा (4) के अन्तर्गत रामपुर रजा पुस्तकालय, रामपुर के वर्ष 1975–76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उपर्युक्त दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) यह बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) कि 12(एक) में उल्लिखित प्रतिवेदन से सरकार सहमत है और इसलिए कम्पनी के कार्यकरण की पृथक समीक्षा सभा पटल पर नहीं रखी जा रही है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1403/77]

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि०, नई दिल्ली का विवरण समेत वर्ष 1976-77 का प्रतिवेदन और हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी, लि०, नई दिल्ली को विवरण समेत वर्ष 1976-77 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Ram Kinkar): I lay the following papers on the Table of the House :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1976–77 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

(दो) यह बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) कि उपर्युक्त प्रतिवेदन से सरकार सहमत है और इसलिये कम्पनी के कार्यकरण की पृथक समीक्षा सभा पटल पर नहीं रखी जा रही है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1404/77]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1976–77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हिन्दुस्तान हाउसिंग फ़ैक्टरी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1976–77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(ग) उपर्युक्त (ख) (दो) में उल्लिखित दस्तावेजों का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1405/77]

चीनी (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1977

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत चीनी (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 30 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सं० नि० 596 (ङ) में प्रकाशित हुआ था, सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1406/77]

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

LEAVE OF ABSENCE FROM SITTINGS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने अपने चौथे प्रतिवेदन में निम्नलिखित सदस्यों को प्रत्येक के सामने दिखाई गई अवधियों के लिये सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान को गई :—

(1) श्री वाई० शायजा	21 नवम्बर से 23 दिसम्बर, 1977 (तीसरा सत्र)
(2) श्री राम नरेश यादव	23 नवम्बर से 22 दिसम्बर, 1977 (तीसरा सत्र)
(3) श्री वो० पो० नायक	6 से 8 अगस्त, 1977 (दूसरा सत्र) और 14 से 30 नवम्बर, 1977 (तीसरा सत्र)
(4) श्री राम धन	14 नवम्बर से 23 दिसम्बर, 1977 (तीसरा सत्र)
(5) श्री रिनाचिग खाण्डू खिमे	14 नवम्बर से 4 दिसम्बर, 1977 (तीसरा सत्र)
(6) श्री केशवराव घोंडगे	14 नवम्बर से 7 दिसम्बर, 1977 (तीसरा सत्र)

श्री वयालार रवि : श्री राम नरेश यादव को अनुपस्थिति की अनुमति देने का क्या कारण है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री शैजा और श्री यादव दोनों हो मुख्य मंत्री के रूप में काम करने में व्यस्त हैं। सभी सदस्यों को समिति के निर्णयों से अवगत करा दिया जाएगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 377 के अधीन मेरे मामले का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति ने यह निर्णय किया है कि ध्यानाकर्षण, और अल्प सूचना प्रश्न अब नहीं लिए जाएंगे ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम श्रीमती गांधी को नेशनल हेराल्ड को बन्द नहीं करने दे सकते। 400 कर्मचारी भूखे मर रहे हैं। आप अपना निर्णय दें, जिससे सरकार को पक्ष पता चल सके।

अध्यक्ष महोदय : सरकार अपना वायदा पूरा करेगी ?

Shrimati Mrinal Gore (Bombay North) : I gave a notice to raise the question of Privilege under rule 222. On 7th December, I raised the question of the strike by the workers of Scindia Steam Navigation. I have come to know that the company is circulating the photostat copies of my uncorrected speech. This is very objectionable. Moreover "Not for publication" is also written on the speech.

Even then the company is distributing the photostat copies. A serious note should taken to this and it should be handed over to Privileges Committee.

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

सत्ताइसवां, उनतीसवां और पैंतालीसवां प्रतिवेदन

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

(1) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1973–74 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) के विदेशों से उर्वरक की खरीद से संबंधित पैराग्राफ़ 41 पर 27वां प्रतिवेदन ।

(2) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1974–75 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल), राजस्व प्राप्तियां, खंड 2, प्रत्यक्ष कर, के आस्तियों के गलत मूल्यांकन से संबंधित पैराग्राफ़ 70 (झ) पर 29वां प्रतिवेदन ।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1973–74 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल), राजस्व प्राप्तियां खंड 2, प्रत्यक्षकर, के गलत तरीके से निर्यात प्रोत्साहन देने से संबंधित पैराग्राफ़ 20 (क) पर 45वां प्रतिवेदन ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

पांचवां प्रतिवेदन

श्री सूरजभान (अम्बाला) : रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)—दक्षिण पूर्व रेलवे की वर्कशापों में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण तथा उनके नियोजन के और दक्षिण पूर्व रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को छोटे ठेके देने के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का पांचवां प्रतिवेदन (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और लवण तथा केन्द्रीय राजस्व बोर्ड (संशोधन) विधेयक

CUSTOMS, CENTRAL EXCISES AND SALT AND CENTRAL BOARDS OF REVENUE (AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 ; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 और केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 में कुछ संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

श्री वयालार रवि (चिरियंकील) : विधेयक का 2 जनवरी से लागू होना आवश्यक होना इसकी अविलम्बनीयता के लिए उचित कारण नहीं है । यदि ऐसा था तो इसे पहले पेश किया जाना चाहिए था ।

मैं मानता हूं कि यह एक सरल सा विधेयक है, परन्तु यह समय रहते आना चाहिए था जिससे यहां इस पर विस्तार से चर्चा हो सकती।

श्री सतीश अग्रवाल : यह आश्चर्य की बात है कि एक सक्रिय सदस्य उस विधेयक के पुरःस्थापित किए जाने का विरोध कर रहा है जिसे मैं पुरःस्थापित नहीं कर रहा वरन् मात्र पुरःस्थापित करने की अनुमति मांग रहा हूं ।

मने अध्यक्ष महोदय से छूट दिए जाने का अनुरोध किया था परन्तु वह किसी अन्य विधेयक के बारे में था। इस समय जिस विधेयक के पुर:स्थापित करने की मैं अनुमति मांग रहा हूं वह सर्वथा अलग विधेयक है। अत: उनका एतराज निराधार है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 और केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 में कुछ संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was Adopted

श्री सतीश अग्रवाल : में विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

संविधान (44वां संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (44TH AMENDMENT) BILL

अध्यक्ष महोदय: इस विधेयक को 6 घंटे दिए गए हैं। सभा इससे सहमत होगी।

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : यह अधिक अच्छा होगा यदि सदस्यों को यह बता दिया जाए कि विधेयक को विचार करने और खंडों को मत विभाजन के लिए कब लिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: मत विभाजन हम 4.30 बजे शाम को ले सकते हैं। तृतीय वाचन इसके बाद लिया जाएगा।

श्री पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर) : यदि हम 4.30 बजे से पहले ही विचार पूरा कर लें तो मत विभाजन 4.30 बजे से पहले भी लिया जा सकता है हमें इस सम्बन्ध में अधिक शक्ति नहीं बरतनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय: : सदस्यों को मत विभाजन का समय पता होना चाहिए जिससे वे उस समय यहां उपस्थित रहें। मत विभाजन 4.30 बजे शाम होगा ।

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि भारत के संविधान का और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

मेरी पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र में 42वें संविधान अधिनियम द्वारा संविधान के बिगड़े स्वरूप को फिर से सुधारने का वादा किया गया था । 42वें संशोधन अधिनियम की कुछ आपत्तिजनक बातों का संशोधन करने के लिए 43वें संशोधन विधेयक के रूप में लोक सभा चुनावों के बाद सब से पहले सत्र में ही पेश किया गया था । अब यह विधेयक 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के बिगाड़े गए स्वरूप को सुधारने के अपने वादे को पूरा करने की दिशा में एक कदम है।

इस सत्र में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में किए गए सभी आपत्तिजनक परिवर्तनों को समाप्त करने वाले विधेयक के पेश करने में हमारी असफलता पर असंतोष व्यक्त किया गया है । 5 सदस्यों को यह आश्वासन देता हूं कि सरकार 42वें संशोधन अधिनियम की सभी बुराइयों को समाप्त करने के लिए उतनी ही उत्सुक है और इस सम्बन्ध में उनके समान ही चिन्तित है । सरकार अगले सत्र के आरम्भ में ही व्यापक संशोधन विधेयक पेश करने की दृढ़ इच्छा रखती है ।

यह विधेयक बहुत छोटा सा ही है और लोगों को उनके कुछ मूलभूत अधिकारों को दिलाता है जो छीन लिए गए थे तथा न्यायपालिका को भी उसका अधिकार दिलाता है, जिससे उसे गलत ढंग से वंचित कर दिया गया था। सबसे पहले इस विधेयक के द्वारा अनुच्छेद 31 (घ) का लोप किया गया है जो संसद् को अवांछनीय राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की आड़ में अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा दिए गए मूलभूत अधिकारों के विरुद्ध कानून बनाने का अधिकार देता है।

दूसरा संशोधन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्तियों से सम्बन्धित है। विधेयक के अन्तर्गत संविधान में जोड़े गए उन उपबन्धों पर चर्चा होगी जिनके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को मूलभूत अधिकारों को लागू करने के लिए भी राज्यों के कानूनों की वैधता की जांच करने से वंचित किया, जब तक कि केन्द्रीय कानून की वैधता का प्रश्न भी साथ-साथ संलग्न न हो। इसी प्रकार इस विधेयक के द्वारा केन्द्रीय कानूनों की वैधता की जांच करने का अधिकार फिर से उच्च न्यायालयों को दिया गया है।

केन्द्रीय कानून और नियमों तथा अधिसूचनाओं आदि की वैधता को चुनौती देने के लिए पहले उच्च न्यायालय में याचिका दायर करनी होगी जबकि उच्च न्यायालय को उसकी सुनवाई करने का अधिकार नहीं है और फिर उच्च न्यायालय को मामला सर्वोच्च न्यायालय को भेजने की जटिल प्रक्रिया से गुजरना होगा, सर्वोच्च न्यायालय उन प्रश्नों पर विचार करेगा और मामला फिर से उच्च न्यायालय को वापिस जायेगा। इस जटिल प्रक्रिया को उस विधेयक के द्वारा समाप्त किया जा रहा है।

संविधान की इस व्यवस्था का जहां तक यह प्रश्न है कि केन्द्रीय या राज्य के विधान की वैधता पर विचार करते समय उच्च न्यायालय की पीठ से 5 न्यायाधीश होंगे और सर्वोच्च न्यायालय की पीठ में 7 न्यायाधीश होंगे। इससे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के समूचा कार्यकरण अस्तव्यस्त हो गया है। इसी कारण यह विधेयक लाया गया है। मामले की अविलम्बिनीयता देखते हुए और अन्य दलों से हो रही चर्चा के समाप्त होने की प्रतीक्षा न करके कम से कम उन खराबियों से छुटकारा पाने के लिए यह विधेयक पेश किया गया है जिन्होंने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के कार्यकरण को समाप्त कर दिया था।

इसलिये यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विधेयक शीघ्रतिशीघ्र कानून का रूप ले जिससे बकाया मामलों की संख्या और न बढ़ती चली जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ;

"कि संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

इस विधेयक पर बोलने के लिये प्रत्येक सदस्य को दस मिनट का समय दिया जाता है।

श्री अरविंद बाला पजनौर : यह विधेयक इतना सरल नहीं जितना कि मंत्री महोदय ने बताया है। दस मिनट में कोई भी तर्क नहीं दिये जा सकते। पहली सरकार पांच मिनट का समय देती थी। मंत्री महोदय ने 25 मिनट लिये हैं।

अध्यक्ष महोदय : चर्चा शुरू करना भिन्न बात है।

श्री शांति भूषण : अनुच्छेद 226 का संशोधन करने के लिये भी हम विधयक लायेंगे।

श्री अरविंद बाला पजनौर : आप समय दल बार दें। आप हमारे दल के लिये 45 मिनट का समय दें।

अध्यक्ष महोदय : दस मिनट का समय सभा की इच्छा से निश्चित हुआ है

श्री अरविंद बाला पजनौर : समय दल बार दिया जाना चाहिए :

अध्यक्ष महोदय : 10 से 15 मिनट तक समय देने के लिये मैं सहमत हूं।

Shri Gauri Shankar Rai (Ghazipur) : 42nd Amendment is the 1st Amendment by which the constitution was drastically changed. It was not an amendment of the Constitution, rather it was revamping of the Constitution. This is the second instance in the world history when a Constitution has been so ruthlessly murdered, the first being the murder of German Constitution by Hitler in 1935.

So far as the amendment made in the Preamble to the Constitution is concerned, it is regrettable that after the 42nd Amendment our country remained neither secular nor democratic nor socialist. When the Constitution is being framed there is a demand for separate electorates by the minorities. But that demand was given up after the fundamental rights had been made justiciable. By making the fundamental rights nonjusticiable a big blow was inflicted on the people of the minority communities and secularism. Trade Union activities were banned and the people belonging to religious minorities cannot sit together and discuss their affairs. In the face of such restrictions if one swears by socialism it is something very ridiculous. When labour movement and trade union activity could not be carried on that is the death knell of socialism.

Shri Masani at the time of framing the Constitution moved an amendment that the words democracy, socialism and secularism should be added to the Preamble. At that time Shri Nehru said that 'we are not serious about the Heading; We are serious about the content of the Constitution'. But the sponsors of the 42nd Amendment were worried about Heading and slogan mongering. They put the words secular, replic and socialism in the Preamble but in actual practice all those things have been completely destroyed.

42nd Amendment is a dark chapter in the history of our country. Let those who voted for it gather courage even now and try to wash of the blot from their faces. Let them not stand in party consideration as our Constitution is not framed on that basis, it is conscientious decision of the whole country.

It is regrettable that this amendment is sought to be passed in a day. Constitution is a very sacred document; it should not be dealt with like an ordinary law.

डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद (कालीकट) : 92 वर्षों के लम्बे इतिहास वाली कांग्रेस के लिए लोगों तथा देश की भलाई ही सर्व प्रमुख है । कुछ व्यक्तियों या वर्गों का दल में महत्व गौण है। यदि हाल ही में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण बातें हुई हैं और जिन उद्देश्यों के लिए कांग्रेस सदा लड़ती रही यदि उन्हें ठुकराया गया हो तो यह केवल अस्थायी बात ही कही जा सकती है । इसलिए मार्च, 1977 के निर्वाचन के बाद कांग्रेस ने स्थिति का पुनर्मूल्यांकन किया है। उन्हें मूल मूल्यों में विश्वास तथा लोकतांत्रिक सिद्धान्तों में वचनबद्धता को लेकर हम यह कार्य कर रहे हैं। ऐसा करते समय हमारा मूल उद्देश्य यही है कि मूल लोकतांत्रिक मूल्यों को पुनःस्थापित किया जाए, जिनके लिए कांग्रेस सदा आगे रही है ।

इसी भावना और पृष्ठभूमि को लेकर 42वें संशोधन पर फिर से विचार करने के लिए जब बातचीत शुरू हुई तो उसी वचनबद्धता और उद्देश्य से हम इस समस्त प्रक्रिया में सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तत्पर हो गए।

अनुच्छेद 31घ, जिसे 42वें संशोधन में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां संबन्धी उपबन्ध कहा गया है, के संबन्ध में स्वर्णसिंह समिति ने कोई सिफारिश नहीं की है । अनुच्छेद 31घ के बारे में हमने मूल आपत्ति यह की थी कि सरकार संविधान में आपातस्थिति से संबंधित अनुच्छेद 359 के अन्तर्गत ऐसा प्रतिबन्धात्मक स्थाई उपबन्ध करना चाहती है। हमने आपातकालीन स्थिति को स्थायी रूप देने के प्रयास का भी विरोध किया था।

राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की व्याख्या व्यापक है जिसके द्वारा लोगों की नागरिक आजादी भी छीनी जा सकती है। लेकिन उस दौरान जो कुछ भी हुआ उस के बारे में किसी को भी गर्व नहीं है, सत्ता के दुरुपयोग का अर्थ यह नहीं है कि सत्ता न दी जाये।

मैं उन संशोधनों का भी स्वागत करता हूं जो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के अधिकारों के संबंध में लाये जा रहे हैं। जब हमने इन उपबन्धों के संबंध में 42वां संशोधन पेश किया था तब दो बातें हमारे सामने आई थीं कि समान केन्द्रीय कानूनों को लेकर विभिन्न उच्च न्यायालयों में परस्पर विरोधी निर्णय दिये गये थे। अतः हमने यह सोचा कि एक ही केन्द्रीय कानून की वैधता के बारे में विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णय देने के बजाय एक ही प्राधिकरण अर्थात् उच्चतम न्यायालय निर्णय दे तो बेहतर होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : हमें प्रसन्नता है कि सरकार ने संविधान में किये गये अपराध को समाप्त करने के लिये जनता के आदेश का पालन करना आरम्भ कर दिया है। जनता का आदेश था कि 42वें संशोधन को पूर्णतः रद्द किया जाना चाहिये। आज विधि मंत्री ने यह स्वीकार कर लिया है कि वह उस संशोधन को समाप्त करने की प्रक्रिया के प्रथम चरण को आरम्भ कर रहे हैं। हमारी पार्टी का विश्वास है कि यह प्रक्रिया जारी रहेगी क्योंकि यह आवश्यक है कि हमें अत्याचार, अधिनायकवाद, और तानाशाही के स्तम्भों को देश से उखाड़ कर समाप्त करना चाहिये। जब तक जनता पार्टी इस देश की जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा करेगी और उन्हें बहाल करेगी हम उनको पूरा सहयोग देते रहेंगे।

हमारे विचार से संविधान में किया गया 42वां संशोधन इस देश की जनता के मूलभूत अधिकारों को समाप्त करने और संविधान की भावना को विखंडित करने का अत्यन्त सुविचारित कदम था। जब भारत के संविधान में संविधान (42 वां संशोधन) अधिनियम कायम रहेगा, यह संविधान दूषित और विखण्डित रहेगा।

जहां तक विधेयक के उपबन्धों का संबंध है, हमें इनके बारे में कोई आपत्ति नहीं है और हम इनका जोरदार समर्थन करते हैं। अनुच्छेद 31 घ सभी राजनीतिक विपक्षी दलों तथा विपक्ष की आवाज और विरोध को दबाने की नियत से ही संविधान में अन्तःस्थापित किया गया था। ऐसा कठोर उपबन्ध किसी देश के संविधान में नहीं होगा। अतः 42वें संशोधन द्वारा दूषित किये गये संविधान को स्वच्छ करने के लिये सर्वप्रथम कदम उठाना ही श्रेयस्कर और अनिवार्य है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात जो इस विधेयक द्वारा की जाने वाली है वह यह है कि इस देश में न्यायपालिका के साथ किये गये हस्तक्षेप को समाप्त करना है। हम यह महसूस करते हैं कि न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप करने संबंधी अन्याय समाप्त होना चाहिए और इसे दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिये।

अनुच्छेद 32 और 226 का उद्देश्य अन्याय को दूर करना है। किसी विशेष मामले पर निर्णय करने के लिये न्यायाधीशों की संख्या पर जोर क्यों दिया जाये? इसके लिये कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। 42वें संशोधन विधेयक में किये गये विभिन्न उपबन्धों से बहुमत ही कानून को कायम रख सकता है जो अन्यथा मनमाना और असंवैधानिक उपबन्ध है। अतः जब सरकार जनता की इच्छा के अनुसार पहली स्थिति को फिर से लाने का प्रयास कर रही है तो हम भी निश्चय ही उनका समर्थन करेंगे।

प्रतीत होता है कि शास्त्री भवन के कुछ भाग में अब भी आपात स्थिति विद्यमान है। आज महान्यायवादी ने तर्क दिया है कि अनुच्छेद 358 और 359 के प्रावधानों के कारण आपातकालीन कानूनों को छुआ भी नहीं जा सकता। इससे मुझे पिछले महान्यायवादी के इस कथन की याद आ जाती है जिसमें उन्होंने यह कहा था कि देश के नागरिकों को जीवित रहने तथा वैयक्तिक स्वतंत्रता का कोई अधिकार नहीं है। यह भावना अब नहीं रहनी चाहिये। अब हमें दूसरा रुख अपनाना चाहिये।

दुर्घटना जांच समिति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. ACCIDENT ENQUIRY COMMITTEE

दुर्घटना जांच समिति

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते): हाल ही में हुई रेल दुर्घटनाओं के बारे में इस सदन के माननीय सदस्यों के साथ-साथ दूसरे सदन के सदस्यों द्वारा व्यक्त की गयी भावनाओं का सम्मान करते हुए, मैंने प्रधान मंत्री की अनुमति से दुर्घटनाओं से संबंधित पूरे प्रश्न की जांच-पड़ताल करने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त दुर्घटना जांच समिति का गठन करने का विनिश्चय किया है।

इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(एक)	न्यायाधीश एस० एम० सीकरी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भतपूर्व मुख्य न्यायाधीश	अध्यक्ष
(दो)	डा० मुरली मनोहर जोशी, संसद सदस्य, (लोक सभा)	सदस्य
(तीन)	श्री खुर्शीद आलम खां, संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
(चार)	श्री बागाराम तलपले, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के भूतपूर्व महाप्रबंधक तथा राष्ट्रीय संरक्षा परिषद् के भूतपूर्व अध्यक्ष	सदस्य
(पांच)	श्री पी० सहाय, रेलवे बोर्ड के भूतपूर्व सदस्य	सदस्य
(छः)	श्री सी० एस० परमेश्वरन, रेलवे के भूतपूर्व महाप्रबंधक	सदस्य
(सात)	श्री आर्य भूषण, रेलवे संरक्षा के भूतपूर्व आयुक्त	सदस्य

श्री वी० के० थापर, संयुक्त निदेशक (संरक्षा) रेलवे बोर्ड उच्च अधिकार प्राप्त समिति के सचिव होंगे।

इस समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे :—

1. रेल दुर्घटना जांच समिति 1968 की नियुक्ति के बाद से भारतीय रेलों पर दुर्घटनाओं की स्थिति की समीक्षा करना और उनकी सिफारिशों के कार्यान्वयन का पुनरीक्षण करना,

2. भारतीय रेलों पर गाड़ियों के सुरक्षित संचलन की पक्की व्यवस्था करने के लिए वर्तमान संगठन, उपकरणों और रीतियों की जांच करना तथा दुर्घटनाओं की रोक-थाम के उपायों के बारे में सुझाव देना।

समिति से कहा जायेगा कि वह कार्य-प्रारम्भ करने की तारीख से 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करे।

काम के 10 घंटे और मिया भाई प्राधिकरण के फैसले का कार्यान्वयन के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. 10 HOURS WORKING DUTY AND IMPLEMENTATION OF MIABHOY TRIBUNAL AWARD

(प्रो० मधु दण्डवते) : पिछली सरकार की वचनबद्धता के अनुसार यह आश्वासन दिया गया था कि लगातार ड्यूटी 10 घंटे से अधिक नहीं होगी और इस आश्वासन को 1976 के अन्त तक क्रियान्वित किया जाना था। सभी एक्सप्रेस और डाक गाड़ियां तथा 85% माल गाड़ियां इस नियम के अनुसार चलायी जाने लगी हैं। विगत में इस योजना के बकाया भाग को पूर्णतः क्रियान्वित करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की मंजूरी देने में विलम्ब हो गया था। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि रेलों को अब 2700 तक अतिरिक्त रनिंग कर्मचारियों की व्यवस्था करने की अनुमति देने का निर्णय किया गया है। इन अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था हो जाने पर, जिसमें कुछ समय का लगना स्वाभाविक है, आशा की जाती है कि 10 घंटे काम का नियम यथाशीघ्र सभी यात्री तथा माल गाड़ियों के लिए पूरी तरह से क्रियान्वित कर दिया जायेगा।

इसके अलावा, मियाभाई अधिकरण का निर्णय सरकार द्वारा स्वीकार किये जाने के कारण कार्य घंटे विनियमों में किये गये आशोधनों के फलस्वरूप विभिन्न कोटियों में अतिरिक्त पदों का सृजन करना अपेक्षित था। चूंकि बहुत लम्बे समय तक इनकी मंजूरी नहीं दी गयी थी इसलिए कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता देना पड़ता था और साथ ही विश्रामदाताओं की कमी भी हो गयी थी। अतः मैंने विनिश्चय किया है कि मियाभाई निर्णय को समुचित रूप से क्रियान्वित करने के लिए रेलों को रनिंग कर्मचारियों को छोड़कर परिचालन कर्मचारियों के 10,000 पद मंजूर करने की अनुमति दे दी जाय। यहां भी वास्तविक क्रियान्वयन में कुछ समय लगेगा क्योंकि कर्मचारियों को भर्ती करना होगा, उन्हें प्रशिक्षण देना होगा तथा उन्हें विभिन्न पदों पर तैनात करना होगा।

संविधान (44वां संशोधन) विधेयक—जारी

CONSTITUTION (FORTY-FOURTH AMENDMENT) BILL—Contd.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री अरविन्द बाला पजनौर: (पांडिचेरी): मैं मंत्री महोदय को यह विधेयक पुरःस्थापित करने के लिये बधाई देता हूं, लेकिन साथ ही इस बात की आवश्यकता है कि इस समस्या को एक साथ ही हल करने के लिये एक व्यापक विधेयक लाना चाहिये। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार अपनी सुविधा के लिये व्यापक विधेयक नहीं लाई है। लेकिन जनता को हमेशा के लिये धोखा नहीं दिया जा सकता।

विधेयक को पुरःस्थापित करते समय माननीय मंत्री ने कहा था कि वह सामान्य जनता को सहायता देने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के अधिकारों को फिर से बहाल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन इसके लिये यह तरीका नहीं है। अनुच्छेद 226 के बिना कोई व्यक्ति अपना अधिकार वापस नहीं ले सकता।

किसी मामले पर निर्णय देने के लिए न्यायाधीशों की संख्या के बारे में संविधान के कुछ उपबन्धों का संशोधन करने के लिए इस सदन में भी विशेष बहुमत की आवश्यकता है क्योंकि संविधान निर्माताओं ने यह महसूस किया था कि कुछ मामलों पर साधारण बहुमत से निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। न्यायाधीशों को बहुत से पहलूओं पर विचार करने के बाद ही नियुक्त किया जाता है और उनके विशिष्ट विचार होते हैं। इसी कारण यह कहा गया है कि कुछेक उपबन्धों की संवैधानिक वैधता के बारे में अधिमानतः दो तिहाई के बहुमत से ही न्यायाधीश निर्णय करेंगे। मंत्री महोदय कहते हैं कि उच्चतम न्यायालय

तथा उच्च न्यायालयों में बहुत अधिक मामले लम्बित पड़े हैं। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि केन्द्रीय कानूनों को चुनौती देने के कितने मामले उच्चतम न्यायालय में अनिर्णीत पड़े हैं और राज्य कानूनों को चुनौती देने वाले कितने मामले उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े हैं? सरकार ने लोगों को धोखा देने के लिए ही यह वक्तव्य दिया है कि वह न्यायाधीशों के दर्जे को बहाल करने और न्यायापालिका को सम्मानित करने के लिए ही यह विधेयक लायी है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 226 के संबंध में विचार तक नहीं किया है। विधि मंत्री ने छोटी सी टिप्पणी दी है जिसमें अनुच्छेद 226 को पूर्वस्थिति में लाने का संकेत करते हुए यह कहा है कि इस प्रस्ताव पर इस सदन की संसदीय समिति ने विचार किया है। लेकिन पता नहीं यह अब क्यों नहीं किया गया है।

राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों से संबंधित अनुच्छेद 31 (घ) सराहनीय उपाय है। जहां तक अनुच्छेद 226 (क) का संबंध है सरकार नागरिकों का वह अधिकार छीन रही है जिससे कि वे उच्च न्यायालय में निर्णय करवा सकें और फिर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकें और इस तरह वे दूसरा अवसर प्राप्त कर सकें। मेरी समझ में नहीं आता कि आप उस नागरिक का अधिकार कैसे रद्द कर सकते है जिसने छोटे उच्च न्यायालय में मामला दायर किया है। आप इसका क्या उपचार कर रहे हैं। क्या वह न्यायालय में दूसरी बार अपील कर सकता है? क्या इससे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं होगा? यह लोगों के साथ धोखा है। मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता।

परन्तु हम इस संशोधन का समर्थन करेंगे क्योंकि आप कुछ कर रहे हैं परन्तु यह पूर्णतया सही कदम नहीं है।

मैं आप से जानना चाहता हूं कि संविधान के प्रत्येक संशोधन को पास करने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता क्यों निर्धारित की गई है? इसे अन्य विधेयक की तरह क्यों नहीं पास किया जाता? यह इस लिये है कि संविधान निर्माताओं ने सोचा कि इसकी कुछ पवित्रता होनी चाहिये। मुख्य न्यायाधीश बेग ने स्वीकार किया है कि संविधान के मूल ढांचे के संबंध में न्यायाधीशों के विचारों में भिन्नता हो सकती है अतः जब आप उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकार बहाल करना चाहते हो तो हमें सभी पहलुओं पर विचार करने के लिये अधिक समय दिया जाना चाहिये। मुझे दुःख है कि हमें अधिक समय नहीं दिया गया।

मैं इस विधेयक को लाने में जनता सरकार का समर्थन करता हूं। बेहतर होगा यदि जब अगला विधेयक लाया जाये तो उसके लिये इस सदन का विशेष सत्र बुलाया जाये ताकि हम संविधान का सम्पूर्ण संशोधन कर सकें या संविधान का 42वां संशोधन पूर्णतः रद्द कर सकें और लोगों के सारे अधिकार फिर से बहाल कर सकें।

Shri Vijay Kumar Malhotra (Delhi-South) : I welcome the present Bill because it is a beginning to undo the damage done by the Constitution (Forty-Second) Amendment Act enacted by the previous Government. Through it the previous Government had perpetuated untold atrocities on the people of this country during emergency. But it will have been better if a comprehensive Bill is brought forward.

It is said that the Constitution (Forty-second) Amendment Act should have been scrapped lock, stock and barrel by only one line. I do not agree with this contention as it will have meant playing into the Lands of the Congress Party. To delete these clauses today and bringing them again through other Bill is not proper. I agree that there is no need to incorporate 'socialism' and 'secular' words in the Preamble of the Constitution. But since these words are already there in the Preamble, their deletion now will create a wrong impression in the country. There are also many other things of this nature which though are not necessary but have to be kept in the Constitution. It is a Commitment to the people by the Janata Party that the black days of emergency will never be repeated in future. Therefore, it is necessary for the government to see that these provisions in the

Constitution which gave handle to the previous Government to declare emergency are also changed. The ground of "internal disturbance" for declaration of emergency is totally unwarranted. This was very vague and everybody knew how it was used for perpetuation of atrocities on the people.

It is good that powers of courts are being restored. But there is need to limit the period of stay orders issued by the courts, since stay orders for unduly longer periods created many difficulties.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : I welcome this Bill whole-heartedly when Constitution (42nd Amendment) Bill was brought forward by the previous Government, they had said with much fanfare that it was the beginning of the socio-economic revolution in the country. But things later had proved that it was nothing but a rape of the Constitution. The aim of it was to crush the oppositions and perpetuate the rule of one family in the country. They had tried to make judiciary subservient to executive. They wanted to put an end to democracy and foster dictatorship in the country. The Minister deserves congratulations to start a beginning to undo that thing by bringing forward this Bill.

It is said that the commitment of the Janata Party in respect of the repeal of Constitution (42nd Amendment) Act is total which should have been honoured. I agree that we are fully committed to repeal it but is it proper to repeal it lock, stock and barrel with one line and finish even the good things incorporated therein. I am in favour of deleting only abnoxious clauses of the Act. A comprehensive Bill in this regard will definitely be brought forward by the Government soon.

It is good that this Bill is brought here after deliberations with opposition although some people argue that a comprehensive Bill should have been brought forward whether Congress Party agrees to it or not. But the Janata Party believes in the democratic way of functioning and wants to establish democratic traditions in the country.

The provisions of banning any party on the ground of anti-national activities is the result of evil motivation. It was meant to suppress political opposition and establish one party rule in the country. It is good that this provision is being abolished.

The provision for two-third majority to decide validity of constitutional laws is a great impediment in quick disposal of cases. The Supreme Court has itself recommended the abolition of this provision. It is, therefore, welcome that it is being done now.

The Janata Government also stands committed not to impose emergency in the country in the way it was recently done. They should define the grounds for declaration of emergency. There is also need to define the basic structure of the Constitution. If at some time it is felt to change it, it should be done only after a referendum in the country on this issue.

Government should also clarify its stand on Right of Property. There is also no need to make separate laws for different things. Indian Penal Code and Criminal Procedure Code are comprehensive enough to deal with the situations.

श्री जगन्नाथ राव (बरहामपुर): मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछली लोक सभा में कांग्रेस दल के सदस्य होने के नाते हमने इस विधेयक का समर्थन किया था—हमने इसका हृदय से समर्थन नहीं किया था बल्कि हमारी कुछ अपनी सीमाएं थीं। सदन को यह महसूस करना चाहिये कि हमारा संसदीय लोकतंत्र दलीय प्रणाली पर आधारित है जो सचेतक प्रणाली के नाम से जानी जाती है। दल को आदेश दिया जाता है। मुझे विश्वास है कि आपको भी ऐसा आदेश जारी किया गया होगा चाहे आप इसे चाहें या नहीं आपको इसका समर्थन करना होगा।

यह विधेयक पिछली गलतियों को दूर करने के लिये लाया गया है। इसके द्वारा संविधान में किये गये संशोधनों को रद्द किया जा रहा है।

यह खुशी की बात है कि अनुच्छेद 31-घ का लोप किया जा रहा है। इसके द्वारा केन्द्रीय कार्यपालिका को किसी भी संगठन को राष्ट्र विरोधी और अवैध घोषित करने की शक्ति दी गई थी जबकि स्थिति से निपटने के लिये पहले ही काफी अधिकार थे।

जहां तक उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकारों का संबंध है, मैंने इस उपबन्ध पर आपत्ति की थी कि राज्यों के उच्च न्यायालय केन्द्रीय विधि अथवा अधिसूचनाओं पर विचार नहीं कर सकेंगे। यदि किसी नागरिक को केन्द्र सरकार के विरूद्ध मामला दायर करना हो तो उसे दिल्ली आना पड़ता । मामला दायर करने के लिए एक व्यक्ति कन्याकुमारी से दिल्ली कैसे आयेगा ? इस त्रुटि को दूर करना बहुत जरुरी है।

दो-तिहाई बहुमत का सिद्धान्त बहुत अजीब है। यदि 14 न्यायाधीशों की संवैधानिक बैंच गठित होती है और मामला एक सप्ताह तक खींचा जाता है तो अन्य लम्बित मामलों का क्या होगा। मैंने इस व्यवस्था की निन्दा की थी। मुझे खुशी है कि इसे हटाया जा रहा है।

सत्ताधारी दल तथा विपक्षी दलों के बीच आपसी सलाह मशविरे के बाद यह विधेयक लाया गया है। यह एक अच्छा उदाहरण है। चूंकि संसद अपने द्वारा निर्धारित अधिकारों के अधीन कार्य करती है इसलिए सभा के सभी वर्गों को नये उपबन्धों के बारे में एक मत होना चाहिए।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। तथापि जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में दो या तीन महत्वपूर्ण बातों का वचन दिया था। एक आश्वासन था संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम का निरसन करना। लेकिन अब वह ऐसा करने के बारे में पुनः सोच रहे हैं। स्वयं मंत्री जी ने कहा है कि 42वें संशोधन के सभी उपबन्ध बुरे नहीं हैं। जनता पार्टी ने 'आंसुका' के निरसन का भी वचन दिया था। पिछले सप्ताह सभा में मामला उठाये जाने पर सरकार ने कहा था कि इस बारे में एक विधेयक लाया जा रहा है लेकिन अब आज यह कहा जा रहा है कि ऐसा कानून अवश्य होना चाहिये जिससे सरकार को कतिपय स्वैच्छिक शक्तियां प्राप्त हो सकें। सरकार को ऐसी जरूरी बातों के बारे में अपना वचन निभाना चाहिये। महान्यायवादी यह तर्क दे रहे हैं कि अब जीवन बीमा निगम को बोनस के अधिकार का मामला समाप्त हुआ समझना चाहिए। क्योंकि संसद ने कानून बना दिया है। इस बारे में रवैया स्पष्ट किया जाना चाहिये। आपात स्थिति के बारे में भी शायद जनता पार्टी अपना विचार बदल रही है। जो वचन उसने लोगों को दिये थे अब वह उनसे पीछे हट रही है।

जहां तक संसद की प्रभुसत्ता का संबंध है मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं कि चूंकि किसी ने संसद की शक्ति का दुरुपयोग किया है इसलिए उसके अधिकार सीमित कर दिये जायें। यदि संसद कोई संविधानेत्तर कार्य करती है तो उच्चतम न्यायालय इसके बारे में उल्लेख कर सकता है। लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती।

श्री यशवन्त बोरोले (जलगांव) : इस बात में कोई सन्देह नहीं कि संविधान (42वें संशोधन) अधिनियम अत्यन्त लापरवाही से पास किया गया था जिससे लोगों की आजादी में कमी हुई और प्रेस का गला घोंट दिया गया तथा हमारी न्यायपालिका की स्वन्त्रता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा। अब प्रश्न यह है कि क्या 42वें संशोधन को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया जाए या नहीं।

संविधान के 42वें संशोधन में कुछ अच्छे उपबन्ध भी हैं जैसे वन तथा वन्य जीवन विकास बालकों के विकास संबंधी उपबन्ध आदि। ऐसे उपबन्धों को समाप्त न किया जाये। अन्य कई उपबन्धों को हटाये जाने के लिए व्यापक विधेयक लाया जाना चाहिए।

वर्तमान विधेयक को अविलम्ब पास किया जाना चाहिये। उच्च न्यायालयों और निम्न न्यायालयों में बहुत से मामले लम्बित हैं। उनमें और वृद्धि न हो यह देखना है। यह भी उचित है कि इस प्रकार के संशोधी विधेयक प्रायः न लाये जायें। 42वें संशोधन विधेयक से पूर्व के किसी विधेयक से मूल अधिकार प्रभावित नहीं होते। केवल यही विधेयक मूल अधिकारों को समाप्त करता है।

साथ ही अन्य बात यह है कि संविधान में संशोधन संबंधी संसद के अधिकार भी सीमित होने चाहिएं और क्या संविधान के मूल ढांचे को बनाये रखा जाये। आशा है कि मंत्री जी इस पक्ष पर भी गौर करेंगे।

श्री नरेन्द्र पी० नथवानी (जूनागढ़) : विपक्षी दलों द्वारा इस विधेयक को मिले समर्थन का स्वागत है। लेकिन यदि वह ईमानदारी से इस बारे में सोचते तो 43वें संशोधन विधेयक का पूरा समर्थन क्यों न करते। इस प्रकार का समर्थन देकर तो वे अपनी स्थिति ही संभालना चाहते हैं। व्यापक विधेयक के बारे में विधि मंत्री जी ने यह ठीक और ठोस तर्क दिया है कि उन्हें आपसी परामर्श और जरूरी चर्चा को लोकतांत्रिक ढंग को अपनाने का ख्याल है।

इस अधूरे विधान की आलोचना दो सिद्धान्तों पर की जाती है। पहला यह कि 42वें संशोधन आपात स्थिति में लाया गया था और उस स्थिति का लाभ उठाकर लोक सभा की अवधि का विस्तारण किया गया। उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश ने भी यह टिप्पणी की थी कि चूंकि लोकसभा की अवधि बढ़ायी गई है इसलिए उसे संविधान में संशोधन का अधिकार नहीं मिलता। इस पृष्ठभूमि में आपातस्थिति लागू की गई और लोक सभा की अवधि बढ़ाने के लिए 42वां संशोधन अधिनियम पास किया गया।

वर्तमान विधेयक का संबंध उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारों और कृत्यों से हैं। अतः यह देखा जाये कि क्या अनुच्छेद 226 को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता था। यद्यपि इस विधेयक का परिस्थितियो के आधार पर औचित्य हो सकता है लेकिन यह विधेयक ऐसा न लगे कि पैबन्द लगाया गया है। विधि मंत्री ने बार-बार सभा को यह आश्वासन दिया है कि एक व्यापक विधेयक लाया जायेगा। लेकिन क्या औद्योगिक विवादों के बारे में न्यायालयों से और न्यायपालिका से कुछ अधिकार ले लेना संभव है? तथापि मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री टी० ए० पाई (उदीपी) : अब यह जांच करने का समय आ गया है कि क्या संविधान (42वां संशोधन अधिनियम गलत है) आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए सरकार को एक व्यापक विधेयक लाना चाहिये। ऐसे अधूरे विधेयक लाकर सरकार कुछ राज्यों में निर्वाचन से पूर्व लोगों को संतुष्ट करना चाहती है।

हमारे संविधान से 30 वर्षों तक समाज में कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। आर्थिक विकास द्वारा हम ऐसा कर सकते थे लेकिन हमने किया नहीं है। संविधान में विनिर्दिष्ट स्वतन्त्रता केवल ऊपर के कुछ लोगों की बपौती नहीं होनी चाहिए। लोगों को भूख से मुक्त रखे बगैर निर्भय कैसे किया जा सकता है। पता नहीं हम कैसे नये समाज बना पायेंगे।

एक ऐसी स्थिति आ गई थी जब हम किसी से बोलते न थे। मंत्रिमंडल को पता न था कि क्या हो रहा है। संसद में भी ऐसी ही स्थिति थी। समाज के सभी वर्गों के साथ ऐसा हुआ था। संविधान में परिवर्तन हो या न हो लेकिन क्या सरकार उसी तरीके पर चलना चाहेगी। क्या लोग अपने अधिकारों के लिए न्यायालयों में न जा सकेंगे? हर आदमी न्यायालय में जाने से झिझकता है क्योंकि वहां खर्चा बहुत है।

श्री बी० सी० काम्बले (बम्बई-दक्षिण मध्य): यह विधेयक स्वागत योग्य है किन्तु विधि मंत्री को यह स्पष्ट करना चाहिए कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सशस्त्र सेनाओं की नियुक्ति

संबंधी उपबन्ध का निरसन क्यों नहीं किया जा रहा है। इसका भी निरसन अनुच्छेद 31(क) (घ) के साथ किया जाना चाहिए था।

दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि इस विधेयक का उद्देश्य क्या है। जैसा कि मैं समझता हूं इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में मामलों के निपटारे में उत्पन्न कठिनाई को दूर करना है।

मामलों का निपटारा करने में कुछ कठिनाइयां आती हैं। यदि मंत्री महोदय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की मूल शक्तियां पुनः कायम करने के पक्ष में हैं तो यह अर्ध सत्य होगा।

अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन से है किन्तु जहां तक किसी संशोधन की वैधता और संवैधानिकता का संबंध है उच्चतम न्यायालय को किसी प्रकार भी याचिका की सुनवाई से पूर्णतया वंचित रखा गया है। अब प्रश्न यह है कि क्या जनता सरकार उच्चतम न्यायालय की संविधान संशोधन की वैधता के बारे में निर्णय करने की शक्ति देना चाहती है। यदि ऐसा नहीं होगा तो यह कार्य कौन करेगा अतः इस मामले पर भी समुचित विचार नहीं किया गया है।

संविधान निर्माताओं ने तीन वर्ष तक कठिन मेहनत कर यह संविधान बनाया। और अब इसमें बहुत संशोधन किए गए हैं। संविधान (42वें) संशोधन अधिनियम ने सातवीं अनुसूची को छोड़कर केवल शासन पद्धति को ही अपंग नहीं बनाया है बल्कि असैनिक मामलों में सशस्त्र सेनाओं को नियुक्त करने का भी उपबन्ध किया है। इससे राज्यों की स्वायत्तता बिल्कुल समाप्त हो गई है। राष्ट्रपति के दो विशेष अधिकार समाप्त करके इसने संसदीय सरकार को गहरा आघात पहुंचाया है। ये दो विशेषाधिकार बहुमत दल के नेता को बुलाकर सरकार बनाने को कहना तथा लोकसभा के विघटन की घोषणा करना है। हमारे संविधान में तकनीकी रूप से विघटन खण्ड नहीं है, लेकिन आपात स्थिति के दौरान 42वें संशोधन के अन्तर्गत विघटन का खण्ड लागू किया जा रहा था और आपात स्थिति को चिरस्थायी बनाने का प्रयास किया जा रहा था।

फिर संसद, न्यायपालिका अथवा संविधान की तथाकथित सर्वोच्चता के संबंध में भी कुछ भ्रान्ति है। इस भ्रान्ति को दूर करना चाहिए।

विधि मंत्री यह भी स्पष्ट करें कि क्या संविधान में किए जाने वाले संशोधन की संवैधानिकता के बारे में निर्णय करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को दिया जाना चाहिए।

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur) : Sir, we should try to understand the background of Constitution (42nd Amendment) Act. It is in fact a murder of the Constitution. It was a step to set up dictatorial rule of one individual in the country. There might be some good provision in it, but their intention is only to impose dictatorship on the people. The term of the Lok Sabha had already expired and they had no mandate of the people to tinker with the basic structure of the Constitution. The black Act of the Constitution (42nd Amendment) Act is a distortion of the Constitution, a fraud against the people.

Now the Janata Party propose to keep the Constitution on such a high pedastal as would be above all partisan considerations.

The most obnoxious thing in the Constitution (42nd Amendment) Act is that it has destroyed the basic structure of the Constitution with all checks and balances provided therein. Therefore, by bringing forth this piece of legislation, we are now re-establishing the fundamental rights done to the people.

Dr. Murli Manohar Joshi (Almora) : Sir, I rise to support the Constitution (44th Amendment) Bill. The Law Minister deserves congratulations for bringing forth this Bill. It deserves all support because it seek to re-establish democracy in the country. It has been rightly said that this legislation will remain incomplete

until Article 226 of the Constitution is repealed. But the Janata Government has never said that they will not further amend the article 226.

It is well-known that there is a large number of cases pending in the courts. It would, therefore, have been better if a comprehensive legislation is brought immediately to deal with the matter. The intentions of the Janata Party are very clear that they want to do away with all those obnoxious provisions of the Constitution which have created an imbalance in the Country.

The Janata Government has acted rightly in bringing forth this legislation which seeks to remove all possibilities of the rule tyranny by majority, so that Common man may get more expeditious justice and the Judiciary could function independently. A provision should be made to ensure that no party or Government shall be able to misuse or abuse the Constitution for wrong and selfish ends. Some provisions should be included in the Constitution to define constitutional offences with a view to checking all attempts to misuse the Constitutional provisions. Some kind of penal Provisions should be included in the Constitution to punish those who try to destroy the basic features of our Constitution.

Shri Kachru Lal Hemraj Jain (Balaghat) : There has been a wide range of Criticism of the Constitution (42nd Amendment) Act, but this Bill does not seek to repeal that Act *in toto*. We have made loud promises to the people to obtain true justice for them. But one can easily see the open exploitation of the people even in Delhi by the business class.

This Bill is no doubt a welcome measure, but some legislation must be brought forth in the ensuring Budget session of Parliament to save the people from the clutches of the business class. I, however, support this Constitution (44th Amendment) Bill.

श्री जगन्नाथ शर्मा (गढ़वाल) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम से पहले संविधान में जितने भी संशोधन किए गए वे एक विशिष्ट स्थिति का सामना करने की दृष्टि से ही किए गए थे। कुछ संशोधन प्रशासनिक असुविधाओं को दूर करने के लिए किए गए और कुछ कानून एवं व्यवस्था कायम रखने के लिए किए गए। कुछ संशोधन जलविवादों, भाषा विवादों को दूर करने की दृष्टि से किए गए किन्तु कुछ संशोधनों का संबंध उन समस्याओं से है जो कि न्यायिक निर्णयों के कारण पैदा हुई। 42 वें संशोधन में कहा गया है कि इस का उद्देश्य संसदीय लोक तंत्र की स्थापना करना है जबकि वास्तव में यह सारी शक्तियां प्रधान मंत्री और कार्यपालिका में निहित करने के उद्देश्य से लाया गया था।

वर्तमान विधेयक का दोहरा उद्देश्य है (1) न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार को पुनः कायम करना (2) अनुच्छेद 31(घ) का लोप करना जो संसद को समाज विरोधी गतिविधियों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है।

42वें संशोधन अधिनियम का पूरी तरह निरसन नहीं किया जाना चाहिए। नवीं अनुसूची को बने रहने दिया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय, निशुल्क कानूनी सहायता श्रमिकों का प्रबंध में सहयोग, वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण इत्यादि उपबन्धों को भी बने रहने दिया जाना चाहिए। मैं यह भी चाहता हूं कि शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाये। इस दृष्टि से यह विधेयक स्वागत योग्य है।

जहां तक अनुच्छेद 31घ का संबंध है, इसे बनाये रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। समाज विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए संविधान में समुचित कानून है। इसका उद्देश्य केवल निवारक नजरबन्दी के क्षेत्र का विस्तार करना है तथा यह राजनीतिक विरोधियों के दमन का एक उपकरण है। इसका क्षेत्र इतना अधिक विस्तृत है कि उचित कार्मिक संघों की गतिविधियां भी इस उपबन्ध के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाई जा सकती हैं।

देखने में आया है कि जब से संविधान बना है उच्चतम न्यायालय ने उच्चन्यायालयों के निर्णयों को 200 बार रद्द किया है। उच्चतम न्यायालय ने अपने ही निर्णयों को 6 से अधिक बार रद्द किया है। संवैधानिक संशोधन की संवैधानिक वैधता या मान्यता के सम्बन्ध में एक न्यायाधीश की नहीं अपितु कम से कम दो न्यायाधीशों की राय ली जानी चाहिए। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : यह सच है कि 42वें संशोधन में कुछ विकृतियां हो सकती हैं लेकिन फिर भी हम यह मानते हैं कि सभी संशोधन गलत नहीं थे। इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं। विधि मंत्री ने स्वंय यह बात स्वीकार की है कि इन संशोधनों में कुछ अच्छी बातें भी हैं।

हमारे संविधान में कुछ नियंत्रण और सन्तुलन हैं। राज्य, केन्द्र और न्यायपालिका एक दूसरे पर परस्पर नियंत्रण करके सन्तुलन बनाये रखते हैं। हमें उन अधिकारों को पुनः कायम करना होगा जो समाप्त कर दिये गये हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा जो निर्णय रद्द किये जायें वे एक न्यायाधीश की राय से न किये जायें। जब हम संवैधानिक संशोधन करते हैं तो हमें दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।

अन्य महत्वपूर्ण बात केन्द्रीय सूची के कानूनों के बारे में है। एक केन्द्रीय विषय के संबंध में विभिन्न उच्च न्यायालयों ने भिन्न-भिन्न निर्णय दिये हैं। अतः उच्चतम न्यायालय को केन्द्रीय कानूनों की वैधता के बारे में निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri S. S. Das (Sitamarhi) : I support the present Bill. We had expected that a comprehensive Bill would come which would repeal the 42nd Amendment of the Constitution lock, stock and barrel. This is the promise which we had made in our election manifesto. The 42nd Amendment was passed by the previous Parliament, when its mandate had ended. Therefore, it is that 42nd Amendment whether it contains good or bad provisions it should be fully repealed.

Perhaps the Government have certain difficulty. The law Minister has promised to bring forward a comprehensive Bill next session.

This Bill aims at restoring the powers of the High Courts and the Supreme Court, which had been taken away. But it does not touch the amendments made in Article 368 by the 42nd Amendment. Unless this provision is amended, judiciary cannot stand on its own feet.

The vested interests which are responsible for destruction of democracy have not been crushed with the end of rule of Mrs. Indira Gandhi. We have to be beware of these vested interests and have constitutional and institutional safeguards so that in future nobody can tamper with the Constitution to monopolies power.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण): इस विधेयक का लगभग सभी सदस्यों ने समर्थन किया है। डा० सईद मुहम्मद ने सभा के समक्ष बताया है कि 42वें संशोधन में बहुत से ऐसे संशोधन थे जिनके लिये स्वर्ण सिंह समिति ने भी सिफारिश नहीं की थी। 42वें संशोधन में एक संशोधन यह था कि उपक्रमों, प्रतिष्ठानों और अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारिता होनी चाहिए। इसके लिये कानून बनाया जाना चाहिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि हम प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारिता के विरुद्ध हैं तो न केवल यह अनुचित है अपितु लोगों को गुमराह किये जाने का प्रयास है। हम ने कहा है कि हम 42वें संशोधन को वैसे ही बने रहने नहीं देना चाहते। हम संविधान को एक कारगर साधन बनाना चाहते हैं। क्या जनता सरकार का यह रवैया है ?

श्री शांति भूषण : संभवतः श्री सोमनाथ चटर्जी के कहने का यह आशय नहीं था। वह नहीं चाहते कि निदेशक तत्वों के रूप में इस अधिकार को समाप्त नहीं करना चाहते।

अन्ना द्रमुक दल के एक सदस्य ने दो-तिहाई बहुमत के सिद्धान्त का समर्थन किया है जो कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा राज्य कानूनों और केन्द्रीय कानूनों की वैधता के संबंध में लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि संसद के दोनों संवैधानिक विधेयकों के मामले में दो-तिहाई के सिद्धान्त को लागू कर सकते हैं तो यही सिद्धान्त न्यायिक निर्णयों के मामले में क्यों नहीं लागू किया जा सकता। विधायी संवैधानिक मामलों में यह दृष्टिकोण अवश्य अपनाया जाना चाहिये। न्यायालय तरफदारी के आधार पर निर्णय नहीं करते। उन्हें ईमानदारी से निर्णय लेना होता है। कानून की नजरों में सभी न्यायाधीश बराबर हैं।

अगले सत्र में जो विधेयक पुनः स्थापित करने का विचार है उसमें संविधान के आपात-स्थिति उपबन्धों को भी शामिल किया जायेगा ताकि देश को वर्ष 1975–77 के दौरन जिस आपातस्थिति का सामना करना पड़ा है भविष्य में फिर कभी न करना पड़े।

अनुच्छेद 368 के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। क्या न्यायालय को उन संशोधनों को चुनौती देने के प्राधिकार हैं, क्या संसद जो निश्चय ही सर्वोच्च है, भारत के लोगों से भी ऊपर हो सकती है? माननीय सदस्यों को पता है कि 39वें संशोधन में किस प्रकर का संशोधन किया गया है। यह 39वां संशोधन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था। क्या सदस्य अनुच्छेद 368 का संशोधन किया जाना चाहते हैं? कहा गया है कि लोगों ने उन लोगों को उखाड़ फैंका है जिन्होंने 39वां संशोधन पास किया था और जो विभिन्न बातों के लिये उत्तरदायी थे। यदि कोई ऐसा संशोधन लाया जाता है जिससे चुनाव ही नहीं हों तो लोगों को उन व्यक्तियों को उखाड़ने का अवसर ही नहीं मिलेगा। अतः क्या सदस्य 42वें संशोधन द्वारा संविधान में पुरःस्थापित अनुच्छेद 368 के खण्ड (4) और (5) का अभी भी समर्थन करेंगे?

सम्पत्ति के मूल अधिकार के लोप के संबंध में ली गई शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है यह मामला विचाराधीन है और उचित समय पर कुछ कार्यवाही की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

श्री० ए० कला पजनौर : यह 272 है। सदन की कुल सदस्यता का हमें बहुमत नहीं मिला।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : आकड़ों को अभी सही करना है।

श्री बसंत साठे : आप ऐसा बाद में कर सकते हैं। नियमों के अधीन आपको परिणाम घोषित करना होगा।

अध्यक्ष महोदय : मुझे अन्तिम आंकड़े मिल रहे हैं। उससे सही स्थिति का पता चलेगा।

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर : मशीन काम नहीं कर रही है। इसमें मेरा वोट नहीं दर्शाया गया है। जिन लोगों ने पक्ष में मतदान किया है उनकी संख्या सही नहीं है।

श्री बसन्त साठे : आप परिणाम घोषित करें।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। तीन प्रकार से वोट दिया जाता है। एक सही वोट देना, दूसरे वोट रिकार्ड नहीं हुआ या अनुपस्थिति नोट की जाती है। तीसरे गलत बटन दब जाना।

नियम यह है कि संबंधित सदस्य खड़े हो आपको इस बारे में सूचित करें। इंडीकेटर बोर्ड पर मतदान का परिणाम आने पर अध्यक्ष द्वारा मत विभाजन का परिणाम घोषित किया जाना चाहिये। इसे चुनौती नहीं दी जानी चाहिय। किसी ने यह नहीं कहा कि उन्होंने गलत वोट दिया है।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : यह मशीन खराब है। मैंने पक्ष में वोट दिया है और यह इस पर नहीं आया है।

श्री सी० एम० स्टीफन : नियम 367 क के उप खण्ड (3) के अनुसार यह आवश्यक है कि सदस्य खड़े होकर आपको इस बारे में बतायें।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : गत 20 वर्षों में सभा में किसी ने यह नहीं कहा कि सदस्य खड़े हो कर ऐसा करें। सदस्यों को पर्चियां बांटी जाती है जिन पर सदस्य लिखते हैं। ऐसी प्रथा रही है। इस संबंध में नियमों का पालन किया जाना चाहिये। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री आर० वेंकटरामन : नियम 367क के उप खण्ड (2) के अनुसार इंडीकेटर बोर्ड पर मतदान का परिणाम आने के बाद अध्यक्ष को मत विभाजन का परिणाम घोषित करना चाहिये और इसे चुनौती नहीं दी जानी चाहिये।

मेरा सुझाव यह है कि यदि वे चाहे तो वे पुनः मतदान के लिये प्रस्ताव कर सकते हैं और इस निर्णय को रद्द किया जाये। सभा इस बात के लिये सहमत हो सकती है। परन्तु अध्यक्ष महोदय पहले इंडीकेटर बोर्ड पर आये परिणाम को घोषित नहीं कर सकते और बाद में अन्य लोगों को, जो परिवर्तन करना चाहें, ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई यह कहता है कि उसका मत रिकार्ड नहीं किया गया तो परिणाम घोषित करने से पूर्व उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री वसन्त साठे : नियमानुसार पहले परिणाम घोषित किया जाना चाहिये। ऐसा होने के बाद आप की अनुमति से शुद्धियां की जा सकती हैं, इससे पहले नहीं अन्यथा आप एक नया उदाहरण स्थापित करेंगे। मेरा निवेदन है कि इस संबन्ध में नियमों का पालन किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं नियमों का पालन कर रहा हूं।

श्री अरविंद वाला पजनौर : श्री स्टीफन ने ठीक ही कहा है कि प्रधान मंत्री जी इससे सहमत हैं। उपनियम (2) और उप नियम (3) को साथ पढ़ना चाहिए। उपनियम (3) में कहा गया है कि यदि किसी कारणवश कोई सदस्य बटन दबा कर अपना मत न दे सके तो यदि अध्यक्ष उसके कारण से संतुष्ट हों, वह सदस्य खड़ा होकर मत दे सकता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका मतलब समझ गया।

श्री पी०जी मावलंकर : बात बहुत सादा है। नियम 367 के सभी चार उपनियम एक साथ पढ़े जाने चाहिए और नियम 367 सभा में प्रक्रिया के अनुर चलता है। सभा में प्रक्रिया यही है कि यदि बटन खराब हो.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने व्यवस्था का प्रश्न सुन लिया है। उसमें कोई सार नहीं।

उपनियम 367 के उपनियम (2) में उल्लेख हैं :

"बोर्ड के ऊपर मतदान का परिणाम आने के बाद विभाजन का परिणाम अध्यक्ष द्वारा सभा में घोषित किया जायेगा और उसे चुनौती नहीं दी जायेगी।"

यदि उपनियम (3) को उपबन्ध (2) का परन्तुक तब सूमूचा उपनियम (2) अर्थहीन हो जाता है : मैं उपनियम (3) को उपनियम (2) का परन्तुक मानता हूं। इसलिए शुद्धि की जा सकती है।

विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में 324 ; विपक्ष में 001

Ayes—324 ; Noes—001

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री वयालार रवि : हम यह कैसे जान सकते हैं कि वास्तव में 324 सदस्य उपस्थित हैं और उन्होंने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। ..... (व्यवधान)

वे यह कहने के लिए खड़े नहीं हुए कि उनका मत रिकार्ड किया गया है या नहीं।

श्री वसंत साठे : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आप ने 324 के आंकड़े कैसे प्राप्त किये ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रक्रिया का पालन किया है और सदस्यों द्वारा लिखित बात को माना है। अतः यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

श्री वसंत साठे : मैं इस प्रक्रिया के विरोध में सभा से बहिर्गमन करता हूं।

तब श्री वसंत साठे सभा से बाहर चले गये।

Shri Vasant Sathe then left the House.

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले खंड 2 लूंगा।

खण्ड 2

Clause 2

अध्यक्ष महोदय : लाबी खाली की जाये।

श्री वयालार रवि : मेरा विचार है कि जिन सदस्यों के मेजों पर बटन काम नहीं करते उन्हें खड़े होकर 'पक्ष' में या 'विपक्ष' में कहने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा सुझाव है। हम इसी को मानेंगे। प्रक्रिया यह है :

इस मशीन में मुख्य रोशनी के अलावा तीन बटन हैं। 'पक्ष में' के लिए पीला, 'विपक्ष में' के लिए लाल और काला बटन अनुपस्थित के लिए है। प्रत्येक सदस्य के स्थान के पास एक स्विच लगा है।

जब सभा पीठ द्वारा विभाजन के लिए आदेश दिया जाता है, तो सचिव, जिनके मेज पर स्वचालित मतदान मशीन चलाने का 'की बोर्ड' रखा है एक बटन दबाते हैं जिसमें भौंपू की आवाज होती है जो सदस्यों के लिए संकेत है कि मतदान करें। तब प्रत्येक सदस्य अपनी इच्छानुसार बटन दबा सकता है। दूसरी बार 10 सैकेंड के बाद भौंपू बजने तक बटन दबाये रखना चाहिये। 10 सैकेंड का समय, समय समाप्त होने तक संकेत प्रैस गैलरी में लगे 'इंडीकेटर बोर्ड' पर लगे 12 बल्ब एक के बाद जलने से मिलता है।

आशा है कि यह जानकारी प्रर्याप्त है।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

श्री रवीन्द्र वर्मा : महोदय, आप उन सदस्यों से खड़े होने को कहें जिनकी मेजों पर यंत्र काम नहीं करता।

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य यह समझें कि उनका मत ठीक से रिकार्ड नहीं किया गया या गलत किया गया है वे खड़े हो जायें। सभा में मत विभाजन में संशोधन हो सकता है।

सभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में—327 ; विपक्ष में—कोई नही

Ayes—327 ; Noes—Nil

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत से और सभा में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 2 को विधायक में जोड़ा गया ।
Clause 2 was addded to the Bill.

खण्ड 3

Clause 3

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।
The Lok Sabha Divided.

अध्यक्ष महोदय : मत विभाजन के परिणाम में शुद्धि हो सकती है। परिणाम यह है :

पक्ष में—314 ; विपक्ष में—कोई नहीं

Ayes—314 ; Noes—Nil

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ :

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 3 को विधेयक में जोड़ा गया ।
Clause 3 was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा इस बात से सहमत है कि जिन खंडों में कोई संशोधन नहीं है उन्हें सभा में एक-साथ मतदान के लिए रखा जाये ?

अनेक सदस्य : जी हां।

डा० सुशीला नायर : महोदय, यह संविधान संशोधन विधेयक है। प्रत्येक खंड को पृथक रूप में मतदान के लिए रखा जाये।

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई सदस्य आपत्ति करता है तो हम ऐसा नहीं करेंगे। मैं प्रत्येक खंड को अलग से मतदान के लिए रखूंगा।

खण्ड 4

Clause 4

अध्यक्ष महोदय । प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

अध्यक्ष महोदय : विभाजन के परिणाम में शुद्धि हो सकती है। परिणाम यह है :

पक्ष में---313 ; विपक्ष में--कोई नहीं

Ayes—313 ; Noes—Nil

मतदान में भाग न लेने वाले : 3

Abstention : 3

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई के अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 4 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 4 was added to the Bill.

खण्ड 5

Clause 5

श्री सी० एम० स्टीफन: : नियम 155 के अधीन आप सभी खंडों को एक-साथ मतदान के लिए रख सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : नियम 155 संविधान संशोधन विधेयक पर लागू होता है और यदि एक सदस्य भी आपत्ति करता है तो मुझे उसे पुन: मतदान के लिए रखना होगा। यदि आप की यही राय है तो हम

खंड 5 में डा० राम सिंह का एक संशोधन है। क्या आप इस पर जोर दे रहे हैं ?

डा० राम सिंह : जी नहीं।

श्री शांति भूषण : खंड 6 के बाद मुझे एक संशोधन पेश करना है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5, 6, 7, 8, 9 और 10 विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन विभाजन का परिणाम यह है :

पक्ष में—322; विपक्ष में—कोई नहीं

Ayes—322; Noes—Nil.

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 5, 6, 7, 8, 9 और 10 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 5, 6, 7, 8, 9 and 10 were added to the Bill.

खण्ड 6 क (नया)

Clause 6A (New)

श्री शांति भूषण : क्या मैं अब संशोधन संख्या 5 पेश कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हां।

श्री शांति भूषण : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2 पंक्ति 17 के बाद यह अन्तःस्थापित किया जाये।

"Page 2,—

After line 17, **insert**—

'Amendment of article 226.—6A. In article 226 of the Constitution, in clause (1), the words, figures and letters "but subject to the provisions of article 131A and article 226A" shall be omitted.'

("संविधान के अनुच्छेद 226, खंड (1) में इन शब्दों, आंकड़ों तथा अक्षरों का लोप किया जाये "लेकिन अनुच्छेद 131 क और अनुच्छेद 226 क के उपबंधों के अध्यधीन।)" (5)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

Page 2,—

After line 17, **insert**—

'Amendment of article 226.—6A. In article 226 of the Constitution in clause (1), the words, figures and letters "but subject to the provisions of article 131A and article 226A" shall be omitted.'

(संविधान के अनुच्छेद 226, खंड (1) में इन शब्दों, आंकड़ों तथा अक्षरों का लोप किया जाये। "लेकिन अनुच्छेद 131क और अनुच्छेद 226 क के उपबंधों के अध्यधीन।)" (5)

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन परिणाम यह है :

पक्ष में—320 ; विपक्ष में—कोई नहीं

Ayes—320 ; Noes—Nil

अनुपस्थित : 2

Absent : 2

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 6क को विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 6A was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : हम खंड 1 को लेंगे।

श्री शांति भूषण : मैं खंड 1 में संशोधन पेश करता हूं।

पृष्ठ 1, पंक्ति 3—

For "Forty fourth" **substitute** "Forty third".

"चवालीस" के स्थान पर "तितालीस" प्रतिस्थापित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

For "Forty fourth" **substitute** "Forty third".

"चवालीस" **के स्थान पर** "तितालीस" **प्रतिस्थापित** किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र और शीर्षक विधेयक में जोड़ दिये गये।

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री शांति भूषण: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये" ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश हुआ :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया गया" ।

Chaudhri Balbir Singh: The leaders of Janata Party have no right to compromise with any other Party as this Constitutional amendment.

श्री पी० जी० मावलंकर: ऐसा लगता है कि चूंकि सदस्य जाने की जल्दी में हैं, इसलिए उसके लिए समय नहीं रखा जा रहा। लेकिन मैं तृतीय पाठन के समय बोलने के अपने अधिकार को नहीं छोड़ सकता। यदि सभा उसके लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकती तो उसे स्थगित कर दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : यह तो सभा के ऊपर है। क्या अब सभा कल के लिए स्थगित होना चाहती है।

श्री बीजू पटनायक : यदि कुछ सदस्य चाहते हों तो सभा को नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसा करने की जरूरत नहीं (व्यवधान)

यदि सभा इस ऐतिहासिक विधेयक को आज पास करना चाहती है तो उसे पास किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : अभी तो 50 प्रतिशत सदस्य बैठे हैं।

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा) : महोदय, दुर्भाग्य से इस विधेयक के लिए आबंटित समय समाप्त हो चुका है। यदि सदस्य इस बारे में बोलना चाहते हैं तो हम कल 1 घंटे का समय बढ़ा सकते हैं। कल तृतीय पाठन पर सदस्य बोल सकते हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : यह केवल विपक्ष का ही मामला नहीं है। जो सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं उन्हें अवसर मिलना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि कल किस समय उसे लिया जाये। क्या हम उसे 4 बजे शाम को ले सकते हैं ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : प्रश्न काल के तुरन्त बाद।

अध्यक्ष महोदय : कल अल्प सूचना प्रश्न आदि भी हैं। कल कोरम पूरा नहीं होगा।

श्री रवीन्द्र वर्मा : कोई भी कार्य हो, प्रश्न काल के बाद 1 घंटा समय दिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। हम 12 बजे के बाद इस पर चर्चा करेंगे। प्रत्येक वक्ता को 5 मिनट मिलेंगे।

अब सभा कल 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 20 दिसम्बर, 1977/29 अग्रहायण, 1899 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, the 20th December, 1977/29 Agrahayana, 1899 (Saka).

MGIPRRND—IV—30 LSS/77—7-3-78—200